आज़ादी का अमृत महोत्सव

mudra

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

विषय-सूची

01 परिदृष्टि, ध्येय, उद्देश्य

02 अध्यक्ष महोदय का संदेश

03 निदेशक मंडल

04 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के छह वर्ष

12 निदेशकों की रिपोर्ट

32 "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016" के अंतर्गत लेखापरीक्षक की संशोधित रिपोर्ट

34 स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

42 तुलनपत्र

43 लाभ हानि खाता विवरणी

44 नकदी प्रवाह विवरणी

46 इक्विटी में परिवर्तन का विवरणी

47 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

57 वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

88 सूचना

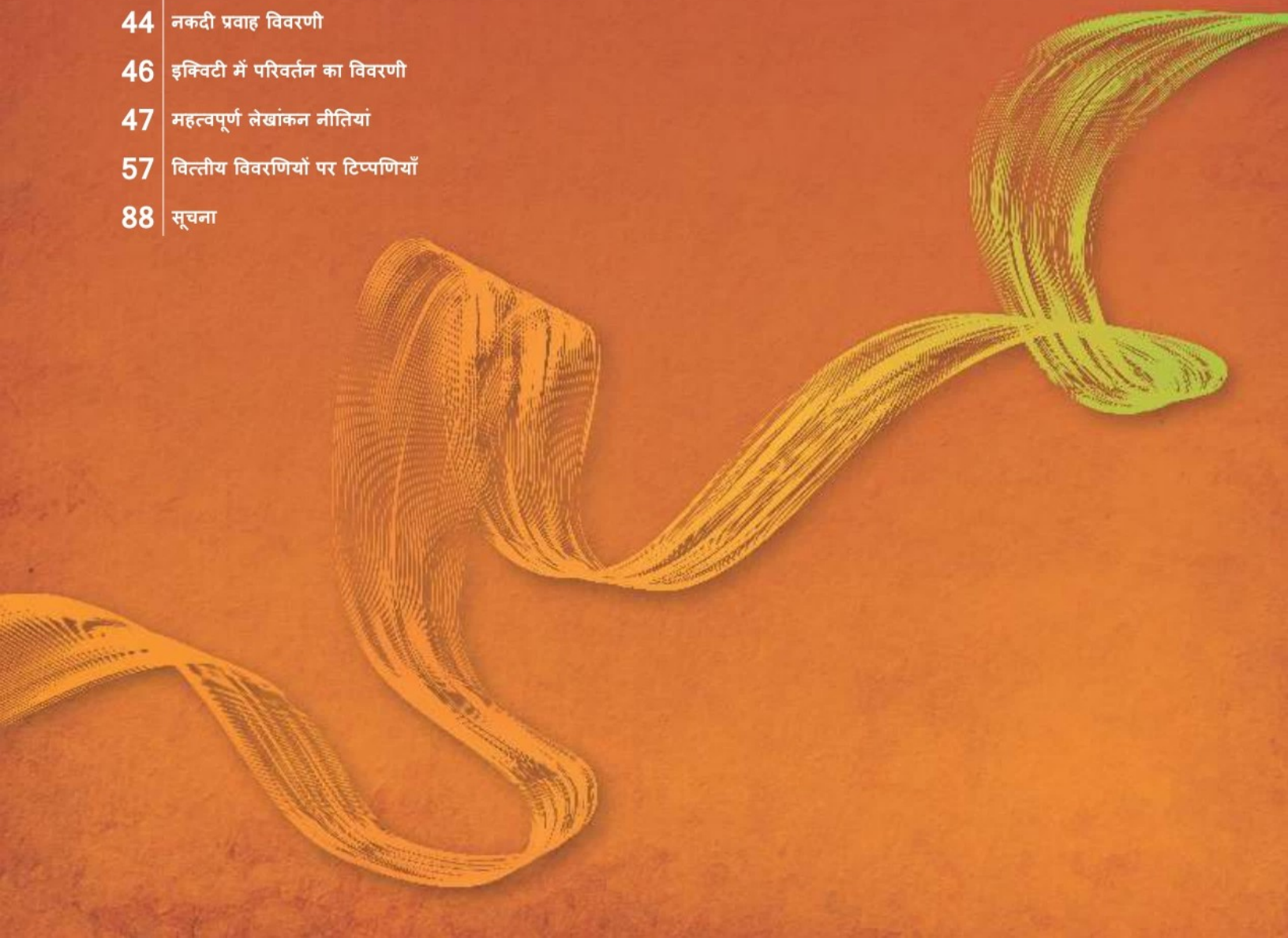

मुद्रा परिदृष्टि

पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एकीकृत वित्तीयन एवं सहायता सेवा-प्रदाता बनना, जो सर्वोत्कृष्ट होने के साथ-साथ विश्व स्तर की सर्वोत्तम पद्धतियों तथा मानकों के अनुरूप हो.

मुद्रा ध्येय

आर्थिक सफलता तथा वित्तीय सुरक्षा की प्राप्ति हेतु अपनी सहभागी संस्थाओं के साथ मिलकर समावेशी, टिकाऊ और मूल्य आधारित उद्यमिता-संस्कृति निर्मित करना.

मुद्रा उद्देश्य

हमारा मूल उद्देश्य साझीदार संस्थानों को समर्थन और प्रोत्साहन देकर सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र लिए विकास का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर समावेशी और टिकाऊ तरीके से विकास सुनिश्चित करना है.

अध्यक्ष महोदय का संदेश

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) ने परिचालनों के 6 वर्ष पूरे कर लिये हैं. पीएमएमवाई की कहानी देश में सूक्ष्म उद्यमों और लघु व्यवसाय सेग्मेंट की सफलता, उपलब्धियों, मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण की कहानी रही है.

वित्तीय वर्ष 2020-2021 (वित्तीय वर्ष 2021) के दौरान मुद्रा लि. के कार्यनिष्पादन के मुख्य बिंदुओं को आपके समक्ष रखते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है.

विगत वर्ष

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण विगत वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए परीक्षा की घड़ी रहा है. हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेग्मेंट्स के सामने भी इसके कारण व्यापक बाधाएँ आई हैं. इसका प्रभाव सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु व्यवसाय क्षेत्र पर अधिक प्रबल और हानिकारक रहा है जोकि परंपरागत रूप वित्तीय रूप से सर्वाधिक कमजोर सेग्मेंट हैं.

मेरे लिये यह अत्यंत संतोषप्रद है कि भारत सरकार की फ़्लैगशिप योजना पीएमएमवाई और मुद्रा लि. ने सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु व्यवसाय सेग्मेंट की कठिनाइयों को कम करने की चुनौती का सामना किया और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि वित्त-विहीन सेगमेंट्स के लिए वित्तपोषण के चैनल लॉकडाउन की स्थिति में भी कार्य करते रहें.

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान पीएमएमवाई के अंतर्गत 5.07 करोड़ ऋण खातों में कुल 3.22 लाख करोड़ रुपये मंजूर किये गये, जिससे कि उन निर्धन उद्यमियों को सहायता मिली है जिन्हें वित्तीय सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है. इनमें से अधिकांश लाभार्थी समाज के कमजोर वर्गों जैसे अजा/अजजा/अपिव/महिला उद्यमी के हैं. पीएमएमवाई के अंतर्गत जरूरतमंद सूक्ष्म उद्यम एवं लघु व्यवसाय सेग्मेंट की जरूरतों को पूरा करने वाले बैंकों, एनबीएफसी एवं एमएफआई ने अर्थव्यवस्था के निचले पायदान पर आजीविका और उद्यमों को सहारा देकर अपनी भूमिका को सार्थक सिद्ध किया है.

बैंकों, एनबीएफसीऔर एमएफआई को उनके द्वारा पीएमएमवाई के अंतर्गत दिये गये ऋणों के बदले मुद्रा ने पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना जारी रखा, जिससे इस क्षेत्र को वहनीय लागत पर निधीयन सहायता मिलती रही. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मुद्रा ने 12,313 करोड़ रुपये मंजूर किये और 12,303 करोड़ रुपये संवितरित किये.

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वैश्विक महामारी के कारण एमएफआई द्वारा सूक्ष्मवित्त मॉडल के अंतर्गत अपने परिचालन जारी रखना संभव नहीं था, मुद्रा ने लक्ष्य सेगमेंट तक सहायता पहुँचाने के लिए बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) पर ध्यान केन्द्रित किया और बैंकों, एसएफबी और आरआरबी को अपनी कुल मंजूरियां वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 2,423 करोड़ रुपये (9 संस्थाओं) से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 11,557 करोड़ रुपये (16 संस्थाएं) कर दीं.

बैंकों, लघु वित्त बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को गत वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो में लगभग 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वर्ष के दौरान मुद्रा से सहायताप्राप्त एमएफआई की संख्या में वृद्धि हुई है तथा सहायताप्राप्त एमएफआई की संख्या गत वर्ष के अंत में 35 से बढ़कर 31 मार्च 2021 को 38 हो गई. इसी प्रकार, एनबीएफसी सेग्मेंट की संख्या में भी गत वर्ष के अंत में 12 से बढ़कर 31 मार्च 2021 को 14 हो गई.

वर्ष के दौरान ब्याज दरों में कमी के कारण मुद्रा के परिचालनों से आय में 9 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई अर्थात् यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के 1,111.90 करोड़ रुपये से घटकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,006.67 करोड़ रुपये रह गई. हालांकि निवल लाभ में वृद्धि दर्ज हुई और यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के 219.82 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 256.32 करोड़ रुपये हो गया.

उन उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जिन्होंने पीएमएमवाई की शिशु श्रेणी के अंतर्गत उधार लिया था, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए 'मुद्रा-शिशु ऋणों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना' शुरू की, जिसके अंतर्गत मुद्रा शिशु ऋण वाले सभी उधारकर्ताओं को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है. इस योजना के अंतर्गत 92 उधारदात्री संस्थाओं के शिशु ऋण लाभार्थियों को कुल 379.40 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं.

भावी परिदृश्य

वैश्विक महामारी कोविड-19 के मंडराते खतरे और वित्तीय वर्ष 2021-22 में संभावित तीसरी एवं चौथी लहर की चेतावनियों के कारण समय अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. तीव्र गति से चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान ऐसी किसी संभावना का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की ओर एक कदम है, विशेषकर सूक्ष्म खण्ड वाले छोटे कारोबार के संबंध में जो अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक प्रभावित वर्ग रहा है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि अर्थव्यवस्था के लचीलेपन की पुष्टि करती है जो पुनः अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ता कदम है.

वर्ष के दौरान मुद्रा की अपने लक्ष्य सेग्मेंट विशेषकर ऋण की कमी वाले जिलों तक पहुंच बढ़ाने के अपने अंतिम लक्ष्य के साथ अपने परिचालनों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केन्द्रित कर नये उपाय शुरू करने की भी योजना है. इसके लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं तैयार करना शामिल है जो आगे चलकर मुद्रा को सूक्ष्म सेग्मेंट के वित्तपोषण में अग्रणी और उत्तरदायी भूमिका निभाने में समर्थ बनायेंगी.

निष्कर्ष

गत 6 वर्षों के दौरान मुद्रा उन असेवित सेग्मेंट्स को लघु ऋण प्रदान करने का पर्याय बन गया है जो अब तक इससे वंचित रहे हैं. एक छोटी सी शुरुआत से लेकर अब इसने सूक्ष्म उद्यमों पर पर्याप्त ध्यान सुनिश्चित करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में अपने को स्थापित किया है और 13,537 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो के साथ उद्यमवृत्ति की संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है.

मैं सिडबी, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक सहित सभी हितधारकों एवं भागीदारों को उनके सतत सहयोग और मुद्रा की टीम को उनके समर्पित कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं.

(सिवसुब्रमणियन रामन)
अध्यक्ष

निदेशक मंडल

श्री सिवसुब्रमणियन रमन, आईए एवं एएस,
अध्यक्ष
नियुक्ति - 28 अप्रैल 2021

श्री सुचिंद्र मिश्र
नामिती निदेशक, भारत सरकार

श्री वसंतराव सत्य वेंकटराव
नामिती निदेशक, सिडबी

श्री सुदत्ता मंडल
नामिती निदेशक, सिडबी
नियुक्ति - 28 मई 2021

श्री अरविंद कुमार जैन
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती स्मिता अफिनवाला
स्वतंत्र निदेशक

श्री विनय हेडाऊ
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नियुक्ति - 2 अगस्त 2021

श्री पिलारीसेत्ती सतीश
स्वतंत्र निदेशक
पद समाप्ति - 9 नवम्बर 2020

श्री मनोज मित्तल
नामिती निदेशक, सिडबी
पद समाप्ति - 21 जनवरी 2021

श्री आलोक गुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पद समाप्ति - 1 अगस्त 2021

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के छह वर्ष

कठिन समय में निरंतर सहायता-प्रवाह

29.55 करोड़ लघु एवं सूक्ष्म उद्यम ऋण-खातों में **15.52** लाख करोड़ रुपये की संचयी ऋण सहायता

अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडी जातियों के **51** प्रतिशत ऋण खातों के साथ कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति

महिला लाभार्थियों के **68** प्रतिशत ऋण खातों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

वित्त-विहीन सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु व्यवसायों के वित्तपोषण हेतु प्रधानमंत्री की फ़्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ने अपने परिचालनों के छह वर्ष पूरे कर लिये हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 29.55 करोड़ ऋण खातों में 15.52 लाख करोड़ रुपये की संचयी राशि प्रदान की गई है जिससे मुख्यतः समाज के कमजोर वर्गों के उधारकर्ताओं को लाभ हुआ है.

ऋणदात्री संस्थाओं, जिनमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) शामिल हैं, ने कुल मिलाकर पीएमएमवाई के अंतर्गत प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों से अधिक ऋण प्रदान किये हैं.

पीएमएमवाई लक्ष्य बनाम उपलब्धि

(राशि लाख करोड़ रुपये में)

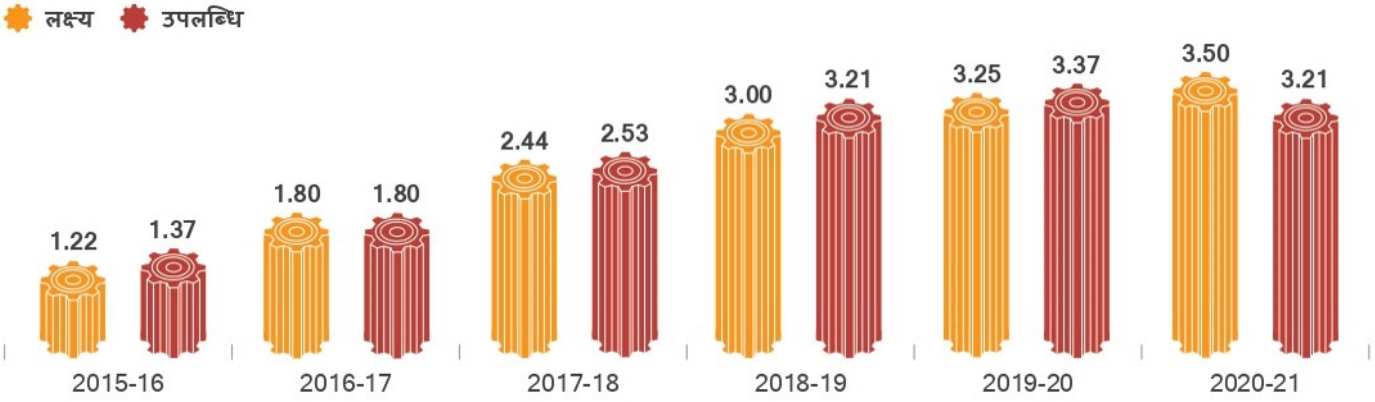

इन छह वर्षों के दौरान सहयोग संस्था के रूप में माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा) ने विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता और विशिष्ट पोर्टल के जरिये पीएमएमवाई के कार्यान्वयन की प्रगति पर गहन निगरानी कर दोहरी भूमिका निभाई है. यह पोर्टल भारत सरकार की जरूरतों के अनुसार पीएमएमवाई योजना से संबंधित विभिन्न समेकित आंकड़े एकत्रित करता है.

वर्ष 2020-21 के दौरान पीएमएमवाई

एजेंसी-वार उपलब्धियां

वर्ष 2020-2021 के लिए भारत सरकार द्वारा पीएमएमवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 3.50 लाख करोड़ रुपये था जिन्हें विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं, बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी को देश के विभिन्न भागों में उनकी पहुंच और उपस्थिति के आधार पर वितरित किया गया था. वर्ष 2020-21 के लिए उनके समग्र लक्ष्यों की तुलना में श्रेणी-वार कार्यनिष्पादन निम्नानुसार हैः

तालिका 1: संस्था-वार कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

श्रेणी	लक्ष्य (2020-2021)	मंजूर राशि (2020-2021)	मंजूर राशि (2019-20)	वृद्धि
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)	1,28,500	1,29,915 (101%)	1,17,729	10%
निजी क्षेत्र के बैंक (विदेशी बैंकों सहित)	91,700	93,613.20 (102%)	91,780	2%
लघु वित्त बैंक	29,800	19,646.68 (66%)	29,501	(33%)
सूक्ष्म वित्त संस्थाएं	59,200	46,601.40 (79%)	57,967	(20%)
गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां	40,800	31,983.17 (78%)	40,518	(21%)
कुल	**3,50,000**	**3,21,759 (92%)**	**3,37,495**	**(5%)**

टिप्पणीः कोष्ठक में दिये गये आंकड़े लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि के प्रतिशत को दर्शाते हैं.

लक्ष्य बनाम उपलब्धि (करोड़ रुपये)

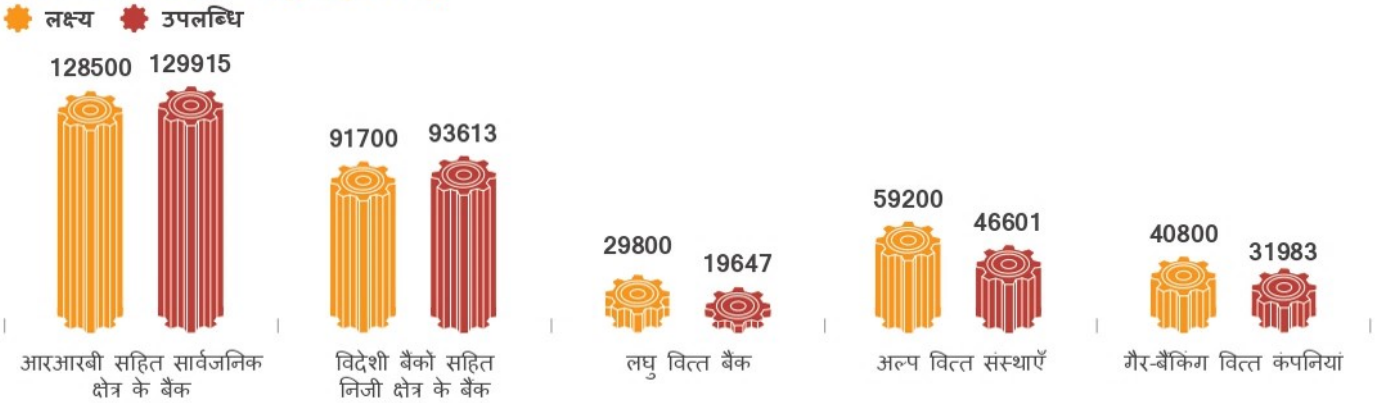

उपलब्धियों के आंकड़े सभी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा लागू किये गये कार्यक्रम के समग्र कार्यनिष्पादन में गत वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत कमी का संकेत देते हैं. यह मुख्यतः देश में कोविड की स्थिति के चलते एनबीएफसी और एसएफबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में किये गये कम मात्रा में संवितरण के कारण हुई है.

हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के संवितरण के मामले में वृद्धि हुई है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 14.85 लाख खातों में 37,973.30 करोड़ रुपये की मंजूरी के साथ भारतीय स्टेट बैंक तालिका में शीर्ष पर है. भारतीय स्टेट बैंक के बाद 13,210 करोड़ रुपये और 11,187 करोड़ रुपये की मंजूरी के आंकड़ों के साथ क्रमशः केनरा बैंक और पंजाब नैशनल बैंक हैं.

वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों ने 93,613 करोड़ रुपये की मंजूरियों के साथ कार्यनिष्पादन में थोड़ा-सा सुधार दर्ज किया जो गत वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत अधिक है. निजी क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में प्रमुख अंशदायक बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक क्रमशः 32,559 करोड़ रुपये और 32,335 करोड़ रुपये की मंजूरियों के साथ रहे.

अल्प वित्त संस्थाओं ने 1.40 करोड़ उधारकर्ताओं को 46,601.40 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि मंजूर की. 18 लाख से अधिक ऋण खातों में 7,906.48 करोड़ रुपये की मंजूर राशि के साथ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड अग्रणी अल्प वित्त संस्था रही.

पीएमएमवाई में 31,983.17 करोड़ रुपये की कुल मंजूरियों के साथ एनबीएफसी भी एक प्रमुख अंशदायक के रूप में उभरी हैं. इस श्रेणी में 12,000.01 करोड़ रुपये की कुल मंजूर राशि के साथ श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस कंपनी लिमिटेड सर्वोच्च अंशदायक रहा है.

लघु वित्त बैंकों ने अपने लक्ष्य का 66 प्रतिशत हासिल किया. वर्ष के दौरान 9 एसएफबी ने 43.89 लाख ऋण खातों में 19,646.68 करोड़ रुपये की कुल राशि मंजूर की. एसएफबी में उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक तालिका में शीर्ष पर रहा, जिसने 14.89 लाख ऋण खातों में 6,442.73 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की.

राज्य-वार कार्यनिष्पादन क्षेत्रीय विश्लेषण

जहां संस्था-वार लक्ष्य भारत सरकार द्वारा दिये गये, वहीं उनको संबंधित ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अपने नेटवर्क और उधार देने की संभाव्यता के आधार पर आगे राज्य-वार उप-आबंटन किया गया. राज्य स्तर के कार्यनिष्पादन को राज्य की संबंधित एसएलबीसी द्वारा मॉनिटर किया जाता है. सभी राज्यों में कर्नाटक 30,199.18 करोड़ रुपये के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद 29,335.98 करोड़ रुपये के साथ पश्चिम बंगाल का स्थान रहा और 29,231.25 करोड़ रुपये के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा.

तालिका 2: 10 शीर्ष राज्यों का कार्यनिष्पादन

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	मंजूर राशि (2020-21)	मंजूर राशि (2019-20)
कर्नाटक	30,199.18	30,188
पश्चिम बंगाल	29,335.98	26,790
उत्तर प्रदेश	29,231.35	30,949
तमिलनाडु	28,967.97	35,017
बिहार	25,589.31	27,442
महाराष्ट्र	25,208.63	27,903
राजस्थान	18,571.38	19,662
मध्य प्रदेश	18,474.24	19,060
ओडिशा	15,328.63	15,419
आंध्र प्रदेश	12,028.33	10,439.93
कुल	2,32,935	2,42,869.93

जिले-वार कार्यनिष्पादन:

पीएमएमवाई पोर्टल में योजना के अंतर्गत जिले-वार कार्यनिष्पादन को भी शामिल किया गया. कुछ ऋणदात्री संस्थाओं के अलावा, लगभग सभी ने जिले-वार कार्यानिष्पादन के अपने आंकड़े रिपोर्ट किये हैं.

कुछ एजेंसियों ने, जिन्होंने जिले-वार ब्यौरा प्रदान नहीं किया, संबंधित राज्यों के अंतर्गत 'अन्य' जिलों में अपने आंकड़े दिये हैं. पीएमएमवाई कार्यनिष्पादन के अंतर्गत 10 शीर्ष जिलों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3 : जिले-वार कार्यनिष्पादन

क्र. सं.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-2021		
		खातों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रुपये)	कुल मंजूर खातों में हिस्सा
1	बंगलुरु शहर	3,64,506	4,221	0.72%
2	उत्तर 24 परगना	6,12,906	3,227	1.21%
3	मुर्शीदाबाद	5,55,223	2,517	1.09%
4	पुणे	2,23,507	2,471	0.44%
5	कोलकाता	2,96,508	2,225	0.58%
6	बेलगाम	3,35,337	2,200	0.66%
7	दक्षिण 24 परगना	5,06,278	2,189	1.00%
8	हावड़ा	3,56,799	2,018	0.70%
9	चेन्नै	2,28,071	1,972	0.45%
10	मैसूर	3,75,101	1,857	0.74%
	कुल	38,54,236	24,895	7.60%

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान कुल मंजूरियों में इन 10 जिलों का हिस्सा 7.60 प्रतिशत रहा है. इन जिलों के बेहतर कार्यनिष्पादन का कारण इनका अधिकांशतः शहरी केन्द्र होना है जहां लघु व्यावसायिक गतिविधियों की अधिक संभावना होती है और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय आउटलेट की बड़ी संख्या में उपस्थिति होती है.

क्षेत्रीय विश्लेषण

वर्ष के दौरान मंजूर पीएमएमवाई ऋणों को उनके भौगोलिक स्थिति और वितरण के आधार पर लक्ष्य बनाम उपलब्धियों को क्षेत्र-वार कार्यनिष्पादन के विश्लेषण के लिए पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष / क्षेत्र	2020-2021		2019-2020		मंजूर राशि में वृद्धि (%)
	खातों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रु.)	खातों की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रु.)	
उत्तर	1,04,05,478 (21%)	78,555 (24%)	1,24,56,705 (20%)	82,045 (25%)	(4%)
पूर्व	1,70,88,159 (34%)	85,472 (27%)	1,95,89,404 (31%)	84,574 (25%)	1%
उत्तर-पूर्व	16,81,086 (3%)	11,511 (4%)	22,78,699 (4%)	10,824 (3%)	6%
दक्षिण	1,30,83,599 (26%)	90,325 (28%)	1,74,54,720 (28%)	98,767 (29%)	(9%)
पश्चिम	84,76,724 (17%)	55,897 (17%)	1,04,68,078 (17%)	61,285 (18%)	(9%)
कुल	**5,07,35,046**	**3,21,722**	**6,22,47,606**	**3,37,495**	**(5%)**

पीएमएमवाई के अंतर्गत क्षेत्रवार वितरण

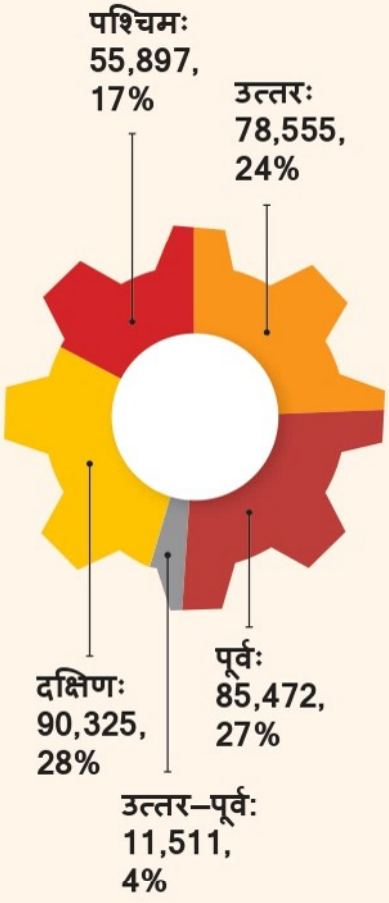

ऋण श्रेणी विश्लेषण

ऋणों के आकार के आधार पर मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं. ये हैं - शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक) और तरुण (पांच लाख से अधिक और 10 लाख रुपये तक). पीएमएमवाई की तीन श्रेणियों के हिस्से का विश्लेषण किया गया है और इसे नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4: पीएमएमवाई योजना का श्रेणी-वार विश्लेषण

श्रेणी	2020-2021		2019-2020		% परिवर्तन (मंजूर राशि)
	ऋण खातों की संख्या	मंजूर राशि	ऋण खातों की संख्या	मंजूर राशि	
शिशु	4,01,80,115 (79%)	1,09,953 (34%)	5,44,90,617 (88%)	1,63,528 (48%)	(33%)
किशोर	94,86,160 (19%)	1,32,516 (41%)	64,71,873 (10%)	95,578 (28%)	39%
तरुण	10,68,771 (2%)	79,290 (25%)	12,85,116 (2%)	78,358 (24%)	1%
कुल	**5,07,35,046**	**3,21,759**	**6,22,47,606**	**3,37,495**	**(5%)**

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रतिशत में हिस्सा दर्शाते हैं.

खातों की संख्या के आधार पर वितरण

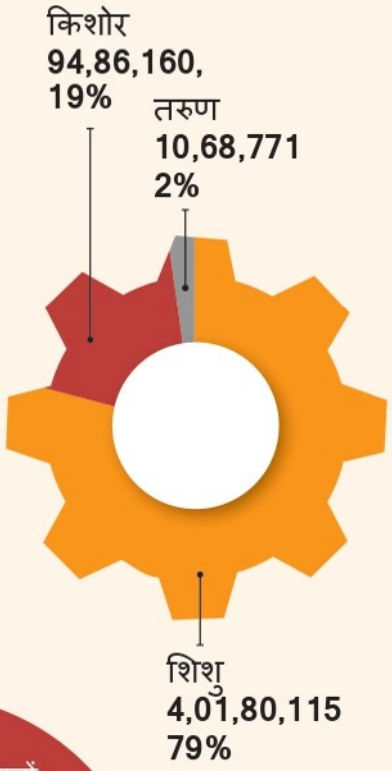

तीन श्रेणियों में खातों की संख्या के आधार पर **79** प्रतिशत के साथ शिशु ऋणों का सर्वाधिक हिस्सा रहा जबकि मूल्य के रूप में उनका भाग **34** प्रतिशत था. तथापि, कोविड-19 के प्रभाव के कारण गत वर्ष की तुलना में शिशु ऋणों की मंजूरियों में 33 प्रतिशत की कमी हुई.

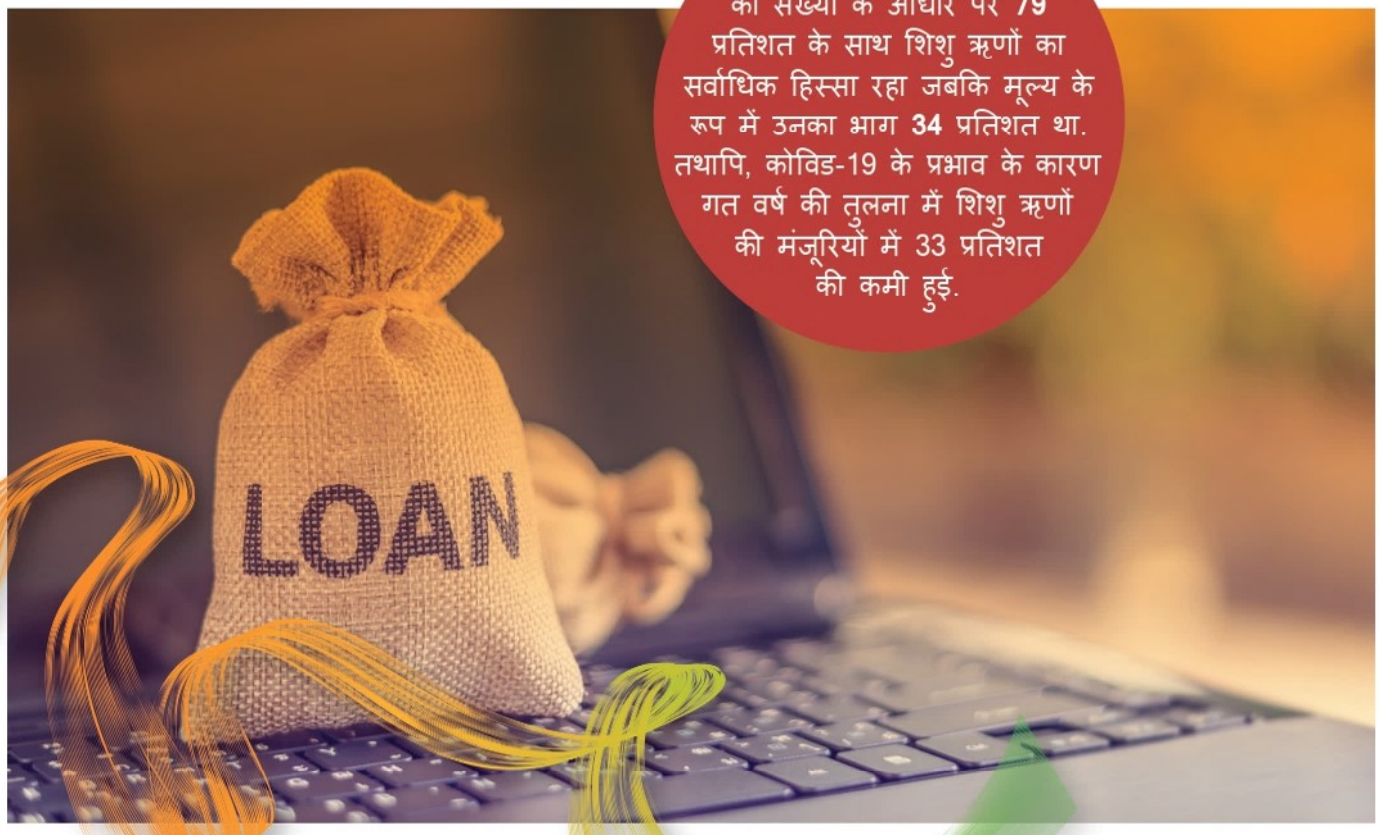

कमज़ोर वर्गों को सहायता

कार्यान्वयन की शुरूआत से ही पीएमएमवाई का ध्यान समाज के कमज़ोर वर्गों को वृद्धिशील निधीयन सहायता प्रदान करने पर केन्द्रित रहा है. पीएमएमवाई ऋणों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिलाएँ और अल्पसंख्यक उधारकर्ताओं की उप-श्रेणियों के अंश का विश्लेषण किया गया और उनका विवरण नीचे दिया गया है.

तालिका 5: उधारकर्ताओं की उप-श्रेणियां : मंजूरियां (वित्तीय वर्ष 2020-21)

श्रेणी	शिशु		किशोर		तरुण		कुल	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
सामान्य	1,91,09,271	52,164	58,33,669	94,426	9,21,759	69,353	2,58,64,699 (51%)	2,15,942 (67%)
अजा	73,34,828	19,714	10,38,947	9,430	24,642	1,680	83,98,417 (17%)	30,824 (10%)
अजजा	26,62,727	7,218	4,43,598	4,344	16,957	1,168	31,23,282 (6%)	12,730 (4%)
अपिव	1,10,73,289	30,857	21,69,946	24,317	1,05,413	7,089	1,33,48,648 (26%)	62,263 (19%)
कुल	**4,01,80,115**	**1,09,953**	**94,86,160**	**1,32,516**	**10,68,771**	**79,290**	**5,07,35,046**	**3,21,759**
उपर्युक्त में से:								
महिला	2,77,53,288	74,490	54,68,211	50,731	82,105	6,082	3,33,03,604 (66%)	1,31,303 (41%)
नये उद्यमियों के खाते	56,18,675	13,439	16,54,007	34,562	4,67,899	35,336	77,40,581 (15%)	83,337 (26%)
अल्पसंख्यक	28,83,587	8,004	12,38,860	15,260	49,614	3,653	41,72,061 (8%)	26,917 (8%)

टिप्पणीः कोष्टकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत में हिस्सा दर्शाते हैं.

कुल मंजूर राशि में से 41 प्रतिशत महिला उधारकर्ताओं को दिया गया. शिशु श्रेणी में 66 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं जिनको शिशु श्रेणी में राशि का 69 प्रतिशत मंजूर किया गया. शिशु श्रेणी में महिलाओं के उच्च हिस्से का कारण एमएफआई द्वारा मुख्यतः महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करना है.

पीएमएमवाई कार्यक्रम में ऋण खातों के रूप में 49 प्रतिशत और मंजूर ऋण राशि के रूप में 33 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्ग (अजा/अजजा/अपिव) के उधारकर्ताओं का हिस्सा रहा. अजा, अजजा और अपिव श्रेणी के उधारकर्ताओं का हिस्सा मंजूर ऋणों की संख्या के आधार क्रमशः 17 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 26 प्रतिशत रहा.

सामान्य, अजा, अजजा और अपिव में खातों की कुल संख्या में प्रतिशत अंश

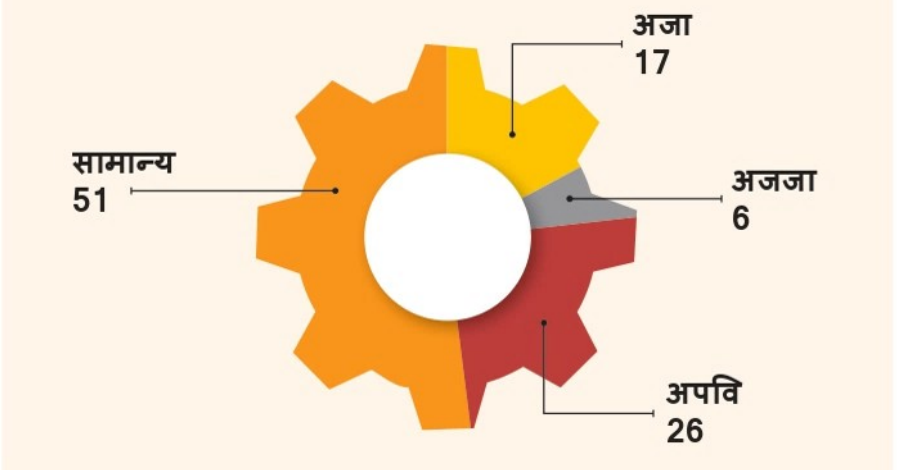

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में पीएमएमवाई के अंतर्गत अल्पसंख्यक श्रेणी के उधारकर्ताओं का हिस्सा खातों की संख्या और राशि के रूप में 8 प्रतिशत रहा.

औसत ऋण आकार

ऋण की विभिन्न श्रेणियों में पीएमएमवाई के अंतर्गत दिये गये ऋणों का औसत आकार का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

	मंजूर राशि (करोड़ रु.)		ऋण खातों की संख्या		औसत ऋण आकार (करोड़ रु.)	
	2019-20	2020-2021	2019-20	2020-2021	2019-20	2020-2021
कुल	3,37,496	3,21,722	6,22,47,606	5,07,35,046	54,218.31	63,412.18

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान पीएमएमवाई के अंतर्गत औसत ऋण आकार गत वर्ष के 54,218 रुपये से बढ़कर 63,412 रुपये हो गया जोकि पीएमएमवाई में किशोर एवं तरुण के बढ़ते हिस्से को बताता है.

मुद्रा कार्ड

एमएसई उधारकर्ताओं को उचित एवं वहनीय लागत पर प्रभावी ढंग से कार्यशील पूंजी निधियां उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा पीएमएमवाई उधारकर्ताओं को रूपे प्लेटफॉर्म पर मुद्रा कार्ड नामक डेबिट कार्ड जारी किया गया है. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 6,834 करोड़ रुपये की राशि के 2.44 लाख मुद्रा कार्ड जारी किये गये हैं.

चूंकि वर्ष के दौरान जारी किये गये कार्ड अगले वर्ष भी उपयोगयोग्य हैं, रिपोर्ट किये गये कार्डों की संख्या वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान जारी किये गये नये कार्डों की ही है. तथापि, उपयोग में मौजूदा कार्डों सहित मुद्रा कार्डों की संचयी संख्या 10 लाख से अधिक है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋणों के लिए ब्याज अनुदान योजना

कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार ने 'मुद्रा-शिशु ऋणों के लिए ब्याज अनुदान योजना' शुरू की, जिसमें सभी मुद्रा-शिशु ऋण आदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा और इसके लिए सिडबी कार्यान्वयन एजेंसी होगी.

इसके कारण 10 अगस्त 2021 तक 98 एमएलआई से 495.29 करोड़ रुपये के दावों की कुल राशि मंजूर की गई है.

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश में निधीविहीन सूक्ष्म उधारकर्ताओं को उनके कारोबारी कार्यकलापों के लिए अत्यधिक जरूरत के लिए ऋण के द्वारा लाखों लोगों की सेवा करती रही है जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके.

पीएमएमएवाई कार्यक्रम ने गत छह वर्षों के दौरान 15.52 लाख करोड़ रुपये की मंजूर राशि से 29.55 करोड़ ऋण खातों को लाभ पहुंचाया है, इस प्रकार देश की मूल स्तर की अर्थव्यवस्था को देश के समग्र आर्थिक विकास में अधिक योगदान प्रदान करने के लिए समर्थ बनाया है.

सांविधिक रिपोर्टें एवं वित्तीय विवरण

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को आपके समक्ष **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा)** के कारोबार और परिचालनों के बारे में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष है. इसके साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी संलग्न है.

वित्तीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपकी कंपनी के परिचालनों से आय 617.11 करोड़ रुपये से घटकर 508.69 करोड़ रुपये हो गई. वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल आय 1,111.90 करोड़ रुपये से घटकर 1,006.67 करोड़ रुपये रह गई, वहीं कर-पश्चात् लाभ 219.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 256.32 करोड़ रुपये हो गया. वित्तीय परिणामों की प्रमुख बातें तालिका में दी गई हैं.

तालिका 1: वित्तीय परिणामों की प्रमुख बातें, वित्तीय वर्ष 2020–2021

(करोड़ रुपये)

विवरण	2019–20	2020-21
परिचालनों से आय #	617.11	508.69
अन्य आय#	494.79	497.99
(अ) कुल आय	**1,111.90**	**1,006.67**
कर्मचारी लाभ पर खर्च	7.13	7.10
वित्तीय लागत	658.72	650.72
मूल्यह्रास खर्च	0.05	0.03
प्रावधान एवं बट्टे खाते डालना	68.26	-0.10
अन्य खर्च	40.35	7.22
(आ) कुल खर्च	**774.51**	**664.96**
कर-पूर्व लाभ (अ-आ)	337.39	341.71
(इ) कुल कर खर्च	**117.57**	**85.38**
वर्ष का लाभ	**219.82**	**256.32**
लाभांश @	25.14	26.81
सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित राशि	150.00	175.00
सांविधिक आरक्षित निधि में हस्तांतरित राशि	43.96	51.26
सीएसआर निधि में हस्तांतरित राशि	0.00	0.00
आधिक्य *	28.43	38.39
प्रति शेयर अर्जन (रु.)	1.31	1.53

@ वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में सदस्यों द्वारा अनुमोदन होने पर.

* इसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के 27.71 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2020-21 के 35.14 करोड़ रुपये का आगे लाया गया लाभ-हानि शेष शामिल है.

\# वित्तीय वर्ष 2019-20 के आंकड़े पुनर्समूहित किये गये हैं.

विनियोजन

सांविधिक आरक्षित निधियों में हस्तांतरण

आपकी कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के प्रावधानों के अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशियां न लेने वाली, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनडीएसआई-एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है. अधिनियम की धारा 45-1सी के अंतर्गत बताये अनुसार 51.26 करोड़ रुपये (निवल लाभ का 20 प्रतिशत) सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है.

सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की अपेक्षाओं के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा 9 जून 2021 को संपन्न अपनी बैठक में प्रस्तावित किये अनुसार 175 करोड़ रुपये की राशि सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांरित कर दी गई है.

लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आनुपातिक आधार 0.16 रु. प्रति इक्विटी शेयर (10 रु. अंकित मूल्य के) (वित्तीय वर्ष 2019-20 में 0.15 रु. प्रति शेयर की तुलना में) का पहला एवं अंतिम लाभाश की सिफारिश की है. यह प्रस्ताव आपक कंपनी की आगामी छठी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है. लाभांश उन सदस्यों को अदा किया जायेगा, जिनके नाम 31 मार्च 2021 को आपकी कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं.

शेयर पूंजी

आपकी कंपनी की 31 मार्च 2021 को चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 1,675.93 करोड़ रुपये थी, जिसमें सिडबी द्वारा पूर्णत: अभिदत्त 10 रु. प्रत्येक के 167.59 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं.

प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

अब तक की प्रगति

(करोड़ रुपये)

यथा 31 मार्च	2020	2021
कुल आस्तियां	19,620	22,925
बकाया पोर्टफोलियो	9,004	13,537
पूंजी-प्राधिकृत	5,000	5,000
- चुकता	1,676	1,676
निवल मालियत	2,309	2,541

पूंजी पर्याप्तता

आपकी कंपनी का 31 मार्च 2021 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 117.74 प्रतिशत था जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बड़े आकार वाली, जमाराशि न लेने वाली, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनडीएसआई-एनबीएफसी) के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा की तुलना में काफी अधिक है.

जमाराशियां

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है और रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऐसा नहीं करेगी.

ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) के अनुसार प्रत्येक कंपनी दिये गये ऋण, किये गये निवेश या दी गई गारंटियां या दी गई प्रतिभूति और ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग किये जाने वाले ऋण या गारंटी या प्रतिभूति का उद्देश्य का पूरा ब्यौरा वित्तीय विवरण में अपने सदस्यों को प्रकट करेगी. तथापि, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसके अधिकार) नियम 2014 के नियम 11 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (11) के अनुसार रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा अपने सामान्य कामकाज के दौरान दिये गये ऋण, दी गई गारंटियां या प्रदत्त प्रतिभूतियों पर अधिनियम की धारा 186 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. इस प्रकार, आपकी कंपनी द्वारा दिये गये पुनर्वित्त का विवरण इस रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गया है.

आपकी कंपनी के निवेश का ब्यौरा वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में टिप्पणी 7 में दिया गया है.

संबद्ध पक्षकारों से लेनदेन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संबद्ध पक्षकारों से लेनदेनों को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को टिप्पणी 39 में दर्शाया गया है जो स्वतंत्र व्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किये गये हैं. जहां अपेक्षित था, निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया था.

इसके अलावा, आपकी कंपनी द्वारा संबद्ध पक्षकारों से कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किये गये हैं. तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी के लेखों से संबद्ध अध्याय IX के अंतर्गत निर्धारित नियमों के फॉर्म एओसी-2 में निर्धारित लेनदेनों के विवरण के प्रकटन की जरूरत नहीं हैं क्योंकि ये लागू नहीं होते हैं.

परिचालन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी ने **16 बैंकों, 6 एमएफआई और 2 एनबीएफसी** को
12,312.65 करोड़ रुपये मंजूर और
12,302.65 करोड़ रुपये वितरित किये.

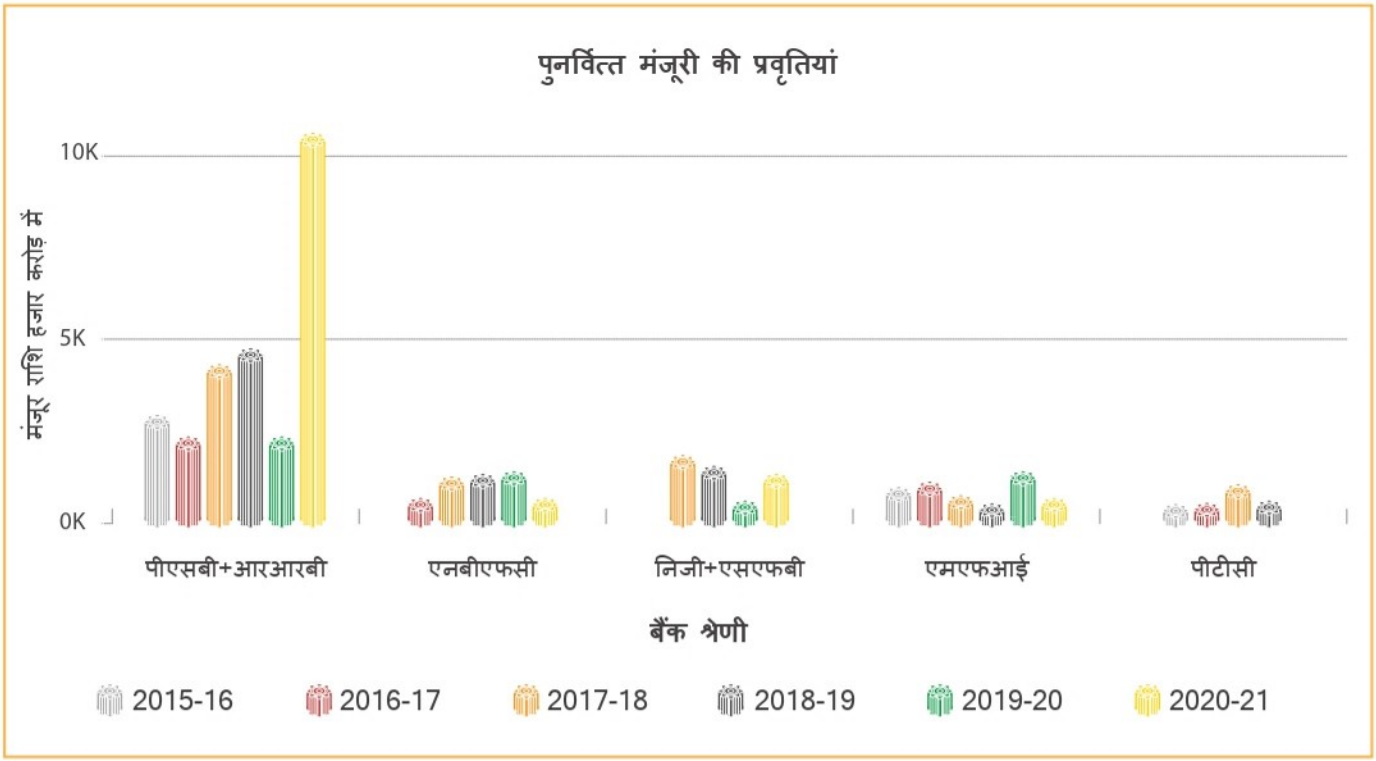

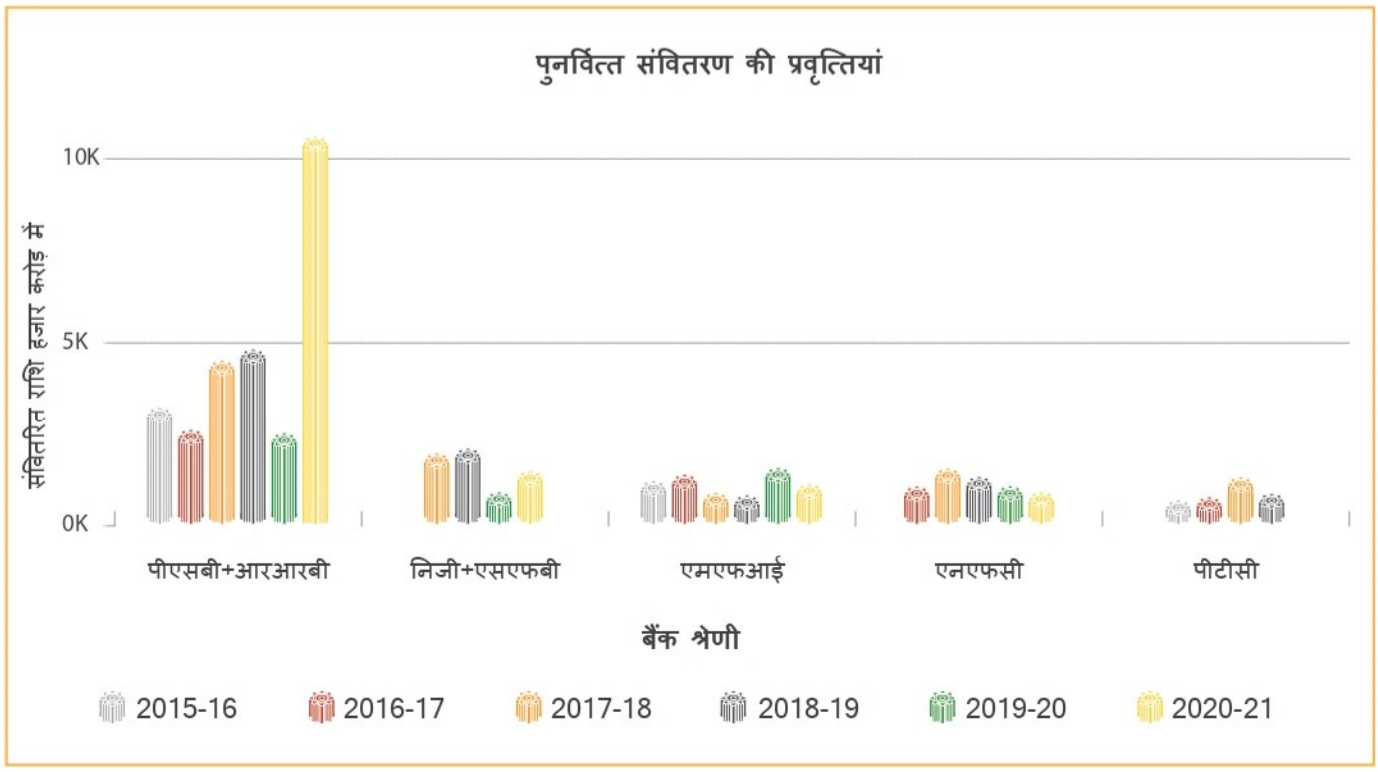

मुद्रा के समग्र परिचालन - वर्ष-वार बकाया

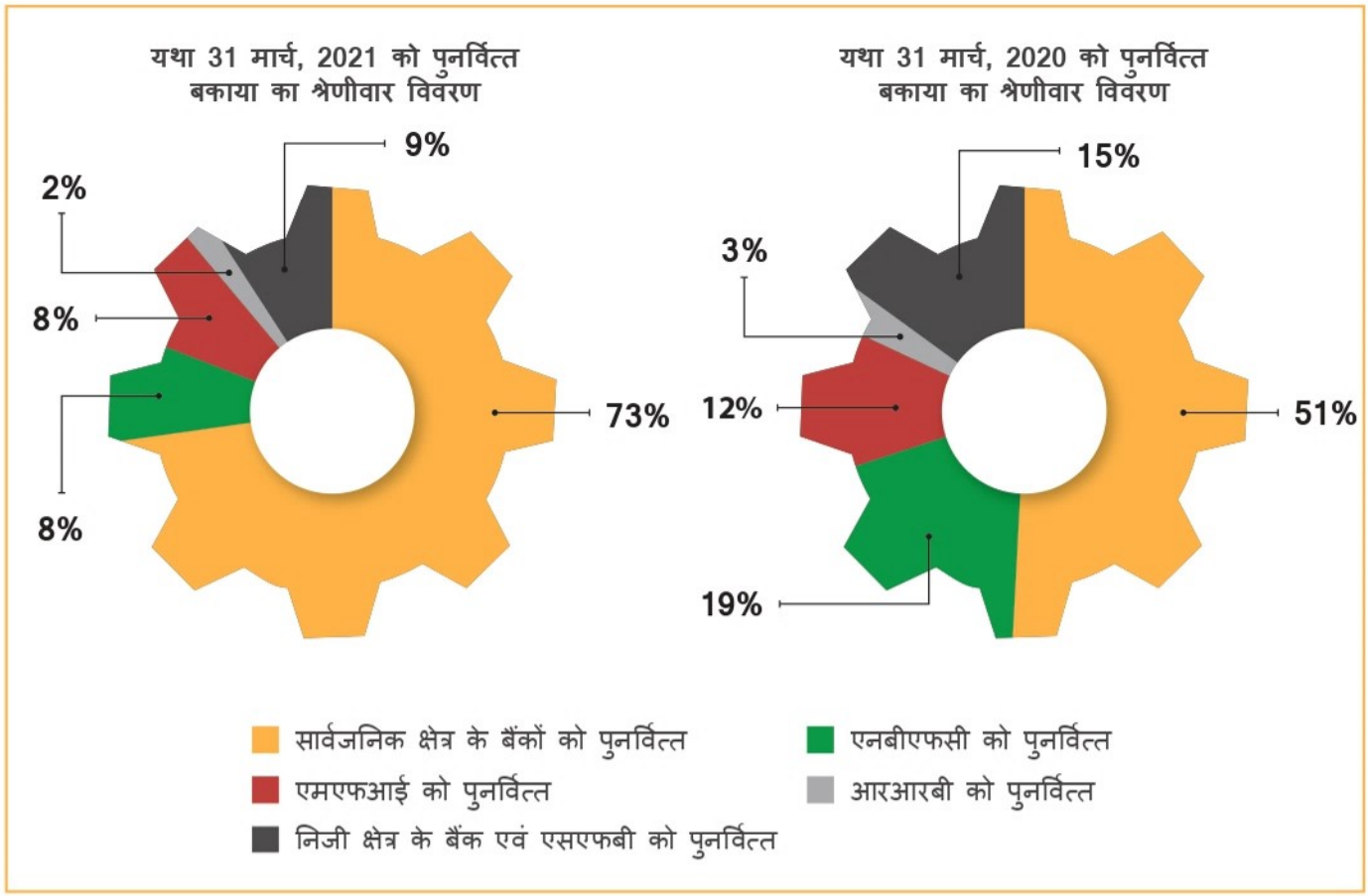

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की परिकल्पना निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में संलग्न आय-उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म/लघु उद्यमों को बैंकों, एनबीएफसी और एमएफआई द्वारा 10 लाख रुपये तक मुद्रा ऋण प्रदान करना है.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत मंजूर 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट राशि को भी पीएमएमवाई के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

मुद्रा ऋणों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- 50,000 रुपये तक के ऋण को शिशु
- 50,000 से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण को किशोर, और
- 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक को तरुण

यह नाम सूक्ष्म उद्यमों के विकास और उनकी निधीयन जरूरतों के चरण को इंगित करते हैं.

पीएमएमवाई की निगरानी

विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिये गये ऋणों के आंकड़े को एकत्रित करने और ऋण के प्रकार, उधारकर्ताओं के प्रकार एवं उनके एजेंसी-वार, राज्य-वार तथा जिले-वार प्रारूप में ब्यौरा जैसे छोटी छोटी जानकारी के साथ भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मुद्रा ने मुद्रा पीएमएमवाई पोर्टल तैयार किया है. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार और मुद्रा इसकी प्रगति की नियमित आधार पर समीक्षा करते हैं.

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

वर्ष के दौरान पीएमएमवाई के जरिये 5.07 करोड़ एमएसएमई ऋण खातों को लाभ मिला है. विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों का ब्यौरा तालिका 2 में दिया गया है.

तालिका 2: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 और 6 वर्ष के संचयी मुद्रा ऋणों और लाभार्थियों की श्रेणियां

	2020-2021			आरंभ से 6 वर्ष का संचयी		
	खातों की संख्या	मंजूर राशि	संवितरित राशि	खातों की संख्या	मंजूर राशि	संवितरित राशि
विवरण		(करोड़ रु.)	(करोड़ रु.)		(करोड़ रु.)	(करोड़ रु.)
शिशु	4,01,80,115 (79%)	1,09,953 (34%)	1,08,637 (35%)	25,77,46,824 (87%)	6,69,855 (43%)	6,61,250 (44%)
किशोर	94,86,160 (19%)	1,32,516 (41%)	1,27,240 (41%)	3,19,50,879 (11%)	5,15,811 (33%)	4,93,868 (33%)
तरुण	10,68,771 (2%)	79,290 (25%)	75,877 (24%)	58,67,831 (2%)	3,66,967 (24%)	3,52,867 (23%)
कुल	**5,07,35,046**	**3,21,759**	**3,11,754**	**29,55,65,534**	**15,52,632**	**15,07,985**
उपर्युक्त में से						
महिलाएं	3,33,03,604 (66%)	1,31,303 (41%)	1,28,370 (41%)	19,98,02,912 (68%)	6,75,246 (43%)	6,41,980 (43%)
नये उद्यमियों के खाते	77,40,581 (15%)	83,336.79 (26%)	79,504 (26%)	6,80,71,751 (23%)	5,20,692 (34%)	4,97,865 (33%)
अज/अजजा/अपिव	2,48,70,347 (49%)	1,05,817 (33%)	1,03,448 (33%)	14,98,81,349 (51%)	5,25,528 (34%)	5,12,665 (34%)

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल में उनका प्रतिशत इंगित करते हैं)

खातों की संख्या के रूप में महिलाओं के उच्च प्रतिशत का कारण शिशु ऋणों में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का उच्च हिस्सा है जिसके अधिकांश ग्राहक महिला उधारकर्ता हैं.

वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएमएमवाई की विभिन्न योजनाओं के उधारकर्ताओं की विशेष श्रेणियों - अजा, अजजा, अपिव, महिला और अल्पसंख्यक - का हिस्सा महत्वपूर्ण बना रहा है.

महिला उधारकर्ताओं का हिस्सा खातों की संख्या के आधार पर 66 प्रतिशत और मंजूर राशि के आधार पर 41 प्रतिशत रहा है.

पीएमएमवाई कार्यक्रम में समाज के अल्प सुविधाप्राप्त वर्गों (अजा, अजजा और अपिव) की सहभागिता ऋण खातों की संख्या के रूप में 49 प्रतिशत और मंजूर ऋण राशि के रूप में 33 प्रतिशत था. अजा, अजजा और अपिव का हिस्सा मंजूर ऋण खातों की संख्या के रूप में क्रमशः 17 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 26 प्रतिशत था.

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में उधारकर्ताओं की अल्पसंख्यक श्रेणी का हिस्सा खातों की संख्या और राशि के रूप में 8 प्रतिशत रहा.

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में नये ऋण खातों का हिस्सा कुल ऋण खातों का 15 प्रतिशत और कुल मंजूर राशि का 26 प्रतिशत रहा. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के 1.19 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान पीएमएमवाई के अंतर्गत लगभग 77 लाख नये ऋण खाते खोले गये.

इस प्रकार मुद्रा योजना उन कई एमएसई उद्यमियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करती रही हैं जो अन्यथा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर थे और काफी हद तक निधीविहीन को निधियां प्रदान के मुद्दे का समाधान करती रही है.

खंडीय कार्यक्रमों में सहभागिता

कोविड-19 के कारण वर्ष के दौरान कोई खंडीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया.

कॉरपोरेट अभिशासन

निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान मुद्रा के बोर्ड की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार विभिन्न तारीखों को 4 बैठकें हुई. इन बैठकों का विवरण अनुबंध I में दिया गया है.

बैठकों के बीच समय अंतराल और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार बैठकें आयोजित करने के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उनके अधीन बनाये गये नियमों एवं सचिवीय मानकों का पालन किया गया.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के बारे में नीति

कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक

आपकी कंपनी में एक पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशक हैं जो मुद्रा के कर्मचारी हैं. उनका पारिश्रमिक आपकी कंपनी द्वारा अदा किया जाता है.

एनआरसी चार्टर

कंपनी का नामांकन और पारिश्रमिक चार्टर कंपनी की वेबसाइट www.mudra.org.in पर देखा जा सकता है.

गैर-कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों (नामिती निदेशकों और भारत सरकार से निदेशकों के अलावा) को बोर्ड और निदेशकों की समिति में उनकी उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क के रूप में पारिश्रमिक अदा किया जाता है.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

मुद्रा के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त हो गई है और बोर्ड संतुष्ट है कि वे सभी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के अंतर्गत वर्णित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं.

बोर्ड का मूल्यांकन

निदेशकों, समितियों, बोर्ड के अध्यक्ष और संपूर्ण बोर्ड का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अपनाये गये मानदंड और ढांचे के आधार किया गया. वित्तीय वर्ष 2020-21 के मूल्यांकन के परिणाम पर नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और बोर्ड द्वारा चर्चा की गई.

कर्मचारियों का ब्यौरा

आपकी कंपनी ने ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया है जिसका पारिश्रमिक कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के दायरे में आता हो.

प्रशिक्षण एवं कैरियर विकास

आपकी कंपनी अपने स्टाफ के सत्त विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है. वर्ष के दौरान स्टाफ सदस्यों ने केवाईसी और पीएमएल दिशानिर्देशों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की.

निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

प्रवेशन

वर्ष के दौरान निम्नलिखित नियुक्तियां की गईः

- 4 जून 2020 से मुद्रा के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती स्मिता अफिनवाला
- 26 जून 2020 से मुद्रा के नामिती निदेशक के रूप में श्री वेंकटराव सत्य वसंत राव

पुनर्नियुक्तियां

- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाये गये संबंधित नियमों के अनुसार श्री वेंकटराव सत्य वसंत राव, नामिती निदेशक और श्री सुदत्त मंडल, नामिती निदेशक आगामी वार्षिक साधारण बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत होगें और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं. बोर्ड की उनकी पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा की है.
- प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में आवर्तन से ऐसे निदेशक सेवानिवृत्त होंगे जो उनकी गत नियुक्ति से सर्वाधिक लंबी अवधि से पद पर रहे हैं. श्री सुदत्त मंडल, नामिती निदेशक 28 मई 2021 से नियुक्ति किये गये थे, अतः सबसे अधिक अवधि तक पद पर हैं, वे आगामी वार्षिक साधारण बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे.

सेवानिवृत्तियां एवं त्यागपत्र

- श्री हर्ष श्रीवास्तव, स्वतंत्र निदेशक ने 31 जुलाई 2020 से त्यागपत्र दे दिया. निदेशक मंडल ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिये गये बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी प्रशंसा दर्ज की.

- श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष एवं नामिती निदेशक, सिडबी द्वारा 27 अगस्त 2020 से नामांकन वापस लेने के कारण अध्यक्ष एवं नामिती निदेशक नहीं रहे. कंपनी के अध्यक्ष एवं नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिये गये बहुमूल्य योगदान के लिए निदेशक मंडल ने उनकी प्रशंसा दर्ज की.

- श्री पिलारिसेत्ती सतीश, स्वतंत्र निदेशक अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूर्ण करने के कारण 9 नवम्बर 2020 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे. कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिये गये बहुमूल्य योगदान के लिए निदेशक मंडल ने उनकी प्रशंसा दर्ज की.

- श्री मनोज मित्तल, नामिती निदेशक, सिडबी द्वारा उनका नामांकन वापस लेने के कारण 21 जनवरी 2021 से नामिती निदेशक नहीं रहे. कंपनी के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिये गये बहुमूल्य योगदान के लिए निदेशक मंडल ने उनकी प्रशंसा दर्ज की.

पदनाम में परिवर्तन

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशन में परिवर्तन का विवरण अनुबंध I में दिया गया है.

बोर्ड की समितियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और रिज़र्व बैंक विनियमनों के अनुपालन में 31 मार्च 2021 को बोर्ड की छह समितियां थीं - लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंध समिति, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, कार्यपालक समिति और आईटी रणनीति समिति. बोर्ड एवं समितियों की संरचना अनुबंध I में दी गई है.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड एवं समितियों की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की 4 (चार) बैठकें, लेखापरीक्षा समिति की 4 (चार) बैठकें, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 4 (चार) बैठकें, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की 1 (एक) बैठक, जोखिम प्रबंध समिति की 4 (चार) बैठकें, आईटी रणनीति समिति की 2 (दो) बैठकें और कार्यपालक समिति की 1 (एक) बैठक आयोजित की गई.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इसकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी ने कारोबार का सुव्यवस्थित एवं कार्यक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं अपनाई हैं और विभिन्न योजनाओं एवं प्रक्रियाओं के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किये हैं. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इनकी जांच कर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से परिचालन करने की पुष्टि की.

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

इस रिपोर्ट में दिये गये वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने के बाद आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं नहीं की गई हैं.

विनियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा सार्थक एवं महत्वपूर्ण आदेश

चालू संस्था की स्थिति और कंपनी के परिचालनों को भविष्य में प्रभावित करने वाला कोई सार्थक एवं महत्वपूर्ण आदेश विनियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया है.

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) के अनुसार वार्षिक विवरणी का सार निर्धारित प्रारूप में बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंध III में दिया गया है. इसे www.mudra.org.in पर भी देखा जा सकता है.

सचिवीय मानक

कंपनी लागू सभी सचिवीय मानकों को पूरा करती है.

निदेशकों का उत्तरदायित्व : विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुसरण में निदेशक पुष्टि करते हैं कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार,

(क) महत्वपूर्ण विचलनों के बारे में समुचित स्पष्टीकरण के साथ वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानक अपनाये गये हैं.

(ख) उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियां चुनी हैं, उनको लगातार अपनाया है और ऐसे समुचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में कंपनी के कार्यों और उस अवधि में कंपनी के लाभ-हानि की सही एवं उचित स्थिति बतायें.

(ग) कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताएं रोकने एवं पता करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है.

(घ) उन्होंने जारी संस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किये हैं.

(ङ) उन्होंने कंपनी द्वारा अपनाये जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किये हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं और,

(च) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की हैं और ये प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी ढंग से चल रही हैं.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में प्रकटन

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए कंपनी की शून्य सहनशीलता है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने, प्रतिषेध और शिकायतों के निवारण के लिए बनाये गये नियमों (अधिनियम) के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण की नीति अपनाई है. कंपनी की यौन उत्पीड़न रोधी नीति मुद्रा के बुलेटिन बोर्ड पर उपलब्ध है.

कंपनी ने अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) भी गठित की है. आईसीसी का विवरण बुलेटिन बोर्ड पर दिया गया है.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षक

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

- वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा रिपार्ट में कोई कमी, प्रारक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है. इसके अलावा, किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा आपकी कंपनी में धोखाधड़ी करने की कोई घटना घटित नहीं हुई है जिसे लेखापरीक्षकों द्वारा केन्द्र सरकार को रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित था. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई कमी या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है जिसका कोई स्पष्टीकरण/व्याख्या अपेक्षित हो. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंध II में दी गई है.

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी सिडबी के स्वामित्व या नियंत्रण में है जो संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी. तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा मेसर्स वी सी शाह (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, पंजीकरण सं. 109818W) को वित्तीय वर्ष 2020-21 की लेखापरीक्षा करने के लिए मुद्रा के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया.

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 की अपेक्षानुसार बोर्ड ने आपकी कंपनी के वित्तीय वर्ष 2020-21 की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए पेशेवर कंपनी सचिव श्री दीपेन्द्र ओमप्रकाश शुक्ला को नियुक्त किया है.

सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

आपकी कंपनी की पूरक लेखापरीक्षा 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 के दौरान भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आईएएडी), वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय के द्वारा की गई. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ आईएएडी द्वारा मांगी गई जानकारी उनके कार्यालय को विधिवत रूप से भेजी गई.

सीएजी के प्रेक्षणों के आधार पर मुद्रा ने वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित परिवर्तन किये हैं:

1. 64.99 लाख रुपये के प्रावधान (टिप्पणी सं.16) को अब गैर-वित्तीय देयताएं (टिप्पणी सं.16) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.
2. नकदी प्रवाह विवरण में वर्णित नकदी एवं नकदी समतुल्य को 13,513.07 लाख रुपये को सही कर नकदी प्रवाह विवरण में 13,359.46 लाख रुपये किया गया है.

लेखापरीक्षा के आधार पर वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक के कार्यालय ने 6 अक्तूबर 2021 के अपने पत्र द्वारा शून्य प्रेक्षण के साथ लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया है. लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ पत्र की प्रति संलग्न है.

आंतरिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में मेसर्स कोचर एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया गया.

उन्होंने मासिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कीं, जिन पर विचार किया गया और सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट की गई.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपकी कंपनी की निवल मालियत, टर्नओवर, चुकता शेयर पूंजी ने उस सीमा-रेखा को पार कर लिया जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के अंतर्गत निर्धारित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन के लिए आवश्यक है.

आपकी कंपनी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत निधि (पीएम केयर्स निधि) में 4,27,57,534 रुपये का अंशदान किया है.

सीएसआर नीति का विवरण वेबसाइट www.mudra.org.in पर उपलब्ध है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार सीएसआर के बारे में वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध IV में दी गई है.

चौकसी व्यवस्था

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसके अधिकार) के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) और (10) के अनुपालन में आपकी कंपनी सिडबी के केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के समग्र पर्यवेक्षण में सिडबी के केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के दिशानिर्देशों का पालन करती है.

प्रभारी सतर्कता अधिकारी सीवीओ, सिडबी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है.

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्त संस्था (एनडीएसआई) के रूप में आपकी कंपनी का उद्देश्य हमेशा लागू रिज़र्व बैंक के कानूनों एवं विनियमनों के अनुपालन के साथ परिचालन करना है और इन्हें हासिल करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करती है.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पीएमएमवाई और मुद्रा योजनाओं के बारे में पूछताछ करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत डीएफएस, रिज़र्व बैंक, सिडबी और सीधे तौर पर 40 सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन प्राप्त हुए हैं. आपकी कंपनी ने सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान कर दिया.

पारदर्शिता/प्रकटन

40 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, ऐसे सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निपटान किया गया.

ऊर्जा बचत, विदेशी विनिमय मुद्रा का अर्जन और खर्च

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किये गये कार्यकलापों के स्वरूप के आधार पर ऊर्जा बचत के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत अपेक्षित ब्यौरा आपकी कंपनी पर लागू नहीं होता है अतः इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है.

आपकी कंपनी बिजली का उपभोग केवल परिचालन एवं प्रशासनिक कार्यकलापों के लिए ही करती है.

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई आय एवं खर्च नहीं हुआ है.

प्रौद्योगिकी का समावेश

मुद्रा कंप्यूटरीकृत परिवेश में कार्य कर रही है. इसने अपनी व्यापक जरूरतों के लिए सामान्य खाताबही खातों और ऋण प्रबंधन के लिए साफ्टवेयर की खरीद की है और दोनों के प्रमुख संघटकों को पहले से कार्यान्वित किया जा चुका है. पीएमएमवाई के अंतर्गत सभी बैंकों/एमएफआई/एनबीएफसी द्वारा दिये जा रहे ऋणों से संबंधित आंकड़े एकत्रित एवं समेकित करने के लिए पोर्टल मौजूद है. यह पोर्टल काफी सुदृढ़ है और विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करता है तथा विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करता है.

पोर्टल का उपयोग भारत सरकार द्वारा पीएमएमवाई कार्यनिष्पादन के लिए रणनीति बनाने, अनुवर्ती कार्रवाई करने और निगरानी के लिए किया जा रहा है.

आभार

बोर्ड इस अवसर पर अपने सभी स्टेकधारियों, विशेषकर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय रिज़र्व बैंक; कंपनी मामलों का मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से प्राप्त उत्कृष्ट संरक्षण के लिए हार्दिक सराहना करता है और उनके सतत सहयोग के लिए धन्यवाद देता है.

बोर्ड शेयरधारकों द्वारा उनमें सतत विश्वास और भरोसा व्यक्त करने के लिए उनके प्रति भी आभार प्रकट करता है. बोर्ड कंपनी के सभी स्तर के कार्यपालकों एवं कर्मचारियों के उत्साह, प्रतिबद्धता और निष्ठा की भी सराहना करता है.

आपका बोर्ड कंपनी के लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक को भी उनकी परामर्श और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता है.

कृते और बोर्ड की ओर से
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि.

सिवसुब्रमणियन रमन,
अध्यक्ष
डीआईएनः 07685657

दिनांक: अक्तूबर 13, 2021
स्थान: मुंबई

निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध

अनुबंध I

31 मार्च 2021 को निदेशक मंडल

क्र.सं.	नाम (श्रीमती/श्री /सुश्री)		नियुक्ति की तारीख
सरकार और सिडबी के नामिती			
1	सुचिंद्र मिश्र	संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, भारत सरकार के नामिती	फरवरी 19, 2020
2	वसंतराव सत्य वेंकटराव	उप प्रबंध निदेशक, सिडबी, सिडबी के नामिती निदेशक	जून 26, 2020
कार्यपालक निदेशक			
3	आलोक गुप्ता	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुद्रा	अगस्त 07, 2018
स्वतंत्र निदेशक			
4	अरविंद कुमार जैन		फरवरी 08, 2018
5	स्मिता अफिनवाला		जून 04, 2020

वर्ष 2020-21 के दौरान अवधि समाप्त वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें

क्र.सं.	नाम (श्रीमती/श्री /सुश्री)	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	अवधि समाप्ति की तारीख
1.	हर्ष श्रीवास्तव	स्वतंत्र निदेशक	सितम्बर 27, 2019	जुलाई 31, 2020
2.	मोहम्मद मुस्तफा, आईएएस	अध्यक्ष एवं नामिती निदेशक, मुद्रा	अगस्त 28, 2017	अगस्त 27, 2020
3.	पिलारिसेत्ती सतीश	स्वतंत्र निदेशक	नवम्बर 10, 2015	नवम्बर 09, 2020
4.	मनोज मित्तल	नामिती निदेशक	फरवरी 22, 2017	जनवरी 21, 2021

वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकें

क्र.सं.	बैठक की तारीख	मंडल की सदस्य संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	जून 04, 2020	7	6
2.	अगस्त 21, 2020	8	7
3.	नवम्बर 18, 2020	6	5
4.	फरवरी 24, 2021	5	5

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुद्रा के निदेशक मंडल की समितियां

लेखापरीक्षा समिति

नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
श्री पिलारिसेत्ती सतीश *	अध्यक्ष	दिसम्बर 01, 2015
श्री अरविंद कुमार जैन #	सदस्य	जुलाई 18, 2018
श्री मनोज मित्तल *	सदस्य	नवम्बर 22, 2019
श्रीमती स्मिता अफिनवाला	सदस्य	जुलाई 20, 2020

श्री पी. सतीश का कार्यकाल पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता श्री अरविंद कुमार जैन ने की.

* श्री पिलारिसेत्ती सतीश और श्री मनोज मित्तल क्रमश: 9 नवम्बर 2020 और 21 जनवरी 2021 से निदेशक नहीं रहे.

नामांकन और पारिश्रमिक समिति		
नाम	**पदनाम**	**नियुक्ति की तारीख**
श्री सुचिंद्र मिश्र	अध्यक्ष	फरवरी 19, 2020
श्री पिलारिसेत्ती सतीश *	सदस्य	दिसम्बर 01, 2015
श्री अरविंद कुमार जैन	सदस्य	जुलाई 18, 2018
श्रीमती स्मिता अफिनवाला	सदस्य	जुलाई 20, 2020

* श्री पिलारिसेत्ती सतीश 9 नवम्बर 2020 से निदेशक नहीं रहे.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति		
नाम	**पदनाम**	**नियुक्ति की तारीख**
श्री आलोक गुप्ता	अध्यक्ष	अगस्त 07, 2018
श्री पिलारिसेत्ती सतीश *	सदस्य	जनवरी 28, 2016
श्री हर्ष श्रीवास्तव *	सदस्य	अक्तूबर 15, 2018
श्री वसंत राव सत्य वेंकटराव	सदस्य	जुलाई 20, 2020
श्रीमती स्मिता अफिनवाला	सदस्य	जून 03, 2021

* श्री हर्ष श्रीवास्तव और श्री पिलारिसेत्ती सतीश क्रमश: 31 जुलाई 2020 और 9 नवम्बर 2020 से निदेशक नहीं रहे.

जोखिम प्रबंधन समिति		
नाम	**पदनाम**	**नियुक्ति की तारीख**
श्री आलोक गुप्ता	अध्यक्ष	अगस्त 07, 2018
श्री अरविंद कुमार जैन	सदस्य	अप्रैल 23, 2018
श्री पिलारिसेत्ती सतीश *	सदस्य	जनवरी 01, 2019
श्री वेंकटराव सत्य वसंत राव	सदस्य	जुलाई 20, 2020

* श्री पिलारिसेत्ती सतीश 9 नवम्बर 2020 से निदेशक नहीं रहे.

अनुबंध II

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

प्रति
सदस्यगण,
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा लि.)
स्वावलंबन भवन, सी-11, जी-ब्लाक,
बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुबई-400051, महाराष्ट्र, भारत.

मैंने **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि.** (इसमें इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों और अच्छी कॉरपोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. जारी कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति के मद्देनजर विभिन्न रिकॉर्डों के भौतिक सत्यापन की सीमाओं के कारण सचिवीय लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई है जो हमें कॉरपोरेट संचालन/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए उचित आधार प्रदान करें और उन पर हमारा अभिमत व्यक्त किया जा सके.

कंपनी की बहियों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म और प्रस्तुत विवरणियों तथा कंपनी द्वारा साफ्ट कॉपी में रखा गया अन्य रिकॉर्ड, विधिवत अभिप्रमाणित और सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का हमारे द्वारा सत्यापन करने के आधार पर हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने लेखा परीक्षा अवधि 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखापरीक्षा अवधि) के दौरान इसमें नीचे वर्णित सांविधिक प्रावधानों का नीचे उल्लिखित प्रेक्षणों के अधीन पालन किया है. तथापि, इसमें इसके बाद रिपोर्ट किये गये ढंग और के अधीन की सीमा तक कंपनी ने पास समुचित पर्याप्त बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन की कार्यप्रणाली लागू कर रखी है:

मैंने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और प्रस्तुत विवरणियों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों; (कंपनी पर लागू नहीं)

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाये गये विनियमन एवं उप-नियम; (कंपनी पर लागू नहीं)

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियम एवं विनियमन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाहरी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक; (कंपनी पर लागू नहीं)

निम्नलिखित विनियमन और दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित किये गये हैं:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियमन, 2011; (कंपनी पर लागू नहीं)

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियमन, 1992; (कंपनी पर लागू नहीं)

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 (कंपनी पर लागू नहीं);

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 (कंपनी पर लागू नहीं);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियमन, 2008 (कंपनी पर लागू नहीं);

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों से लेनदेन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमन, 1993; (कंपनी पर लागू नहीं)

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियमन, 2009; (कंपनी पर लागू नहीं); और

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियमन, 1998; (कंपनी पर लागू नहीं);

(झ) विशेष रूप से कंपनी पर लागू अन्य विधान, यथा:

(अ) एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के साथ पठित प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार न करने वाली या धारक) कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश 2015, जो लागू हो.

मैंने निम्नलिखित के संबंध में लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(क) दि इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक

(ख) शेयरों बाज़ारों के साथ कंपनी द्वारा किये गये सूचीबद्धता करार (कंपनी पर लागू नहीं)

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

- कंपनी का निदेशक मंडल कार्यपालकों, गैर-कार्यपालकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित प्रतिनिधित्व के साथ विधिवत गठित किया जाता है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किये गये बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किये गये थे.
- बोर्ड की बैठकों के कार्यक्रम की सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची से संबंधित विस्तृत नोट कम से कम 7 दिन पहले भेजे गये और बैठक में सार्थक चर्चा करने के लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और जानकारी हासिल करने एवं स्पष्टीकरण मांगने की प्रणाली मौजूद है.
- सभी संकल्प बहुसंख्यक निदेशकों की सहमति से पारित किये गये और तदनुसार कार्यवृत्त तैयार किये गये.

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

- लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन के लिए कंपनी के आकार एवं परिचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं.

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऊपर वर्णित कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के पालन में कंपनी के कार्यों को अधिक प्रभावित करने वाली कोई विशिष्ट घटनाएं/कार्यवाही नहीं हुई हैं.

कृते दीप शुक्ला एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

दीप शुक्ला
{एकलस्वामी}
एफसीएस: 5652
सीपी नं. 5364
यूडीआईएन: F005652C000798840

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18.08.2021

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

सदस्यगण,
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा लि.)

मैं यह भी बताता हूं कि इस तारीख की मेरी उपर्युक्त रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाये.

1. सचिवीय/सांविधिक रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है. मेरी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन रिकॉर्डों पर राय प्रकटन करना है.

2. मैंने सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यतता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए समुचित लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं को पालन किया है.

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

4. जहां अपेक्षित था, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमनों एवं घटनाओं के घटित होने, आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन से अभिवेदन प्राप्त किया है.

5. कॉरपोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. मेरी जांच प्रक्रियाओं का परीक्षण आधार पर सत्यापन तक सीमित है.

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कंपनी के कार्यों के प्रबंधन द्वारा संचालन की क्षमता या प्रभावशीलता का आश्वासन है.

कृते दीप शुक्ला एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

दीप शुक्ला
{एकलस्वामी}
एफसीएस: 5652
सीपी नं. 5364
यूडीआईएन: F005652C000798840

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18.08.2021

अनुबंध III

फॉर्म सं. एमजीटी 9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुरूप

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरा

1.	सीआईएन	U65100MH2015PLC274695
2.	पंजीकरण तारीख	18 March 2015
3.	कंपनी का नाम	माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि.
4.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा सार्वजनिक सीमित/भारतीय गैर-सरकारी कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क का विवरण	स्वावलंबन भवन, सी-11, जी-ब्लाक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुबई-400051
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं.
7.	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क का ब्यौरा	लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. सी 101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई-400083

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

(कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 प्रतिशत या इससे अधिक अंशदान वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का वर्णन किया जायेगा)

क्र.सं.	प्रमुख योजनाओं/सेवाओं का नाम और विवरण	योजना/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर में %
1.	बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई (एनबीएफसी-एमएफआई सहित) को उधार एवं पुनर्वित्तपोषण	649	100.00

III. धारक, सहायक संस्था और सहयोगी कंपनियों का ब्यौरा

(कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 प्रतिशत या इससे अधिक अंशदान वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का वर्णन किया जायेगा)

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1.	* भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश	649	100%	धारा 2 (87)(II)

* सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत निगमित एक विकास वित्त संस्था है

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का अलग-अलग ब्यौरा)

(i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या [यथा अप्रैल 1, 2020]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [यथा मार्च 31, 2021]				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत / एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केन्द्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) निकाय निगम.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड) बैंक/एफआई	1675925920	0	1675925920	100.00	1675925920	0	1675925920	100.00	0.00
च) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) विदेशी धारिता									
क) व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) निकाय कॉरपोरेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (अ)	1675925920	0	1675925920	100.00	1675925920	0	1675925920	100.00	0.00
आ. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थाएं									
क) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक/एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केन्द्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड) उद्यम पूंजी निधियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झ) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (आ)(1):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. गैर-संस्थाएं									
क) निकाय कॉरपोरेट									
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत	6	0	6	0.01	6	0	6	0.01	0
i) व्यक्तिगत शेयरधारकों की धारिता 1 लाख रुपये तक की अंकित शेयर पूंजी	6	0	6	0.01	6	0	6	0.01	0
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकों की धारिता 1 लाख रुपये से अधिक की अंकित शेयर पूंजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अनिवासी भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी कॉरपोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी नागरिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समाशोधन सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
न्यास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी निकाय - डीआर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (आ) (2):-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (आ)=(आ)(1)+(आ)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
इ. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल योग (अ+आ+इ)	**1675925926**	**0**	**1675925926**	**100**	**1675925926**	**0**	**1675925926**	**100**	**0**

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी/भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी/ भारित शेयरों का %	
1.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	1675925920	100	0	1675925920	100	0	0.00
	कुल	**1675925920**	**100**	**0**	**1675925920**	**100**	**0**	**0.00**

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	1,675,925,920	100	1,675,925,920	100
	वर्ष के अंत में	**1,675,925,920**	**100**	**1,675,925,920**	**100**

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रमोटरों एवं जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा)

क्र. सं.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		तारीख	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान और वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री एस.एन. सिंह (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	31 जुलाई 2017	0	-	1	0
2.	श्री कैलाश चन्द्र भानू (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	31 जुलाई 2017	0	-	1	0
3.	श्री विनय एस हेडाऊ (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	27 जुलाई 2018	0	-	1	0
4.	श्री अनिल कुलकर्णी (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	27 जुलाई 2018	-1	- शेयरों का अंतरण	0	0
5.	श्रीमती वाई. मुन्नी कुमारी (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	27 जुलाई 2018	0	-	1	0
6.	श्री रवि त्यागी (सिडबी के प्रतिनिधि)	1	0	27 जुलाई 2018	0	-	1	0
7.	श्री संजय गोयल (सिडबी के प्रतिनिधि)	0	0	21 अगस्त 2020	1	- शेयरों का अंतरण	1	0

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	-	-	0.00	-	0.00

V) ऋणग्रस्तता: इसमें कंपनी पर बकाया/उपचित ब्याज लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं शामिल है.

	जमाराशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमाराशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन राशि	-	-	1,68,75,00,00,000	1,68,75,00,00,000
ii) देय लेकिन अदा न किया गया ब्याज	-	-	1,50,62,02,730	1,50,62,02,730
iii) उपचित लेकिन देय न ब्याज	-	-	0.00	0.00
कुल (i+ii+iii)			**1,70,25,62,02,730**	**1,70,25,62,02,730**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* वृद्धि	-	-	99,52,65,00,000	99,52,65,00,000
कमी	-	-	68,75,00,00,000	68,75,00,00,000
निवल परिवर्तन	**-**	**-**	**30,77,65,00,000**	**30,77,65,00,000**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता			**1,99,52,65,00,000**	**1,99,52,65,00,000**
i) मूलधन राशि	-	-	1,31,52,36,515	1,31,52,36,515
ii) देय लेकिन अदा न किया गया ब्याज	-	-	0	0
iii) उपचित लेकिन देय न ब्याज	-	-	2,00,84,17,36,515	2,00,84,17,36,515
कुल (i+ii+iii)	**-**	**-**	**1,99,52,65,00,000**	**1,99,52,65,00,000**

* बैंकों से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋणों में कमी के अंतर्गत जमारिशियां.

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

अ. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र.सं;	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक (सीईओ)/प्रबंधक का नाम (2019-20)	कुल राशि
1.	सकल वेतन	श्री आलोक गुप्ता (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकरी)	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वेतन	₹ 70,00,000	₹ 70,00,000
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-
3.	स्वीट इक्विटी	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें	-	-
5.	अन्य, कृपया बतायें	-	-
	कुल (अ)	**₹ 70,00,000**	**₹ 70,00,000**
	अधिनियम के अनुसार सीमा		

आ. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
1.	**स्वतंत्र निदेशक**	**श्री पिलारिसेत्ती सतीश**	**श्री अरविंद कुमार जैन**	**श्री हर्ष श्रीवास्तव**	**श्रीमती स्मिता अफिनवाला**	
	बोर्ड/ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	₹ 2,75,000	₹ 5,40,000	₹ 60,000	₹ 3,70,000	₹ 12,45,000
	कमीशन	-	-	-		-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-		-
	कुल (1)	**₹ 2,75,000**	**₹ 5,40,000**	**₹ 60,000**	**₹ 3,70,000**	**₹ 12,45,000**
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक	-	-	-		-
	बोर्ड/ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	-	-	-		-
	कमीशन	-	-	-		-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-		-
	कुल (2)	-	-	-		-
	कुल (आ)=(1+2)	-	-	-		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणित कंपनी के निवल लाभ के 3 प्रतिशत से कम				

इ. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		कुल
		मुख्य वित्तीय अधिकारी	**कंपनी सचिव**	
		श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव	**सुश्री पूजा कुकरेती**	
1.	**सकल वेतन**	₹ 54,06,033	₹ 8,00,000	₹ 62,06,033
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3.	स्वीट इक्विटी			
4.	कमीशन			
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-
	- अन्य, उल्लेख करें...	-	-	
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें - अनुलाभ, आवास और साधारण छुट्टी का नकदीकरण			
	कुल	**₹ 54,06,033**	**₹ 8,00,000**	**₹ 62,06,033**

टिप्पणी: मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पारिश्रमिक का विवरण ऊपर मद संख्या VI.अ में दिया गया है.

VII. अपराधों के लिए जुर्माना /सजा/ कम्पाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई जुर्माना /सजा/ कम्पाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकारी [आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई की हो, (ब्यौरा दें)
अ. कंपनी					
जुर्माना					
सजा					
कम्पाउंडिंग					
आ. निदेशक					
जुर्माना					
सजा			NIL		
कम्पाउंडिंग					
इ. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
जुर्माना					
सजा					
कम्पाउंडिंग					

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड

सिवसुब्रमणियन रामन
अध्यक्ष
डीआईएन: 07685657

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 अक्तूबर 2021

अनुबंध IV

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूप रेखा

मुद्रा की परिकल्पना के मद्देनजर मुद्रा निधीयन और विकास में सहयोग कर सतत सामाजिक रूपांतरण में योगदान के महत्व को स्वीकार करती है. एक जिम्मेदार कॉरपोरेट संस्था के तौर पर मुद्रा निधीयन और संवर्धनात्मक सहायता के जरिये समाज के अल्पसुविधा प्राप्त लोगों को सहायताप्रदान कर समाज के कार्यों में योगदान में भी विश्वास करती है. अत: मुद्रा की सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नीति में व्यवसायिक और विकासपरक दोनों शामिल हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक अभिविन्यास के साथ सतत विकास करना है. इसके अंतर्गत सीमांत लोगों को शामिल करना होगा जो मूल विनियामक एवं स्टेकधारी की अपेक्षाओं के परे हैं. मुद्रा की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुरूप तैयार की गई है और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए इसके अंतर्गत नियम बनाये गये हैं.

सीएसआर नीति मुद्रा की वेबसाइट www.mudra.org.in पर उपलब्ध है.

2. सीएसआर समिति की संरचना:

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति		
नाम	**पदनाम**	**नियुक्ति की तारीख**
श्री आलोक गुप्ता *	अध्यक्ष	अगस्त 07, 2018
श्री विनय हेडाऊ*	अध्यक्ष	अगस्त 05, 2021
श्री पिलारिसेत्ती सतीश*	सदस्य	जनवरी 28, 2016
श्री हर्ष श्रीवास्तव*	सदस्य	अक्तूबर 15, 2018
श्री वेंकटराव सत्य वसंतराव	सदस्य	जुलाई 20, 2020
श्रीमती स्मिता अफिनवाला	सदस्य	जून 03, 2021

*वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान श्री हर्ष श्रीवास्तव और श्री पिलारिसेत्ती सतीश क्रमश: 31 जुलाई 2020 और 9 नवम्बर 2020 से निदेशक नहीं रहे. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान श्री आलोक गुप्ता 1 अगस्त 2021 से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं रहे और 2 अगस्त 2021 से श्री विनय हेडाऊ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति किये गये.

3. वर्ष 2020-21 में कंपनी का औसत निवल लाभ और निर्धारित सीएसआर खर्च:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु)
1	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार निवल लाभ (3 वर्ष)	6,41,36,30,149.76
2	3 वर्ष का औसत लाभ	2,13,78,76,716.59
3	वित्तीय वर्ष 2020-21 में औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत सीएसआर पर खर्च किया जाना है.	4,27,57,534

4. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च का ब्यौरा.

क. वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्च की जाने वाली कुल राशि - ₹ 4,27,57,534

ख. खर्च न की गई राशि - शून्य

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि के ढंग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

आपकी कंपनी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत निधि (पीएम केयर्स निधि) में 4,27,57,534 रु. का अंशदान किया गया है.

5. यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल रही है तो उसके कारण -

कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए अपेक्षित राशि खर्च की है. अतः इस क्लाज के अंतर्गत रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है.

विनय हेडाऊ
प्रबंध निदेशक और सीएसआर समिति के अध्यक्ष
डीआईएन: 07916221

दिनांक: अक्तूबर 14, 2021
स्थान: मुंबई

'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016' के अंतर्गत संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट

To,
निदेशक मंडल,
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड

1. हमने **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2021 का तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण, वर्ष के अंत में इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं, उन पर दिनांक 9 जून 2021 की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के द्वारा लेखापरीक्षा पर हमारा अभिमत जारी किया गया है. इन वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है. हमने लेखापरीक्षा उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुच्छेद 6 - 'लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी' में विनिर्दिष्ट ढंग से की है.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 (निर्देश) की अपेक्षानुसार, उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में वर्णित हमारी लेखापरीक्षा और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस उद्देश्य के आवश्यक थी, के आधार पर कंपनी पर लागू हद तक उपर्युक्त निर्देशों के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं.

अ. निर्देशों की मद 3(ए)

3. जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम) की धारा 45-1(ए) में परिभाषित किया गया है, कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) के कारोबार में लगी है और वर्ष के दौरान अधिकांश समय दिनांक 8 अप्रैल 1999 की रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति में बताये अनुसार मूल कारोबार मानदंड (वित्तीय आस्तियां/आय स्वरूप) को पूरी करती है, तथा मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार इसे अधिनियम की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है. कंपनी 28 जुलाई 2016 के संदर्भ सीओआरसं.एन-13.02124 के द्वारा जनता से जमाराशि न लेने वाली एनबीएफआई के रूप में रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत है.

i. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निर्धारित मूल कारोबार मानदंड (वित्तीय आस्ति/आय स्वरूप) के आधार पर कंपनी सीओआर को धारित करते रहने की हकदार है.

ii. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निर्धारित, मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में बताये अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निवल स्वाधिकृत निधि अपेक्षा को पूरा करती है.

आ. निर्देशों की मद 3 (सी)

i. निदेशक मंडल ने 4 जून 2020 को जनता से जमाराशि स्वीकार न करने के लिए संकल्प पारित किया है.

ii. इस रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है.

iii. कंपनी ने आय निर्धारण, लेखांकन मानकों, आस्ति वर्गीकरण और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा किया है जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान इस पर लागू हैं.

iv. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशि न लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी के संबंध में:

(क) फॉर्म डीएनबीएस-3 में बैंक को प्रस्तुत विवरण में प्रकट पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना सही की गई है और क्या ऐसा अनुपात बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुरूप है;

(ख) कंपनी ने बैंक को पूंजी निधियों, जोखिम आस्तियां/एक्सपोजर और जोखिम आस्ति अनुपात का वार्षिक विवरण प्रस्तुत कर दिया है (डीएनबीएस-3).

4. यह रिपोर्ट केवल निर्देशों के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए जारी की गई है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग या वितरित करने का कोई अभीष्ट नहीं है.

कृते **वी.सी. शाह एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
फर्म पंजीकरण सं. 109818W

ह./-
विरल जे. शाह
भागीदार
संदस्य सं. 110120
मुंबई, 9 सितम्बर 2021
यूडीआईएन: 21110120AAAAEF6345

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की संशोधित रिपोर्ट

सदस्यगण, माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

अभिमत

हमने **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड** (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2021 का तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण, वर्ष के अंत में इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें प्रदान किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित ढंग में आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं और भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एएस") सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2021 को कंपनी के कार्यों की स्थिति, लाभ एवं अन्य व्यापक आय, इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष में इक्विटी में परिवर्तन के संबंध में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं.

अभिमत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में लेखापरीक्षा मानकों (एस) के अनुरूप वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का वर्णन हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी' अनुभाग में किया गया है. अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबद्ध नैतिक अपेक्षाओं के साथ इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी 'नैतिक संहिता' के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं एवं आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां भी पूरी की हैं. हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणों के बारे में लेखापरीक्षा पर हमारा अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और समुचित हैं.

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय ऐसे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे. ये मामले एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारा अभिमत बनाने में पूरे संबोधित किये गये तथा इन मामलों पर हम अलग से अभिमत प्रदान नहीं करते. हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए हमने नीचे वर्णित मामलों को प्रमुख लेखापरीक्षा विषय नियत किये हैं.

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा विषय	लेखापरीक्षक का जवाब
1.	ऋण एवं अग्रिमों की हानि की पहचान और आंकने में प्रबंधन का निर्णय महत्वपूर्ण होता है. इंड एएस 109 के लागू होने पर ऋण हानि का निर्धारण अब अनुमानित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल पर आधारित है. हानि की छूट की गणना ऐतिहासिक चूक और हानि अनुपात सहित अनुमान से की जाती है. प्रबंधन हानि की मात्रा के निर्धारण के लिए विभिन्न कारकों के आधार पर निर्णय लेता है. सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: • ऋण बही का खंडीकरण • ऋण स्तर का मानदंड • चूक की संभाव्यता/चूक पर हानि की गणना • संभाव्यता भारित परिदृश्य और भावी बृहत आर्थिक कारकों पर विचार करना • लागू लेखांकन मानकों के प्रकटन का अनुपालन	विषय के महत्व के मद्देनजर पर्याप्त समुचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की अन्य बातों के साथ इस क्षेत्र में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई गई: **डिजाइन/नियंत्रण** • इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के आधार पर हानि के सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया • हानि प्रभार की गणना में प्रयुक्त ऋण हानि प्रक्रिया पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन और कार्यान्वयन को आंका गया. • हानि छूट के परिमापन और वित्तीय विवरणों में प्रकटन के लिए प्रबंधकीय समीक्षा नियंत्रणों की जांच की गई. **तात्विक जांच** • लेखांकन सिद्धांतों के समुचित अनुप्रयोग, आंकड़ों की संपूर्णता और सत्यता को प्रमाणित करना तथा मॉडल में प्रयुक्त मान्यताओं के औचित्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया. • आंकड़ों की संपूर्णता, सत्यता और प्रासंगिकता का मूल्यांकन करने के लिए हानि छूट की गणना के विवरण की जांच करना

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल लेकिन वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं है, शामिल है और उन पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट.

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और उन पर हम किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष प्रकट नहीं करते हैं.

वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी ऊपर अभिज्ञात अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर यह विचार करना कि ऐसी अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से असल में असंगत है या लेखापरीक्षा में हासिल या अन्यथा हमारी जानकारी को असल में गलत बयान किया जाना है. यदि हमारे द्वारा किये गये कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का अत्यधिक गलत बयान किया गया है, तो हमसे वह तथ्य रिपोर्ट करने की अपेक्षा है. इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ है.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट इंड एएस सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है कि जो वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन, नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन की सही एवं उचित दृष्टिकोण देते हैं.

इस जिम्मेदारी में कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताएं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखना; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उपयुक्त और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना जो लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यतता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन में थे, जो वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबद्ध हों जो सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान करें और महत्वपूर्ण गलतबयानी, धोखाधडी या त्रुटि के कारण, से मुक्त हों, भी शामिल है;

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन चालू संस्था के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबद्ध मामले, जो लागू हों, का प्रकटन करना और लेखांकन का चालू संस्था आधार का उपयोग करने, सिवाय उस स्थिति में जब प्रबंधन का कंपनी का परिसमापन करने का इरादा हो या परिचालन बंद करना हो या ऐसा करने के अलावा अन्य कोई उचित विकल्प न हो, के लिए जिम्मेदार है.

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी जिम्मेदार है.

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य, क्या वित्तीय विवरण पूरी तरह से महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से हों, से मुक्त हैं, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत हो. उचित आश्वासन, आश्वासन का उच्च स्तर है लेकिन गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा उस महत्वपूर्ण गलतबयान, जो मौजूद है, का हमेशा पता लगायेगा. गलतबयान धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकता है और तब महत्वपूर्ण माना जाता है जब अकेले या संयुक्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिये गये आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप में प्रभावित करने की संभावना हो.

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद बनाये रखते हैं. हम यह भीः

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की जोखिम की पहचान एवं आंकलन करते हैं, उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाते हैं और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हों. त्रुटि की बजाय धोखाधड़ी से हुई महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न लगाने की जोखिम अधिक होती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या-प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रिया डिजाइन की जाये जो उस परिस्थिति में उपयुक्त हो. अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम हमारा अभिमत व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं.
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों का औचित्य तथा प्रबंधन द्वारा किये गये संबद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना.
- लेखांकन का चालू संस्था आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता का निर्णय करना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबद्ध कोई

महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सके. यदि हम यह तय करते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है तो हमसे वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटनों के अंतर्गत हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा होती है या ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे अभिमत में संशोधन करना है. हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षा की हमारी रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किये गये लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं. तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां कंपनी के चालू संस्था के रूप में जारी रखने को रोक सकती हैं.

- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का ऐसे ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं जो उचित प्रस्तुतीकरण को पूरा करते हैं.

हम अन्य मामलों के साथ लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी, जिनकी हम हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषण करते हैं.

हम अभिशासन के प्रभारी लोगों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हम स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और सभी के बारे में एवं अन्य ऐसे मुद्दों पर संप्रेषण करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबद्ध सुरक्षा पर कोई यथोचित प्रभाव डाल सके.

अन्य मुद्दे

9 जून 2021 की यूडीआईएन 21110120AAAACF2055 वाली हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीएजी के दिनांक 28 जुलाई 2021 और 2 अगस्त 2021 के पीओएम सं. 2 और 3 के जवाब में संशोधित की गई है. सीएजी के प्रेक्षणों के आधार पर कंपनी ने वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित परिवर्तन किये हैं:

1. 64.99 लाख रुपये के प्रावधान (टिप्पणी सं.16) को अब गैर-वित्तीय देयताएं (टिप्पणी सं.16) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

2. नकदी प्रवाह विवरण में वर्णित नकदी और नकदी समतुल्य राशि 13513.07 लाख रुपये हो सही कर 13359.46 लाख रुपये किया गया है (नकदी प्रवाह विवरण).

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर सीएजी द्वारा किये गये प्रेक्षणों का प्रभाव देने के लिए प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में किये गये संशोधन के लिए हम इसके साथ हमारी संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न करते हैं.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अंतर्गत भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 की अपेक्षानुसार हम आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण "अनुबंध ए" में देते हैं.

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि -

   (क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;

   (ख) हमारी राय में कंपनी विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखती है जो इन बहियों की हमारी जांच से लगता है.

   (ग) इस रिपोर्ट में दिये गये तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

   (घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट इंड एएस का पालन करते हैं.

   (ङ) 31 मार्च 2021 का निदेशकों से प्राप्त लिखित निरूपण, जो निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप नियुक्त किये जाने के लिए 31 मार्च 2021 को अयोग्य नहीं है.

   (च) इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावशीलता के संबंध में इस रिपोर्ट के "अनुबंध बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें. हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित राय व्यक्त करती है.

   (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में किये गये संशोधन और हमारी

सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. 31 मार्च 2021 को कंपनी पर कोई विचाराधीन मुकदमा नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा.

ii. कोई ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं की है जिसके कारण निकट भविष्य में कोई उल्लेखनीय हानि हो.

iii. ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो.

3. अधिनियम की धारा 143 (5) के अंतर्गत संशोधित निर्देशों की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) कंपनी के पास लेखांकन के सभी लेनदेनों को आईटी प्रणाली के जरिये प्रोसस करने की प्रणाली मौजूद है. वर्ष के दौरान आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन प्रोसस नहीं किया गया है.

ii) किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना का कोई मामला नहीं है या ऋण की चुकौती में उनकी असमर्थता के कारण वर्ष के दौरान ऋणदाता द्वारा कंपनी को किसी ऋण/ कर्ज/ब्याज आदि की माफी/ बट्टे खाते नहीं डाला है.

iii) वर्ष के दौरान संस्था को निधियां प्राप्त हुई हैं अर्थात् केन्द्रीय एजेंसियों (वित्त विभाग, भारत) से प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के प्रचार पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति. एजेंसी से प्राप्त निधियों का समुचित लेखांकन किया गया है और व्यवस्था की शर्तों के अनुरूप उपयोग किया गया है.

इसके अलावा मुद्रा को राज्य सरकार से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है.

कृते **वी.सी. शाह एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 109818W

ह./-
विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्य सं. 110120
मुंबई, 9 सितम्बर 2021
यूडीआईएनः 21110120AAAAEF6345

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ए

(31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड** के सदस्यों को इस तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में उल्लिखित)

i. (क) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाने के साथ समुचित रिकॉर्ड रखा है जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल आस्तियों की स्थिति शामिल है.

(ख) कंपनी की अचल आस्तियों की सभी मदों को शामिल कर चरणबद्ध ढंग से सत्यापन का कार्यक्रम है जो कंपनी के आकार और इसकी आस्तियों के स्वरूप के अनुसार हमारी राय में उपयुक्त है. कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कुछ अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन में कोई उल्लेखनीय विसंगति नहीं देखी गई.

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर कंपनी के पास 31 मार्च 2021 को कोई अचल संपत्ति नहीं है जो संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण शीर्षक में शामिल हो.

ii. कंपनी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और किसी माल में लेनदेन नहीं करती है तथा लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं है. तद्नुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के क्लाज 3 (ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते.

iii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में शामिल पक्षकारों को कोई ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत, मंजूर नहीं किया है.

iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूतियां मंजूर नहीं की गई हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू हो. तद्नुसार, उपर्युक्त आदेश के अनुच्छेद 3 के क्लाज (iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते.

v. कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमाराशियां स्वीकार करना) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के अभिप्राय के भीतर जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है. तद्नुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के क्लाज 3 (v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते.

vi. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए अधिनियम की धारा 148 (1) के अंतर्गत लागत का रिकार्ड रखने के लिए विनिर्दिष्ट नहीं किया है. तद्नुसार, कंपनी के लिए आदेश के क्लाज 3(vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है.

vii. कंपनी अविवादित सांविधिक देयताएं उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा कराने में प्रायः नियमित है जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, मूल्य योजित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर एवं इस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताएं शामिल हैं.

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य योजित कर, उपकर एवं अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं के संबंध में कोई भी अविवादित देय राशि 31 मार्च 2021 को उनके देय होने की तारीख से छह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं हैं.

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य योजित कर की कोई देयराशि नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा न कराई गई हो.

viii. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकार से लिये गये ऋणों या उधारराशियों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है. तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद 3 का क्लाज (viii) के प्रावधान लागू नहीं होते.

ix. वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक आफर या दूसरे सार्वजनिक आफर (ऋण लिखतों सहित) या मीयादी ऋणों के रूप में कोई धनराशि उधार नहीं ली है. तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 का क्लाज (ix) लागू नहीं है.

x. कंपनी की बहियों एवं रिकॉर्ड की हमारे द्वारा जांच भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन पद्धतियों के अनुरूप की गई और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर उल्लेखनीय धोखाधड़ी की कोई घटना देखी या रिपोर्ट नहीं हुई और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले के बारे में सूचित किया गया.

xi. अधिनियम के अनुसार कंपनी के सार्वजनिक सीमित कंपनी होने के कारण अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है. तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 का क्लाज (xi) लागू नहीं है.

xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है. तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 का क्लाज (xii) लागू नहीं है.

xiii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ किये गये लेनदेन अधिनियम की धारा 188, जहां लागू है, के अनुपालन में हैं और लागू लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार संबद्ध पक्षकार के साथ लेनदेनों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है. धारा 177 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और तद्नुसार, अधिनियम की धारा 177 के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है. अतः टिप्पणी नहीं की गई है.

xiv. वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार के शेयरों का अधिमानी आबंटन या निजी नियोजन या पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किये हैं. तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के क्लाज (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते.

xv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किये हैं. तद्नुसार आदेश का अनुच्छेद 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं है.

xvi. कंपनी रिज़र्व बैंक के पास "जनता से जमाराशियां स्वीकार न करने वाली एनबीएफआई" के रूप में पंजीकृत है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र सीओआर सं. एन-13.02124 दिनांक 28 जुलाई 2016 उपलब्ध है.

कृते **वी.सी. शाह एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 109818W

ह./-
विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्य सं. 110120
मुंबई, 9 सितम्बर 2021
यूडीआईएनः 21110120AAAAEF6345

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध बी

(31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड के सदस्यों को इस तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत अनुच्छेद 2 (एफ) में उल्लिखित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के क्लाज (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2021 को **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा सम तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में निर्देश नोट में बताये गये आंतरिक रिपोर्टिंग के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाये रखने के लिए कंपनी का प्रबंध जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार को सुव्यवस्थित एवं कार्यक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित है, इसमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़िया एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की सत्यतता और संपूर्णता तथा अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करना शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है. हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर निर्देश नोट (निर्देश नोट) तथा अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किये जाने वाले लेखांकन के मानक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू होने की सीमा तक, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किये गये हैं, के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है. ये मानक और निर्देश नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बात के लिए उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करें कि क्या इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाये रखे गये हैं तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण विषयों में प्रभावी ढंग से परिचालित होते हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने और उनके प्रभावी ढंग से परिचालन के लिए प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, उल्लेखनीय कमजोरी के मौजूद होने की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और परिचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है. वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की जोखिम का आकलन करने सहित चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं.

हमें विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है. एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी के लेनदेनों और आस्तियों के विन्यास को सही एवं उचित प्रकार से उपयुक्त विवरण के साथ प्रदर्शित करे, (2) इस बात का उपयुक्त आश्वासन

प्रदान करें कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए यथा आवश्यक लेनदेनों को रिकॉर्ड करें और कंपनी की प्राप्तियां एवं खर्च कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुरूप ही किया जा रहा है, और (3) कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान को रोकने या समय पर पता लगाना, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंध की संभावना से नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन हो सकता है और जिसका पता न लगे. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का अनुमान उस जोखिम के अधीन है जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण घट सकता है.

अभिमत

हमारे अभिमत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के बारे में निर्देश नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड के आधार पर 31 मार्च 2021 को ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे.

कृते **वी.सी. शाह एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 109818W

ह./-
विरल जे. शाह
भागीदार
सदस्य सं. 110120
मुंबई, 9 सितम्बर 2021
यूडीआईएनः 21110120AAAAEF6345

तुलनपत्र

यथा 31 मार्च 2021

(लाख रुपये)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्तियां			
वित्तीय आस्तियां			
(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य	4	13,318.63	4,21,125.99
(ख) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	5	9,19,642.86	6,09,957.15
(ग) ऋण	6	13,53,701.82	9,00,400.11
(घ) निवेश	7	-	18,727.22
(ड) अन्य वित्तीय आस्तियां	8	85.42	-
गैर वित्तीय आस्तियां			
(क) वर्तमान कर आस्तियां (निवल)	9	3,156.83	2,028.10
(ख) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	10	2,534.26	9,739.04
(ग) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	11	3.40	4.09
(घ) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां		72.75	47.50
(ड) अन्य अमूर्त आस्तियां	12	0.00	0.55
कुल आस्तियां		**22,92,515.97**	**19,62,029.75**
देयताएं एवं इक्विटी			
देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
(क) देय राशियां	13		
I) व्यापारिक देय राशियां		-	-
II) अन्य देय राशियां		65.52	118.13
(ख) जमाराशियां	14	20,08,417.37	17,02,562.03
(ग) अन्य वित्तीय देयताएं	15	8.93	13.12
गैर-वित्तीय देयताएं			
(क) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	16	29,971.42	28,402.31
कुल देयताएं		**20,38,463.23**	**17,31,095.59**
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	17	1,67,592.59	1,67,592.59
(ख) अन्य इक्विटी	18	86,460.15	63,341.56
कुल इक्विटी		**2,54,052.74**	**2,30,934.15**
कुल देयताएं और इक्विटी		**22,92,515.97**	**19,62,029.75**
संलग्न नोट देखें जो वित्तीय विवरणों के भाग हैं.	1 to 66		

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी. सी. शाह एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म नं.: 109818W

ह./-
विरल जे. शाह
भागीदार
संदस्य सं.: 110120

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
विनय हेडाऊ
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 07916221

ह./-
वसंत राव सत्य वेंकटराव
निदेशक
डीआईएन: 00334394

ह./-
अमिताभ मिश्र
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./-
पूजा कुकरेती
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: सितम्बर 09,2021

लाभ एवं हानि विवरण

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपये)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	**परिचालनों से आय**			
	ब्याज आय	19	99,664.99	1,10,334.29
	फीस और कमीशन से आय	20	838.92	476.25
	उचित मूल्य परिवर्तनों से निवल लाभ	21	155.29	299.02
	परिचालनों से कुल आय		**1,00,659.19**	**1,11,109.56**
II.	अन्य आय	22	8.15	80.61
III.	**कुल आय (I+II)**		**1,00,667.34**	**1,11,190.17**
IV.	**खर्च**			
	वित्त लागत	23	65,071.97	65,872.35
	वित्तीय लिखतों से अनर्जकता	24	-10.47	6,826.15
	कर्मचारी लाभ खर्च	25	668.33	685.22
	मूल्यह्रास, परिशोधन और अनर्जकता	26	3.09	4.99
	अन्य खर्च	27	763.50	4,062.05
	कुल व्यय (IV)		**66,496.42**	**77,450.75**
V.	**कर-पूर्व लाभ/(हानि)**		34,170.93	33,739.42
VI.	**कर खर्चः**	28		
	वर्तमान कर		1,333.68	10,546.33
	आस्थगित कर		7,204.78	1,211.57
VII.	**वर्ष का लाभ/(हानि) (VI-VII)**		**25,632.47**	**21,981.52**
	अन्य व्यापक आय			
A.	**मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जायेंगी**		-	-
B.	**मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत की जायेंगी**		-	-
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		-	-
	कुल व्यापक आय		**25,632.47**	**21,981.52**
VIII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**	29		
	मूल (रु.)		1.53	1.31
	न्यूनीकृत (रु.)		1.53	1.31

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी. सी. शाह एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म नं.: 109818W

ह./-
विरल जे. शाह
भागीदार
संदस्य सं.: 110120

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
विनय हेडाऊ
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 07916221

ह./-
वसंत राव सत्य वेंकटराव
निदेशक
डीआईएन: 00334394

ह./-
अमिताभ मिश्र
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./-
पूजा कुकरेती
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: सितम्बर 09,2021

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपये)

	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**		
	कर-पूर्व लाभ	34,170.93	33,739.42
	कर-पूर्व निवल लाभ		
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
	मीयादी जमाराशियों और सीडी से ब्याज आय	(49,635.07)	(49,099.29)
	म्यूच्युअल फंडों की बिक्री से लाभ	(155.29)	(299.02)
	मूल्यहास और परिशोधन	3.09	4.99
	वित्तीय लिखतों पर अनर्जकता	(10.47)	6,826.15
	कर वापसी पर ब्याज	-	(78.97)
	अपफ्रंट फीस का परिशोधन	13.10	474.78
	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च	-	671.58
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन (हानि)/लाभ	**(15,613.71)**	**(7,760.36)**
	कार्यशीलपूंजी में घट-बढ़		
	ऋणों में (वृद्धि)/कमी	(4,53,234.91)	2,75,960.78
	अन्य वित्तीय आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(85.42)	-
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	-	1,358.95
	अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(52.62)	2.84
	अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(4.19)	8.50
	अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	1,569.11	28,269.13
	परिचालनों से उत्पन्न नकदी	**(4,67,421.74)**	**2,97,839.84**
	प्रदत्त आयकर	(2,462.40)	(11,996.69)
	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए प्रदत्त	-	(671.58)
	परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी उत्पन्न/(में प्रयुक्त)	**(4,69,884.14)**	**2,85,171.58**
ख.	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**		
	अचल आस्तियों और अमूर्त आस्तियों की खरीद	(27.10)	(0.43)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी - जमा प्रमाणपत्र	18,729.09	(17,712.33)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी - कॉरपोरेट जमाराशियां	-	-
	मीयादी जमाराशियों में (वृद्धि)/कमी (3 महीने से अधिक परिपक्वता वाली)	(3,09,877.12)	(2,96,749.84)
	मीयादी जमाराशियों एवं सीडी से ब्याज आय	49,635.07	48,082.53
	म्यूच्युअल फंड की बिक्री से लाभ	155.29	299.02
	म्यूच्युअल फंड में निवेश में कमी	-	40,040.37
	निवेश कार्यकलापों से/(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	**(2,41,384.77)**	**(2,26,040.68)**
ग.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**		
	जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	3,05,855.34	1,89,098.94
	प्रदत्त लाभांश	(2,513.89)	(335.19)
	प्रदत्त लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	(68.91)
	वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	**3,03,341.45**	**1,88,694.85**
	नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल (वृद्धि)/कमी	**(4,07,927.46)**	**2,47,825.75**
	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**4,21,286.92**	**1,73,461.18**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**13,359.46**	**4,21,286.92**

नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य का मिलान
उपर्युक्त के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैः

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
बैंकों के पास चालू खातों में शेष	112.63	48.55
नकद शेष	0.02	0.04
3 महीने से कम परिपक्वतावाली बैंक जमाराशियां	13,246.80	4,21,238.33
कुल	**13,359.46**	**4,21,286.92**
वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तनों से संबंधित प्रकटनों के लिए, टिप्पणी 37 देखें.		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - नोट सं.1 से 3		
संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं.		

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी. सी. शाह एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म नं.: 109818W

ह./-
विरल जे. शाह
भागीदार
संदस्य सं.: 110120

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
विनय हेडाऊ
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 07916221

ह./-
वसंत राव सत्य वेंकटराव
निदेशक
डीआईएन: 00334394

ह./-
अमिताभ मिश्र
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./-
पूजा कुकरेती
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: सितम्बर 09,2021

इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

यथा 31 मार्च 2021

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,67,592.59	1,67,592.59
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	1,67,592.59	1,67,592.59

ख. अन्य इक्विटी

(लाख रुपये)

शेयरधारकों की श्रेणी	आरक्षित निधियां और आधिक्य						अन्य व्यापक आय	कुल
	प्रतिभूति प्रीमियम	विकास निधि	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित अर्जन	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1सी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षित निधियां		
1 अप्रैल 2019 को शेष	**7,407.41**	**200.00**	**23,000.00**	**3,175.71**	**671.58**	**7,309.44**	**-**	**41,764.14**
अवधि में लाभ				21,981.52			-	21,981.52
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1सी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण	-	-	-	(4,396.30)		4,396.30	-	-
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	15,000.00	(15,000.00)		-	-	-
विकास निधि में अंतरण	-	-	-	-		-	-	-
सीएसआर निधि में अंतरण				671.58	(671.58)			-
कुल	**7,407.41**	**200.00**	**38,000.00**	**6,432.51**	**-**	**11,705.74**	**-**	**63,745.66**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	(335.19)		-	-	(335.19)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	(68.91)		-	-	(68.91)
31 मार्च 2020 को	**7,407.41**	**200.00**	**38,000.00**	**6,028.41**	**-**	**11,705.74**	**-**	**63,341.56**
अवधि में लाभ				25,632.47			-	25,632.47
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1सी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण	-	-	-	(5,126.49)		5,126.49	-	-
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	17,500.00	(17,500.00)			-	-
सीएसआर निधि में अंतरण	-	-	-	-	-		-	-
सीएसआर निधि से अंतरण				-	-			-
कुल	**7,407.41**	**200.00**	**55,500.00**	**9,034.39**	**-**	**16,832.23**	**-**	**88,974.04**
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	(2,513.89)		-	-	(2,513.89)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-		-	-	-
31 मार्च 2021 को	**7,407.41**	**200.00**	**55,500.00**	**6,520.50**	**-**	**16,832.23**	**-**	**86,460.15**

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी. सी. शाह एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म नं.: 109818W

ह./-
विरल जे. शाह
भागीदार
संदस्य सं.: 110120

स्थान: मुंबई
दिनांक: सितम्बर 09,2021

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
विनय हेडाऊ
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 07916221

ह./-
अमिताभ मिश्र
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./-
वसंत राव सत्य वेंकटराव
निदेशक
डीआईएन: 00334394

ह./-
पूजा कुकरेती
कंपनी सचिव

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. कॉरपोरेट सूचना

माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा) भारत में अधिवासी सार्वजनिक सीमित कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) के रूप में पंजीकृत है. इसका पंजीकृत कार्यालय स्वावलंबन भवन, सी-11, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र 400051 पर स्थिति है.

मुद्रा बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को भी पुनर्वित्त प्रदान करती है.

2. तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित और अधिनियम के अन्य संबद्ध प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरा करते हैं.

मुद्रा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) के रूप में पंजीकृत है और इसे एनबीएफसी-एनडीएसआई पर लागू विनियामक एवं प्रकटन मानकों का पालन करना है.

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक के वित्तीय विवरण कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों और अधिनियम के अन्य संबद्ध प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये थे.

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष से वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस, इंड एएस 101 सहित, के अनुसार तैयार किये गये हैं. इंड एएस पहली बार अपनाये गये.

वित्तीय विवरण निम्नलिखित आस्तियों एवं देयताओं को छोड़कर ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किये गये हैं:

i) कुछ ऐसी वित्तीय आस्तियां एवं देयताएं जो उचित मूल्य पर आंकी जाती हैं.

ii) निर्दिष्ट लाभ योजनाएं - उचित मूल्य पर आंकी गई योजना आस्तियां.

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रु.) में प्रस्तुत किये जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा है और सभी मूल्यों को नजदीकी लाख रुपये, जहां अन्यथा इंगित किया गया है को छोड़कर, में पूर्णांकित किया जाता है.

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग III का पालन करने के लिए कंपनी अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश देती है (एनबीएफसी को इंड एएस का पालन करना है). रिपोर्ट की तारीख से 12 महीने के भीतर (चालू) और रिपोर्ट की तारीख से 12 महीने से अधिक (गैर-चालू) समय में वसूली या निपटान से संबंधित विश्लेषण नोट सं. 34 में प्रस्तुत किया गया है.

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

3.1 आय निर्धारण

निर्धारण और मापन:

आय का निर्धारण तब किया जाता है जब आय की राशि को विश्वसनीय ढंग से आंका जा सकता है और यह संभावना हो कि लेनदेन से संबद्ध आर्थिक लाभ संस्था को मिलेगा. आय को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य के द्वारा आंका जायेगा.

3.1.1 ब्याज आय:

सभी वित्तीय लिखतों, एफवीटीपीएल के रूप में आंकी या निर्धारित को छोड़कर, से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज विधि (ईआईआर) का उपयोग कर लाभ या हानि खाते में दर्शाया जाता है. एफवीटीपीएल के रूप में आंके गये वित्तीय लिखतों पर ब्याज को वर्ष के दौरान उचित मूल्य में घट-बढ़ के भीतर शामिल किया जाता है.

गैर-ऋण अनर्जक वित्तीय आस्तियों की सकल वहन राशि पर ईआईआर लागू कर ब्याज आय की गणना की जाती है (अर्थात किसी प्रत्याशित ऋण हानि छूट का समायोजन करने से पहले वित्तीय आस्ति की परिशोधित लागत पर). ऋण अनर्जक वित्तीय आस्तियों के लिए ब्याज आय की गणना ऋण अनर्जक वित्तीय आस्तियों की परिशोधित लागत में ईआईआर लागू कर किया जाता है (अर्थात् सकल वहन राशि में से प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) की छूट को घटाकर).

ईआईआर वह दर है जिस पर वित्तीय लिखत की प्रत्याशित अवधि में अनुमानित भावी नकदी भुगतान या प्राप्तियों या जहां उपयुक्त हो, कम अवधि में, वित्तीय आस्तियों की सकल

वहन राशि को या वित्तीय देयता की परिशोधित लागत को बट्टाकृत किया जाता है. प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों पर विचार कर प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है (उदाहरणार्थ, समय-पूर्व चुकौती, विस्तार, क्रय और समरूप विकल्प) लेकिन प्रत्याशित ऋण हानियों को शामिल नहीं किया जाता.

ब्याज अनुदान योजना पर प्रबंध शुल्क आय की गणना पूर्ण किये गये कार्य के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर की जाती है.

3.2 कराधान

आय कर खर्च वर्तमान में देय कर और आस्थगित कर के योग का निरूपण करता है.

वर्तमान कर

वर्तमान आय कर प्रभार की गणना अधिनियमित कर कानूनों या रिपोर्ट करने के अवधि तक अस्तित्व में आये कानूनों के आधार पर की जाती है. करयोग्य लाभ, लाभ एवं हानि विवरण में बताये गये 'कर पूर्व लाभ' अन्य वर्षों में करयोग्य या कटौतीयोग्य आय या खर्च की मदों और कभी भी करयोग्य या कटौतीयोग्य मदों के कारण भिन्न है.

आस्थगित कर

आस्थगित कर वित्तीय विवरणों में आस्तियों एवं देयताओं की वहन राशि और करयोग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधार के अस्थायी अंतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है. आस्थगित कर देयताएं प्राय: सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए निर्धारित की जाती हैं. आस्थगित कर आस्तियां प्राय: उस सीमा तक सभी कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए निर्धारित की जाती हैं जितनी यह संभावना है कि उन कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए उपलब्ध करयोग्य लाभ का उपयोग किया जा सके. ऐसा आस्थगित आस्तियों और देयताएं तब निर्धारित नहीं की जाती हैं जब लेनदेन में आस्ति और देयता प्रारंभिक निर्धारण (कारोबारी संयोजन के अलावा) से अस्थायी अंतर रहा है जो न तो करयोग्य लाभ को और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करे.

आस्थगित कर आस्ति की वहन राशि की प्रत्येक लेखांकन अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक कम कर दी जाती है जिस तक पूर्ण या आंशिक आस्ति की वसूली के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध न होने की संभावना हो.

अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अस्तित्व में आये कानूनों कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर आस्थगित कर देयताएं और आस्तियां उस दर से मानी जाती हैं जिसके उस अवधि में लागू होने की संभावना हो जिसमें देयता का निपटान या आस्ति की वसूली की गई है.

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों की माप उन कर प्रभावों को प्रदर्शित करती है जो आस्तियों और देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान करने के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संस्था की अपेक्षा के अनुसार अनुगमन करेंगे.

आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं आपस में समायोजित हो जाती हैं यदि आय पर कर से संबंधित ऐसी मदें एक ही नियंत्रक कर कानून द्वारा वसूली जायें और संस्था को ऐसे समायोजन के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार हो.

एमएटी (मैट) जमाएं अप्रयुक्त कर जमाओं के रूप में होती हैं जो संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए आगे ले जाई जाती हैं, अत: इन्हें आस्थगित कर आस्ति के साथ समूहित किया जाता है.

वर्ष का वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि माना लिया जाता है, सिवाय ऐसे मदों को छोड़कर जिसे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी माना जाता है. ऐसे मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमश: अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी भी माना जाता है.

3.3 कर्मचारी लाभ:

निर्धारण और मापन:

क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के लिए देयताओं का मापन, अनुमानित इकाई ऋण विधि का उपयोग कर रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में प्रत्याशित भावी भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में किया जाता है. लाभों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग कर बट्टाकृत किया जाता है जिसकी अवधि संबंधित दायित्वों की अवधि के आसपास है. बीमांकिक मान्यताओं में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पुनर्मापन को लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है.

रोजगारोपरांत दायित्व:

कंपनी निम्नलिखित रोजगारोपरांत योजनाएं संचालित करती है:

(क) निर्दिष्ट लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटी एवं पेंशन दायित्व

(ख) निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं जैसे अधिवर्षिता योजना, भविष्य निधि

ग्रेच्युटी:

निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में तुलनपत्र में देयता या आस्ति का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्दिष्ट लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना आस्तियों का उचित मूल्य घटाकर किया जाता है. निर्दिष्ट लाभ दायित्व की गणना अनुमानित इकाई ऋण विधि का उपयोग कर बीमांककों द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है.

निर्दिष्ट लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण ऐसे सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल

के संदर्भ द्वारा अनुमानित भावी नकदी बर्हिवाहों को बट्टाकृत किया जाता है जिनकी अवधि संबंधित दायित्व की अवधि के आसपास होती है.

निवल ब्याज लागत की गणना निर्दिष्ट लाभ दायित्व के निवल शेष और योजना आस्तियों के उचित मूल्य में बट्टा दर का प्रयोग कर किया जाता है. इस लागत को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ खर्च में शामिल किया जाता है.

बीमांकिक अनुमानों में अनुभव समायोजनों और परिवर्तनों से उत्पन्न लाभ एवं हानियों को उस अवधि में सीधे व्यापक आय माना जाता है जिसमें वे हुए हैं.

निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं

निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं जैसे अधिवर्षिता योजना, भविष्य निधि को खर्च के रूप में तब लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है जब कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है. यदि तुलनपत्र की तारीख को प्राप्त सेवा के लिए योजना में देय अंशदान पहले ही अदा किये गये अंशदान से ज्यादा है तो योजना में देय घाटे को पहले ही अदा किये गये अंशदान को घटाने के बाद देयता माना जाता है. यदि तुलनपत्र की तारीख से पहले प्राप्त सेवा के लिए देय अंशदान पहले ही अदा किये गये अंशदान से ज्यादा है तो आधिक्य को आस्ति माना जाता है.

वर्तमान में कंपनी के भुगतान रजिस्टर में कोई कर्मचारी नहीं है, सिवाय चार कर्मचारियों के जो संविदा आधार पर है जिन पर रोजगारोपरांत लाभ लागू नहीं हैं.

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

निर्धारण और मापन:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को तब आस्ति माना जायेगा जब यह संभव हो कि संस्था को भविष्य में आर्थिक लाभ होंगे और लागत को विश्सनीय ढंग से आंका जा सकता है. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी मदों को मूल्यह्रास और अनर्जक हानि को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दिखाया जाता है. ऐतिहासिक लागत में मदों की खरीद पर सीधे तौर पर आरोप्य खर्च शामिल होता है. लागत में व्यापारिक बट्टे/छूट को घटाकर अप्रतिदेय कर एवं शुल्क सहित इसका खरीद मूल्य, आस्ति को इसके वर्तमान स्थान एवं स्थिति तक लाने के लिए सीधे तौर पर आरोप्य लागत और मद को विघटित करने एवं हटाने की प्रारंभिक अनुमानित लागत तथा जिस स्थल पर स्थिति है उसको पहले जैसा करने की लागत शामिल होती है.

उत्तरवर्ती लागतों को आस्ति की वहन राशि या अन्य आस्ति, जो उपयुक्त हो, के रूप में तब शामिल किया जाता है जब यह संभव हो कि मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से आंका जा सकता है.

अलग आस्ति के रूप में किसी घटक की वहन राशि को पुनर्स्थापित होने पर अमान्य कर दिया जाता है. अन्य सभी मरम्मत एवं रखरखाव खर्च को उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है जब उसे खर्च किया जाता है.

मूल्यह्रास की विधियां, अनुमानित उपयोगी अवधि और अवशिष्ट मूल्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनिय, 2013 की अनुसूची II में वर्णित उपयोगी अवधि के आधार पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा प्रदान किया जाता है सिवाय उनके जिनके लिए प्रबंधन ने उपयोगी अवधि का अलग अनुमान लगाया है. मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब आस्तियां अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार होती हैं.

5000 रुपये या इससे कम लागतवाली आस्तियों को एक वर्ष की अवधि में ही मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

आस्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मूल्यह्रास की गणना हेतु मानी गई उपयोगी अवधि निम्नानुसार है:

आस्ति श्रेणी	उपयोगी अवधि
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
कंप्यूटर हार्डवेयर	3 वर्ष
बिजली संस्थापन	10 वर्ष

एक आस्ति की वहन राशि को तब तत्काल वसूलीयोग्य राशि तक बट्टे खाते डाल दिया जाता है जब आस्ति की वहन राशि उसके अनुमानित वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो.

निपटान पर लाभ और हानियों का निर्धारण वहन राशि की तुलना में प्राप्त राशि के आधार पर किया जाता है. इसे अन्य आय या अन्य खर्च, जो लागू हो, के अनुसार लाभ या हानि में शामिल किया जाता है.

3.5 अमूर्त आस्तियां

कंपनी द्वारा अधिग्रहित ऐसी अमूर्त आस्तियों, जिनकी निश्चित उपयोगी अवधि है, को संचित परिशोधन एवं संचित अनर्जक हानियां घटाकर लागत पर आंका जाता है. लागत में ऐसा खर्च शामिल है जो अमूर्त आस्ति के अधिग्रहण में सीधे तौर पर आरोप्य है.

परिशोधन:

अमूर्त आस्तियों को उनकी उपयोगी अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन की पद्धति और उपयोगी अवधि की प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है जिसमें अनुमान में किसी परिवर्तन का प्रभाव भावी आधार पर किया जाता है.

आस्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अमूर्त आस्तियों के परिशोधन के लिए मानी गई उपयोगी अवधि निम्नानुसार है:

आस्ति श्रेणी	उपयोगी अवधि
कंप्यूटर साफ्टवेयर	3 वर्ष

अमूर्त आस्तियों को हटाने या निपटान से उत्पन्न लाभ या हानि का निर्धारण आस्ति के निपटान से प्राप्त निवल राशि और वहन राशि के अंतर के रूप में किया जाता है तथा लाभ एवं हानि विवरण में आय या खर्च के रूप में दिखाया जाता है.

3.6 उधार लागत

अर्हक आस्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर सीधे तौर पर आरोप्य सामान्य एवं विशिष्ट उधार लागतों को उस अवधि के दौरान पूंजीकृत किया जाता है जब अभीष्ट उपयोग के लिए आस्ति का पूर्ण होना अपेक्षित और तैयार हो जाती है. अर्हक आस्तियां वे आस्तियां हैं जो अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती हैं. अन्य उधार लागतों को उस अवधि में खर्च माना जाता है जिसमें व्यय किया गया है. उधारराशियों से संबद्ध लेनदेन लागतों को प्रभावी ब्याज दर विधि के अंतर्गत माना जाता है.

3.7 गैर-वित्तीय आस्तियों की अनर्जकता:

संस्था को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करना होता है कि क्या सभी आस्तियों के लिए कोई अनर्जकता का संकेत है. यदि कोई आस्ति अनर्जक हो जाती है तो संस्था को आस्ति से वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाने की जरूरत है. अनर्जकता हानि तब मानी जाती है जब किसी आस्ति का वसूलीयोग्य मूल्य उसकी वहन राशि से कम है. वसूलीयोग्य राशि और वहन राशि के बीच अंतर को लाभ एवं हानि खाता विवरण में अनर्जक हानि के रूप में दिखाया जाता है.

यदि अनर्जकता का कोई संकेत है तो प्रत्येक आस्ति से वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाया जायेगा और यदि प्रत्येक आस्ति से वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाना संभव न हो तो संस्था उस नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई, जिससे आस्ति संबंधित है, की वसूलीयोग्य राशि का निर्धारण करेगी.

3.8 प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधान

प्रावधान तब किया जाता है जब विगत घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) है, यह संभव है कि आर्थिक लाभ के साकार होने पर संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को समीक्षा की जाती है और मौजूदा सर्वोत्तम अनुमानों को दिखाने के लिए समायोजित किये जाते हैं.

यदि धनराशि के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो प्रावधानों को वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग कर बट्टाकृत किया जाता है जो देयता के संबंध में विशिष्ट जोखिम, जब उपयुक्त हो, को प्रदर्शित करती है. जब बट्टाकरण का उपयोग किया जाता है, तो समय के व्यतीत होने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत माना जाता है.

दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब किसी संविदा से कंपनी को उत्पन्न प्रत्याशित लाभ, संविदा के अंतर्गत इसके दायित्व को पूरा करने के लिए अपरिहार्य लागत से कम हो. प्रावधान, संविदा समाप्त करने की प्रत्याशित लागत और संविदा के जारी रखने की प्रत्याशित निवल लागत में से कम के वर्तमान मूल्य द्वारा आंका जाता है. प्रावधान करने से पहले, कंपनी उस संविदा से संबद्ध आस्तियों से अनर्जक हानि की पहचान करती है.

आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

आकस्मिक देयता वह संभव दायित्व है जो ऐसी विगत घटनाओं से उत्पन्न होता है जो कंपनी के नियंत्रण से परे एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि होने पर अस्तित्व में आता है या वर्तमान दायित्व, जो निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह होना आवश्यक हो. आकस्मिक देयता अत्यधिक दुर्लभ मामलों में भी उत्पन्न हो सकती है जब ऐसी देयता हो जिसको निर्धारित न किया जा सके क्योंकि इसे विश्वसनीय ढंग से आंका नहीं जा सकता. कंपनी आकस्मिक देयता को मानती नहीं है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके मौजूद होने को तब तक प्रकट करती है जब तक संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम न हो.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में दिखाया नहीं जाता है. यदि आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना है तो इसे वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है.

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक आस्तियों और प्रतिबद्धताओं की प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है.

3.9 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य के लिए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल हैं - हाथ में रोकड़, संस्थाओं के पास मांग जमाराशियां, तीन माह या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली कॉरपोरेट जमाराशियां और अन्य अल्पकालिक उच्च तरल निवेश जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में बदलाव में नगण्य जोखिम के अधीन हैं.

3.10 वित्तीय लिखत

वित्तीय लिखत एक ऐसी संविदा है जो एक संस्था की वित्तीय आस्ति और दूसरी संस्था की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को बढ़ाती है

3.10.1 वित्तीय आस्तियां

(i) वर्गीकरण, निर्धारण और मापन:

वित्तीय आस्तियों को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है.

संस्था अपनी वित्तीय आस्तियों का निम्नलिखित मापन श्रेणियों में वर्गीकरण करती है:

(क) वे, जिन्हें उचित मूल्य पर बाद में आंका जाना है (या तो किसी अन्य व्यापक आय या लाभ या हानि के जरिये), और

(ख) वे, जिन्हें परिशोधित लागत पर आंका जाना है.

वर्गीकरण वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए संस्था के कारोबारी मॉडल पर निर्भर करता है और क्या वित्तीय आस्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल मूलधन के भुगतान और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के कारण हो.

उचित मूल्य पर आंकी गई आस्तियों से लाभ और हानियों को या तो लाभ या हानि अथवा अन्य व्यापक आय में दर्ज किया जायेगा. ऋण लिखतों में निवेश के लिए, यह उस कारोबारी मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है. इक्विटी लिखतों में निवेश के लिए इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या संस्था ने अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक निर्धारण के समय अप्रतिसंहरणीय चयन किया है.

प्रारंभिक निर्धारण

सभी वित्तीय आस्तियों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऐसे लिखतों, जिनको बाद में एफवीटीपीएल पर नहीं आंका जाता है, को वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण पर आरोप्य लेनदेनों लागतों को जोड़/घटा कर किया जाता है.

परवर्ती मापन

लिखत का प्रकार	वर्गीकरण	वर्गीकरण का तर्काधार	परवर्ती मापन
ऋण लिखत	परिशोधित लागत	संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए धारित आस्तियां जिनमें नकदी प्रवाह केवल मूलधन और मूलधन की बकाया राशि पर ब्याज के भुगतान का निरूपण करते हैं, को परिशोधित लागत पर आंका जाता है.	परिशोधित लागत की गणना ब्याज आय, लेनदेन की लागत और अधिग्रहण पर बट्टा या प्रीमियम को शामिल कर प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग कर की जाती है. ईआईआर परिशोधन को वित्त आय में शामिल किया जाता है. वित्तीय लिखत के अमान्य करने पर लाभ और हानि को परिशोधित लागत पर आंक कर लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है.
	अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य (एफवीओसीआई)	संविदात्मक नकदी प्रवाह और वित्तीय आस्तियों की बिक्री के लिए धारित आस्तियां, जिनमें आस्तियों का नकदी प्रवाह मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान का निरूपण करता है, को एफवीओसीआई पर आंका जाता है.	ऐसे लिखतों के वहन मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई पर दर्ज किया जाता है, सिवाय अनर्जक हानियों, ब्याज आय (लेनदेन लागत और परिशोधन पर बट्टा या प्रीमियम सहित) और विदेशी मुद्रा विनिमय से लाभ/हानि के, जिसे आय विवरण दिखाया जाता है. ब्याज आय, लेनदेन लागत और अधिग्रहण पर बट्टे या प्रीमियम को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर आय विवरण (वित्त आय) में दिखाया जाता है. एफवीओसीआई पर मानी गई वित्तीय आस्तियों के अमान्य होने पर, पूर्व में ओसीआई द्वारा निर्धारित संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ एवं हानि खाते में अन्य लाभ और हानि शीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है.

लिखत का प्रकार	वर्गीकरण	वर्गीकरण का तर्काधार	परवर्ती मापन
	लाभ या हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)	ऐसी आस्तियों को लाभ या हानि के जरिये उचित मूल्य पर आंका जाता है जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई मानदंड को पूरा नहीं करती. ऋण लिखत से लाभ और हानि, जिसे बाद में लाभ या हानि के जरिये उचित मूल्य पर आंका जाता है और जो प्रतिरक्षा संबंध का हिस्सा हैं, का लाभ या हानि उस अवधि में निर्धारित किया जाता है जिसमें ये होते हैं.	ऐसी आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय विवरण में अन्य लाभ/(हानि) के रूप में उस अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें ये होते हैं. इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज आय को वित्त आय में शामिल किया जाता है.
इक्विटी लिखत	एफवीओसीआई	संस्था के प्रबंधन ने इक्विटी निवेश (लिखत-दर-लिखत आधार पर) को अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य पर करने का प्रारंभिक निर्धारण के समय अप्रतिसंहरणीय चयन किया था. इस चयन की अनुमति तब नहीं है जब इक्विटी निवेश को ट्रेडिंग के लिए रखा जाता है. वर्गीकरण प्रारंभिक निर्धारण के समय किया जाता है और वह प्रतिसंहरणीय होता है.	ऐसे लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को ओसीआई में दर्ज किया जाता है. ऐसे लिखतों के निपटान पर कोई भी राशि आय विवरण में पुन:वर्गीकृत नहीं की जाती है. एफवीओसीआई पर आंके गये इक्विटी निवेशों पर अनर्जक हानियों (और अनर्जक हानियों के रिवर्सल) को उचित मूल्य पर अन्य परिवर्तनों के साथ अलग से रिपोर्ट नहीं किया जाता है. तथापि, ऐसे लिखतों से लाभांश आय को आय विवरण में दर्ज किया जाता है.
	एफवीटीपीएल	जब ऐसा कोई चयन नहीं किया जाता है तो इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल पर	ऐसी आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को आय विवरण

(ii) वित्तीय आस्तियों को अमान्य करना:

वित्तीय आस्ति को निम्नलिखित स्थिति में ही अमान्य किया जाता है:

(क) संस्था ने वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार को हस्तांतरित कर दिया है या

(ख) वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार रखे हुए हैं लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह अदा करने का संविदात्मक दायित्व ले लिया है.

जब संस्था आस्ति को हस्तांतरित कर देती है तो संस्था यह मूल्यांकन करती है कि क्या इसने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की सभी जोखिमों एवं पारितोषिक को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है. ऐसे मामलों में वित्तीय आस्ति को अमान्य कर दिया जाता है. जहां संस्था ने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की सभी जोखिमों एवं पारितोषिक को काफी हद तक हस्तांतरित नहीं किया है, तो वित्तीय आस्ति को अमान्य नहीं किया जाता है.

जहां संस्था ने न तो वित्तीय आस्ति को हस्तांतरित किया है और न ही वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की सभी जोखिमों एवं पारितोषिकों को काफी हद तक रखा है तो वित्तीय आस्ति को अमान्य कर दिया जाता है यदि संस्था ने वित्तीय आस्ति पर नियंत्रण नहीं रखा है. जहां संस्था वित्तीय आस्ति पर नियंत्रण रखती है, वित्तीय आस्ति में सतत जुड़ाव की सीमा तक आस्ति को मान्य बनाये रखा जाता है.

(iii) विदेशी मुद्रा विनिमय से लाभ या हानि:

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय आस्तियों का उचित मूल्य विदेशी मुद्रा में निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हाजिर दर पर रुपांतरित किया जाता है.

परिशोधित लागत और एफवीटीपीएल पर आंकी गई विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय आस्तियों के लिए विनिमय अंतर को लाभ या हानि में खाते में दर्शाया जाता है सिवाय उनके, जिनको प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा लिखत निर्दिष्ट किया गया है.

विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों से संबंधित एफवीटीओसीआई पर इक्विटी लिखतों की वहन राशि में परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है.

विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों के निर्धारण के उद्देश्य के लिए एफवीटीओसीआई ऋण लिखतों को परिशोधित लागत पर आंकी गई वित्तीय आस्तियों के रूप में माना जाता है. इस प्रकार, परिशोधित लागत पर विनिमय

अंतरों को लाभ या हानि में दर्शाया जाता है और एफवीटीओसीआई वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य में अन्य परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में माना जाता है.

3.10.2 वित्तीय देयताएं और इक्विटी लिखत:

एक संस्था द्वारा जारी किये गये ऋण और इक्विटी लिखतों को संविदात्मक व्यवस्थाओं के सत्व और वित्तीय देयताओं एवं इक्विटी लिखत की परिभाषाओं के अनुसार वित्तीय देयताओं या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

वर्गीकरण, निर्धारण और मापन

(क) इक्विटी लिखत:

इक्विटी लिखत एक ऐसी संविदा है जो संस्था की सभी देयताओं को घटाने के बाद उसकी आस्तियों में अवशिष्ट हित का साक्ष्य होती है. संस्था द्वारा जारी इक्विटी लिखतों को निर्गम की प्रत्यक्ष लागतें घटाकर प्राप्त राशि पर दर्शाया जाता है.

(ख) वित्तीय देयताएं:

प्रारंभिक निर्धारण और मापन:

वित्तीय देयताओं और ऐसे लेनदेन जो वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण पर आरोप्य हैं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है, एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर जो आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर आंकी जाती हैं.

परवर्ती मापन:

वित्तीय देयताओं को बाद में निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर
- लाभ या हानि के जरिये उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

(i) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:

वित्तीय देयताओं के लिए परिशोधित लागत उस राशि का निरूपण करती है जिस पर वित्तीय देयता को प्रारंभ में आंका जाता है घटाएं मूलधन की चुकौती, जोड़ें या घटाएं उस प्रारंभिक राशि और परिपक्वता राशि के बीच किसी अंतर के लिए प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर संचयी परिशोधन.

(ii) लाभ या हानि के जरिये उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं:

ट्रेडिंग के लिए धारित वित्तीय देयताओं को एफवीटीपीएल पर आंका जाता है.

एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर दिखाया जाता है और पुनर्मापन से हुए किसी लाभ या हानि को लाभ या हानि के रूप में दर्शाया जाता है. लाभ या हानि के रूप में दर्शाये गये निवल लाभ या हानि में वित्तीय देयता पर अदा किया गया ब्याज शामिल है.

अमान्यता:

वित्तीय देयता को तुलनपत्र से तब हटाया जाता है जब उस दायित्व को उन्मोचित या निरस्त कर दिया जाये या समाप्त हो जाये. जब कोई मौजूदा वित्तीय देयता उसी उधारकर्ता से काफी भिन्न शर्तों पर दूसरी देयता से बदल दी जाती है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित कर दिया जाता है तो ऐसी अदला-बदली या संशोधन को मूल देयता से अमान्य और नई देयता को मान्य समझा जाता है. संबंधित वहन राशियों के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

(ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं:

संस्था द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी संविदाएं ऐसी संविदाएं हैं जिसमें ऋण लिखत की शर्तों के अनुसार देय होने पर निर्दिष्ट देनदार द्वारा भुगतान करने में असफल होने के कारण हुई हानि के लिए धारक को प्रतिपूर्ति करने के लिए भुगतान करने की जरूरत होती है. वित्तीय गारंटी संविदाओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर देयताओं के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें गारंटी जारी करने में सीधे तौर पर आरोप्य लेनदेन लागत को समायोजित किया जाता है. तत्पश्चात्, इंड एएस 109 की अनर्जता अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित हानि छूट और संचयी परिशोधन को घटाकर मान्य राशि, जो राशि अधिक हो, पर देयता को आंका जाता है.

3.10.3 वित्तीय आस्तियों की अनर्जकता:

इंड एएस 109 के अनुसार संस्था निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों और ऋण जोखिम एक्सपोजर के लिए अनर्जक हानि का मापन और निर्धारण करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है:

- वित्तीय आस्तियां जैसे अग्रिम, ऋण प्रतिभूतियां, जमाराशियां और संस्था की शेष राशि को परिशोधित लागत पर
- वित्तीय आस्तियां जो ऋण लिखत हैं और एफवीटीओसीआई पर आंकी जाती हैं.
- ऋण प्रतिबद्धताएं जिनको एफवीटीपीएल पर नहीं आंका जाता है, वित्तीय गारंटी जिनको एफवीटीपीएल पर नहीं आंका जाता है.

ईसीएल उन सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों जो संविदा के अनुसार संस्था को देय हैं और उन सभी नकदी प्रवाहों जिसे संस्था को प्राप्त होने की उम्मीद के बीच का अंतर (अर्थात् नकदी में कमी) है, जिसे मूल प्रभावी ब्याज दर पर बट्टाकृत किया जाता है. नकदी प्रवाहों का अनुमान लगाते समय संस्था को निम्नलिखित पर विचार करना आवश्यक है:

- वित्तीय लिखत की प्रत्याशित अवधि में वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तें (समय-पूर्व चुकौती, विस्तार, क्रय एवं समरूप विकल्प). तथापि, दुलर्भ मामलों में जब वित्तीय लिखत की अनुमानित अवधि का विश्वसनीय ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता तो संस्था को वित्तीय लिखत की शेष संविदात्मक मीयाद का उपयोग करना होता है.
- धारित संपार्श्विक या अन्य ऋण वर्धन से नकदी प्रवाह जो संविदात्मक शर्तों का अभिन्न अंग हैं.

अपनाई गई अनर्जकता कार्यप्रणाली इस बात पर निर्भर करती है कि क्या ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है. सामान्यत: यह माना जाता है कि ऋण जोखिम उस स्थिति में प्रारंभिक निर्धारण से काफी बढ़ गई है जब भुगतान 30 दिन से अधिक गत देय हैं. संस्था आस्ति के प्रारंभिक निर्धारण से चूक की संभावना पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में सतत आधार पर ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है. यह आकलन करने के लिए कि क्या ऋण जोखिम में अत्यधिक वृद्धि हुई है संस्था रिपोर्टिंग तारीख को आस्ति पर हुई चूक की जोखिम की प्रारंभिक निर्धारण की तारीख को चूक की जोखिम से तुलना करती है. यह उपलब्ध उपयुक्त एवं सहायक प्रगतिशील जानकारी पर विचार करती है. विशेषकर निम्नलिखित संकेतक शामिल होते हैं:

- आंतरिक ऋण रेटिंग
- बाह्य ऋण रेटिंग (यथासंभव उपलब्ध)
- कारोबार, वित्तीय या आर्थिक स्थितियों में वास्तविक या प्रत्याशित महत्वपूर्ण प्रतिकूल बदलाव जिनके कारण उधारकर्ता के अपने दायित्वों को पूरा करने के सामर्थ्य में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है.
- उधारकर्ता के परिचालन परिणामों में वास्तविक या प्रत्याशित महत्वपूर्ण बदलाव
- उसी उधारकर्ता के अन्य वित्तीय लिखतों में ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि
- दायित्व के सहायक संपार्श्विक के मूल्य में या अन्य पक्ष की गारंटियों या ऋण वर्धन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय बदलाव.
- समूह में उधारकर्ताओं की भुगतान स्थिति में बदलाव सहित उधारकर्ता के प्रत्याशित कार्यनिष्पादन और व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव तथा उधारकर्ता के परिचालन परिणामों में बदलाव.

12 महीने की प्रत्याशित ऋण हानियों के बराबर राशि की ऋण छूट का निर्धारण किया जाता है यदि रिपोर्टिंग तारीख को ऋण जोखिम प्रारंभिक निर्धारण से उल्लेखनीय रूप से न बढ़ी हो (चरण 1). यह राशि चूक घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रत्याशित ऋण हानियों का निरूपण करती है जो अगले 12 महीनों के भीतर संभव है. ब्याज आय की गणना चरण 1 में वित्तीय आस्तियों के लिए सकल वहन राशि के अनुसार की जाती है.

वित्तीय आस्तियों की शेष अवधि की ऋण हानियां (पूरी अवधि की प्रत्याशित हानियां) का निर्धारण किया जाता है जिनसे ऋण जोखिम और ऐसी वित्तीय आस्तियों जो रिपोर्टिंग की तारीख को ऋण अनर्जक हैं (चरण 2) में उल्लेखनीय वृद्धि होना माना जाता है (चरण 3). संपूर्ण अवधि में प्रत्याशित ऋण हानियां वित्तीय लिखत की प्रत्याशित अवधि में सभी संभव चूक घटनाओं का निरूपण करती हैं. वित्तीय आस्तियों को चरण 2 में हस्तांतरित कर दिया जायेगा यदि 30 दिन गत देय हैं. चरण 2 में वित्तीय आस्तियों की सकल वहन राशि पर ब्याज आय की गणना की जाती है.

चरण 3 में जाने वाली ऋण अनर्जक वित्तीय आस्तियों की प्राथमिक परिभाषा के अनुसार संस्था चूक के लिए निम्नलिखित परिभाषा पर विचार करती है:

- संस्था के किसी महत्वपूर्ण ऋण दायित्व पर उधारकर्ता 90 दिन से अधिक गत देय है.
- उधारकर्ता द्वारा समूह को अपने पूरे ऋण दायित्व अदा करने की संभावना नहीं है.

एक वित्तीय आस्ति तब 'ऋण अनर्जक' होती है जब एक या अधिक ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका वित्तीय आस्तियों के अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों पर हानिकारक प्रभाव होता है.

- उधारकर्ता या निर्गमकर्ता को उल्लेखनीय वित्तीय कठिनाई
- संविदा का अतिक्रमण जैसे चूक या गत देय घटना
- उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या संविदात्मक कारणों के लिए उधारकर्ता के ऋणदाता ने उधारकर्ता को ऐसी रियायत मंजूर की है जो ऋणदाता अन्यथा नहीं देता.
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए सक्रिय बाजार का गायब होना.
- वित्तीय आस्ति को अत्यधिक बट्टे पर खरीदना जो उपगत ऋण हानियों का निरूपण करती है.

ऋण अनर्जक आस्तियों में चूक आस्तियां और अन्य गैर-चूक आस्तियां शामिल होंगी. दी गई ऋण अनर्जक की परिभाषा चूक की परिभाषा से व्यापक है.

ब्याज आय की गणना केवल ऋण अनर्जक वित्तीय आस्तियों के लिए निवल वहन राशि पर ही की जाती है.

प्रत्याशित ऋण हानियों की गणना करने के लिए बृहत् आर्थिक कारकों सहित प्रगतिशील जानकारी को शामिल करना चाहिए.

बृहत् आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन, बाजार ब्याज दर या वृद्धि दरें) को आंतरिक रेटिंग मॉडल के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है.

प्रमुख संकल्पनाएं और प्रबंधकीय निर्णय:

- आरंभिक निर्धारण से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि तय करना
- प्रगतिशील जानकारी
- चूक और ऋण अनर्जक आस्तियों की परिभाषा
- प्रत्याशित अवधि
- प्रतिमान तकनीकें

खरीदी गई या उत्पन्न ऋण अनर्जक (पीओसीआई) वित्तीय आस्तियां

पीओसीआई वित्तीय आस्तियां प्रारंभिक निर्धारण से ही ऋण-अनर्जक होती हैं. ऐसी आस्तियों के लिए संस्था लाभ या हानि में दर्शाये गये किन्ही परिवर्तनों के साथ प्रारंभिक निर्धारण से आजीवन ईसीएल के बराबर हानि छूट का निर्धारण करती है. ऐसी आस्तियों में अनुकूल परिवर्तन अनर्जक लाभ उत्पन्न करता है.

3.11 उचित मूल्य मापन:

संस्था कतिपय निवेशों जैसे वित्तीय लिखतों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आंकती है.

उचित मूल्य वह कीमत है जो आंकने की तारीख को बाजार सहभागियों के बीच तर्कसंगत लेनेदन में आस्ति की बिक्री से प्राप्त या देयता के अंतरण पर अदा की जाती है. उचित मूल्य आकलन इस धारणा पर आधारित है कि आस्ति की बिक्री या देयता के अंतरण का लेनदेन निम्नानुसार होता है:

- आस्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार के अभाव में आस्ति या देयता के लिए सर्वाधिक लाभदायक बाजार में.

मुख्य या सर्वाधिक लाभदायक बाज़ार संस्था के पहुंच में होने चाहिए.

किसी आस्ति या देयता का उचित मूल्य उस पूर्वानुमान का उपयोग कर आंका जाता है जो आस्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय बाजार सहभागी उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार सहभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं.

सभी आस्तियों और देयताओं, जिनका उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में दर्शाया या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य अनुक्रम में श्रेणीकृत किया जाता है जो ऐसे न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित किया गया है जो उचित मूल्य के पूर्ण आकलन के लिए महत्वपूर्ण है:

- लेवल 1 – समरूप आस्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- लेवल 2 – मूल्यांकन तकनीकें जिसका न्यूनतम स्तर के इनपुट, जो उचित मूल्य आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखने योग्य है.
- लेवल 3 – मूल्यांकन तकनीकें जिसका न्यूनतम स्तर के इनपुट, जो उचित मूल्य आकलन के लिए महत्वपूर्ण है, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखने योग्य नहीं है.

3.12 व्युत्पन्न वित्तीय लिखत

कंपनी द्वारा वायदा संविदाओं जैसे व्युत्पन्न वित्तीय लिखत, जो अपनी विदेशी मुद्रा जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए लिये जाते हैं, प्रारंभ में व्युत्पन्न संविदा करने की तारीख को उचित मूल्य पर निर्धारित किये जाते हैं और बाद में उचित मूल्य में परिवर्तन होने पर उनके उचित मूल्य पुन: आंके जाते हैं, जिसे लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि में दिखाये जाते हैं जिसमें उत्पन्न होते हैं (प्रतिरक्षा लेखांकन के मामले के अलावा अन्य).

3.13 वित्तीय लिखतों का समायोजन:

वित्तीय आस्तियां और देयताएं समायोजित की जाती हैं और उस निवल राशि को तुलनपत्र में रिपोर्ट किया जाता है जिसमें निर्धारित राशियों का समायोजन करने का कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार है और निवल आधार पर निपटान करने या आस्ति की वसूली और देयता का निपटान साथ-साथ करने का इरादा है. कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार भावी घटनाओं पर निर्भर नहीं होने चाहिए और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में तथा चूक की घटना होने, संस्था या प्रतिपक्ष के दिवालिया होने पर प्रवर्तनीय होने चाहिए.

3.14 खंड रिपोर्टिंग:

परिचालन खंडों की रिपोर्टिंग मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को दी गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप की जाती है. मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता संसाधन आबंटन और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने कारोबारी खंडों के परिचालन परिणामों पर अलग-अलग निगरानी करता है. खंड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और वित्तीय विवरणों में लगातार लाभ या हानि आंकी जाती है. परिचालन खंडों की पहचान योजनाओं/सेवाओं के स्वरूप के आधार पर की गई है.

3.15 लाभांश

अंतिम लाभांश का निर्धारण शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त होने पर लाभ एवं हानि खाता विवरण में किया जाता है. अंतरिम लाभांश को संस्था के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा करने की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है.

3.16 प्रति शेयर उपार्जन:

प्रति शेयर मूल अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना निम्नलिखित को विभाजित कर की जाती है:

- कंपनी के स्वामियों के लिए लाभ
- वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा

प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन

निम्नलिखित के आधार पर प्रति शेयर मूल अर्जन के निर्धारण में प्रयुक्त आंकड़ों के समायोजन द्वारा प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन

- न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों से संबद्ध ब्याज एवं अन्य वित्तपोषण लागतों का आयकर के बाद प्रभाव, और
- सभी न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों का परिवर्तन मानते हुए बकाया रहने वाले अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या

3.17 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, निर्णय और धारणाएं:

इंड एएस के अनुरूप संस्था के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को आय, खर्च, आस्तियों एवं देयताओं के लिए रिपोर्ट की जाने वाली राशि और साथ में किये जाने वाले प्रकटन तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करने वाले निर्णय, अनुमान एवं धारणाएं स्थापित करना होता है. ऐसी धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता से ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जिनके लिए प्रभावित आस्तियों या देयताओं की वहन राशि में भविष्य में महत्वपूर्ण समायोजन करने पड़ें. अनुमान और संबद्ध धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य विभिन्न कारकों पर आधारित होती हैं जिन पर वित्तीय विवरण बनाने के समय मौजूद परिस्थितियों में उपयुक्त होने का विश्वास किया जाता है. अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है. लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य में प्रभावित होने वाले वर्ष में किया जाता है.

संस्था की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं जिनका वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों पर उल्लेखनीय प्रभाव है:

क. **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी अवधि:** मूर्त आस्तियों की अनुमानित उपयोगी अवधि का निर्धारण और लागत के किस घटक को पूंजीकृत किया जाये, का आकलन. मूर्त आस्तियों की उपयोगी अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसुची II में निर्दिष्ट अवधि और आस्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए प्रबंधन के अनुमान पर भी आधारित होती है. धारणा तब भी बनाने की जरूरत होती है जब संस्था यह आकलन करती है कि क्या किसी आस्ति को पूंजीकृत किया जाये और आस्तियों की लागत के किस घटक को पूंजीकृत किया जाये.

ख. **निर्दिष्ट लाभ योजना:** निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी देयता की लागत का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग कर किया जाता है. बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक घटनाक्रमों से अलग हो सकती हैं. इनमें बट्टा दर का निर्धारण, भावी वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं. मूल्यांकन में निहित जटिलताओं और इसके दीर्घकालिक स्वरूप के कारण, निर्दिष्ट लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है. सभी धारणाओं की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को समीक्षा की जाती है.

ग. **न वसूल लेखा प्राप्यराशियों और अग्रिमों के लिए छूट:** अनर्जकता प्रत्याशित ऋण हानि मॉडल पर तैयार की जाती है जो वित्तीय आस्तियों की अनुमानित अवधि में नकदी में कमी का वर्तमान मूल्य है. वित्तीय आस्तियों के लिए अनर्जकता प्रावधान चूक की जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के बारे में धारणा पर आधारित होते हैं. ये धारणाएं बनाने और अनर्जकता गणना के इनपुट का चयन करने का निर्णय गत इतिहास, मौजूदा बाज़ार स्थिति साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रगतिशील अनुमानों पर आधारित होता है.

घ. **आकस्मिकताएं:** संस्था के विरुद्ध आकस्मिकताएं/दावे/मुकदमे के संबंध में संसाधनों का संभावित बहिर्वाह, यदि कोई हो, के अनुमान के बारे में प्रबंधन का निर्णय आवश्यक है क्योंकि विचाराधीन मामलों के परिणाम के बारे में विशुद्धता के साथ पूर्वानुमान करना संभव नहीं है.

3.18 विवेकपूर्ण मानदंड:

कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) के रूप में पंजीकृत बनी हुई है जो ऋण कंपनी के रूप में वर्गीकृत है, अत: अपने एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली कंपनियों हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार न करने वाली या धारक) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2007 का अनुपालन करना आवश्यक है.

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के लिए प्रबंधन के अनुमानों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जो गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार न करने वाली या धारक) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2007 के अनुसार न्यूनतम प्रावधान के अधीन है.

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

4. नकदी और नकदी समतुल्य

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
नकद शेष	0.02	0.04
बैंकों में शेष:		
- चालू खाते में	112.63	48.55
- 3 माह से कम की प्रारंभिक परिपक्वता वाली बैंक में मीयादी जमाराशियां	13,246.80	4,21,238.33
घटाएं: अनर्जकता हानि छूट	(40.83)	(160.93)
कुल	**13,318.63**	**4,21,125.99**

5. नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां - 3 महीने से अधिक परिपक्वता	9,19,928.94	6,10,051.82
घटाएं: अनर्जकता हानि छूट	(286.08)	(94.67)
कुल	**9,19,642.86**	**6,09,957.15**

टिप्पणी: मीयादी जमाराशि पर निश्चित ब्याज दर से ब्याज अर्जित होता है.

6. ऋण

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
परिशोधित लागत पर अंगीकृत		
मीयादी ऋण		
(क) वित्त प्रदान करने वाले बैंकों द्वारा न्यास में धारित बही ऋणों पर बैंक प्रतिभूत	11,46,395.93	6,29,095.52
(ख) सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई) - दृष्टिबंधक/एमएफआई के बही ऋणों से प्रतिभूत	1,02,137.27	1,10,810.97
(ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) - एनबीएफसी के बही ऋणों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत	1,13,885.99	1,69,290.88
पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) में अंशदान	-	-
सकल योग (क)	**13,62,419.18**	**9,09,197.37**
घटाएं: अनर्जकता हानि छूट	(8,717.37)	(8,797.26)
सकल निवल (क)	**13,53,701.82**	**9,00,400.11**
(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	13,62,419.18	9,09,197.37
(ii) अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(iii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा आवृत	-	-
(iv) अप्रतिभूत	-	-
सकल योग (ख)	**13,62,419.18**	**9,09,197.37**
घटाएं: अनर्जकता हानि छूट	(8,717.37)	(8,797.26)
सकल निवल (ख)	**13,53,701.82**	**9,00,400.11**
भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	10,76,064.00	5,05,317.52
(ii) अन्य	2,86,354.93	4,03,879.85
भारत के बाहर ऋण	-	-
सकल योग (ग)	**13,62,418.93**	**9,09,197.37**
घटाएं: अनर्जकता हानि छूट	(8,717.37)	(8,797.26)
सकल निवल (ग)	**13,53,701.57**	**9,00,400.11**

* पुनर्वित्त प्राप्त करने वाले बैंकों ने मुद्रा के साथ पुनर्वित के लिए सामान्य करार निष्पादित किया है जिसमें वे प्राप्त पुनर्वित्त के लिए प्रतिभूतियों को न्यास के रूप में धारित करने के लिए बाध्य हैं.

7. निवेश

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
परिशोधित लागत पर अग्रेनीत		
जमा प्रमाणपत्र - सिडबी	-	18,729.09
कॉरपोरेट जमाराशियां	-	28,500.00
सकल योग (क)	**-**	**47,229.09**
घटाएं: अनर्जकता हानि छूट (संदर्भ टिप्पणी 24)	-	(28,501.87)
सकल निवल (क)	-	18,727.22
लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य पर अग्रेनीत (एफवीटीपीएल)		
म्यूच्युअल फंड (तरल योजनाएं) - अनुद्धृत (ख)	-	-
योग (क+ ख)	**-**	**18,727.22**
(i) भारत में निवेश	-	47,229.09
(ii) भारत के बाहर निवेश	-	-
सकल योग (ग)	-	47,229.09
घटाएं: अनर्जकता हानि छूट	-	(28,501.87)
निवल योग (ग)	**-**	**18,727.22**

8. अन्य वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
मुद्रा शिशु ऋण की अनुदान योजना पर प्राप्य प्रबंध शुल्क	85.42	-
योग	**85.42**	-

टिप्पणी: मीयादी जमाराशि पर निश्चित ब्याज दर से ब्याज अर्जित होता है.

9. वर्तमान कर आस्तियां (निवल)

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
कर आस्तियां		
अग्रिम आयकर	4,659.53	12,569.70
कर देयताएं		
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	(1,502.70)	(10,541.59)
निवल योग (ग)	**3,156.83**	**2,028.10**

10. आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं (निवल)

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
निम्नलिखित के कारण आस्थगित कर आस्ति:		
प्रारंभिक खर्च	-	-
ईआईआर मॉडल के अनुसार ऋण अपफ्रंट फीस की पहचान	257.23	286.90
ऋण एवं अग्रिमों पर प्रत्याशित ऋण हानि	2,276.26	2,278.43
निवेशों पर अनर्जकता छूट	-	7,173.35
निम्नलिखित के कारण आस्थिगित कर देयता:		
कर मूल्यह्रास और बहियों में प्रभारित मूल्यह्रास के बीच समय अंतर	0.77	0.36
म्यूच्युअल फंड का उचित मूल्यांकन	-	-
निवल आस्थगित कर आस्ति	**2,534.26**	**9,739.04**

10(क): आस्थगित कर आस्तियों/(देयताओं) का सारांश

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2019	लाभ एवं हानि में (प्रभारित)/ जमा	यथा मार्च 31, 2020	लाभ एवं हानि में (प्रभारित)/ जमा	यथा मार्च 31, 2021
कर मूल्यह्रास और बहियों में प्रभारित मूल्यह्रास के बीच समय अंतर	(0.06)	0.42	0.36	0.41	0.77
ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रत्याशित ऋण हानि	778.76	1,499.67	2,278.43	(2.17)	2,276.26
निवेशों पर अनर्जकता छूट	9,959.04	(2,785.69)	7,173.35	(7,173.35)	-
म्यूच्युअल फंड का उचित मूल्यांकन	(14.11)	14.11	-	-	-
प्रारंभिक खर्च	40.32	(40.32)	-	-	-
ईआईआर मॉडल के अनुसार ऋण अपफ्रंट फीस की पहचान	186.66	100.24	286.90	(29.67)	257.23
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयता)	**10,950.61**	**(1,211.57)**	**9,739.04**	**(7,204.78)**	**2,534.26**

11. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रुपये)

विवरण	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	बिजली संस्थापन और उपकरण	कुल
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए				
सकल वहन राशि				
1 अप्रैल 2020 को लागत	1.18	19.56	0.46	21.19
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	1.85	-	1.85
वर्ष के दौरान निस्तारण				
31 मार्च 2021 को सकल वहन मूल्य	1.18	21.41	0.46	23.04
संचयी मूल्यह्रास और अनर्जकता				
1 अप्रैल 2020 को संचयी मूल्यह्रास और अनर्जकता	0.88	16.07	0.14	17.10
वर्ष का मूल्यह्रास खर्च	0.11	2.37	0.05	2.53
वर्ष के दौरान निस्तारण				
31 मार्च 2021 को संचयी मूल्यह्रास और अनर्जकता	1.00	18.44	0.19	19.63
31 मार्च 2021 को निवल वहन राशि	**0.18**	**2.97**	**0.27**	**3.40**
31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए				
सकल वहन राशि				
1 अप्रैल 2019 को लागत	1.18	19.13	0.46	20.77
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	0.43	-	0.43
वर्ष के दौरान निस्तारण				-
31 मार्च 2020 को सकल वहन मूल्य	1.18	19.56	0.46	21.19
संचयी मूल्यह्रास और अनर्जकता				
1 अप्रैल 2019 को संचयी मूल्यह्रास	0.57	12.31	0.09	12.98
वर्ष का मूल्यह्रास खर्च	0.31	3.76	0.05	4.12
वर्ष के दौरान निस्तारण				
31 मार्च 2020 को संचयी मूल्यह्रास	0.88	16.07	0.14	17.10
31 मार्च 2020 को निवल वहन राशि	**0.30**	**3.49**	**0.32**	**4.09**

12. अन्य अमूर्त आस्तियां

(लाख रुपये)

विवरण	कार्यालय उपकरण	कुल
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
सकल वहन राशि		
1 अप्रैल 2020 को लागत	4.91	4.91
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	
वर्ष के दौरान निस्तारण		
31 मार्च 2021 को सकल वहन मूल्य	4.91	4.91
संचयी परिशोधन एवं अनर्जकता		
1 अप्रैल 2020 को संचयी परिशोधन और अनर्जकता	4.36	4.36
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.55	0.55
वर्ष के दौरान निस्तारण		
31 मार्च 2021 को संचयी परिशोधन और अनर्जकता	4.91	4.91
31 मार्च 2021 को निवल वहन राशि	**0.00**	**0.00**
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		
सकल वहन राशि		
1 अप्रैल 2019 को मानी गई लागत	**4.91**	**4.91**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान निस्तारण		
31 मार्च 2020 को सकल वहन मूल्य	4.91	4.91
संचयी परिशोधन एवं अनर्जकता		
1 अप्रैल 2019 को संचयी परिशोधन और अनर्जकता	3.49	3.49
वर्ष का मूल्यह्रास खर्च	0.87	0.87
वर्ष के दौरान निस्तारण		
31 मार्च 2020 को संचयी परिशोधन और अनर्जकता	4.36	4.36
31 मार्च 2020 को निवल वहन राशि	**0.55**	**0.55**

13. देयराशियां

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
व्यापारिक देयराशियां		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	-
कुल	**-**	**-**
अन्य देयराशियां		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	65.52	118.13
कुल	**65.52**	**118.13**

टिप्पणी (क): संबद्ध पक्षकारों को देयराशियों के लिए, टिप्पणी 38 देखें.

टिप्पणी (ख): ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं हैं जिनकी वर्ष के दौरान कंपनी पर 45 दिन से अधिक की कोई राशि बकाया है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करने की अपेक्षा वाली जानकारी उस सीमा तक तय की गई है जिस तक ऐसे पक्षकार आपूर्तिकर्ता की स्थिति के संबंध में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्धारित की गई है. इसके अलावा ऐसे किसी पक्षकार को अदा किया जाने वाला कोई ब्याज बकाया नहीं है.

14. जमाराशियां

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
परिशोधित लागत पर अग्रेनीत		
बैंकों से	20,08,417.37	17,02,562
कुल	**20,08,417**	**17,02,562**

कंपनी ने निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है. निदेशकों एवं अन्य द्वारा कंपनी को कोई गारंटी नहीं दी गई है. साथ ही, कंपनी ने जमाराशियों और उन पर ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं की है.

15. अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
प्रतिभूति जमाराशि	8.93	13.12
उपचित ब्याज	-	-
कुल	**8.93**	**13.12**

16. अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
अल्पकालिक प्रावधान	64.99	133.18
सांविधिक देय राशियां	40.33	16.20
अग्रिम प्राप्त आय	0.21	131.00
भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम	616.50	1,000.00
भारतीय सूक्ष्मवित्त इक्विटी निधि (आईएमईएफ)	29,249.39	27,121.93
कुल	**29,971.42**	**28,402.31**

17. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
क. प्राधिकृत शेयर पूंजी		
10 रुपये प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (मार्च 31, 2020: 5,00,00,00,000)	5,00,000.00	5,00,000.00
कुल	**5,00,000.00**	**5,00,000.00**
ख. निर्गमित, अभिदत्त और चुकता:		
10 रुपये प्रत्येक के 1,67,59,25,926 इक्विटी शेयर (मार्च 31, 2020: 1,67,59,25,926)	1,67,592.59	1,67,592.59
कुल	**1,67,592.59**	**1,67,592.59**

ग. वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान:

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021		यथा मार्च 31, 2020	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,67,59,25,926	1,67,592.59	1,67,59,25,926	1,67,592.59
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के दौरान घटबढ़	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**1,67,59,25,926**	**1,67,592.59**	**1,67,59,25,926**	**1,67,592.59**

घ. प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयरों की धारिता और धारित इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार हैः

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021		यथा मार्च 31, 2020	
	शेयरों की संख्या	कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का %	शेयरों की संख्या	कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का %
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)	1,67,59,25,920	99.9999996%	1,67,59,25,920	99.9999996%
कुल	**1,67,59,25,920**	**99.9999996%**	**1,67,59,25,920**	**99.9999996%**

ड. धारक कंपनी द्वारा धारित शेयरों का विवरण

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)	1,67,59,25,920	1,67,59,25,920
कुल	**1,67,59,25,920**	**1,67,59,25,920**

च. इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें और अधिकार

कंपनी के 10 रुपये प्रत्येक के सम मूल्य के केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं. इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक मत का हक है. कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है. निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमानी राशियों का वितरण करने के बाद कंपनी की शेष आस्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे. वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा.

छ. बोनस शेयर

शुरू से कोई बोनस शेयर जारी नहीं किये गये हैं (निगमन वर्ष 2015-2016).

18. अन्य इक्विटी

(लाख रुपये)

विवरण		यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि	(i)	7,407.41	7,407.41
सामान्य आरक्षित निधि	(ii)	55,500.00	38,000.00
प्रतिधारित उपार्जन	(iii)	6,520.50	6,028.41
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1सी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षित निधि	(iv)	16,832.23	11,705.74
विकास निधि	(v)	200.00	200.00
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सीएसआर)	(vi)	-	-
कुल		**86,460.15**	**63,341.56**

(i) प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि का उपयोग शेयर निर्गम पर प्रीमियम को दर्ज करने के लिए किया जाता है. इस आरक्षित निधि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है.

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
प्रारंभिक शेष	7,407.41	7,407.41
वर्ष के दौरान घट-बढ़	-	-
अंतिम शेष	**7,407.41**	**7,407.41**

(ii) सामान्य आरक्षित निधि

पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सामान्य आरक्षित निधि का सृजन लागू विनियमनों के अनुसार निवल आय का निर्दिष्ट प्रतिशत वार्षिक आधार पर अंतरित कर किया गया था. इस अंतरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि किसी वर्ष कंपनी की उस वर्ष की चुकता पूंजी के 10% से अधिक का लाभांश वितरित किया जाता है तो विशिष्ट दर से सामान्य आरक्षित निधि में अनिवार्य अंतरण आवश्यक था. कंपनी अधिनियम, 2013 के आने के बाद निवल लाभ का निर्दिष्ट प्रतिशत सामान्य आरक्षित निधि में अनिवार्य रूप से अंतरण को वापस ले लिया गया है. तथापि, सामान्य आरक्षित निधि में पहले अंतरित राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार ही किया जा सकता है.

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
वर्ष के प्रारंभ में शेष	38,000.00	23,000.00
वर्ष के दौरान घट-बढ़*	17,500.00	15,000.00
वर्ष के अंत में शेष	**55,500.00**	**38,000.00**

(iii) प्रतिधारित उपार्जन

प्रतिधारित उपार्जन कंपनी के आधिक्य/संचित उपार्जन का निरूपण करती है और शेयरधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध है.

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
प्रारंभिक शेष	6,028.41	3,175.71
वर्ष का लाभ	25,632.47	21,981.52
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1सी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण	(5,126.49)	(4,396.30)
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	(17,500.00)	(15,000.00)
विकास निधि में अंतरण	-	-
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सीएसआर) में अंतरण	-	-
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सीएसआर) से अंतरण	-	671.58
प्रदत्त लाभांश	(2,513.89)	(335.19)
लाभांश वितरण कर	-	(68.91)
अंतिम शेष	**6,520.50**	**6,028.41**

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1सी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षित निधि

सांविधिक आरक्षित निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ("रिज़र्व बैंक अधिनियम") के अनुसरण में सृजित आरक्षित निधि का निरूपण करती है. रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-1सी के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी को लाभांश की घोषणा करने से पहले अपने निवल लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत आरक्षित निधि में अंतरण करना आवश्यक है. इस आरक्षित निधि से विनियोजन की अनुमति रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही है.

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
प्रारंभिक शेष	**11,705.74**	**7,309.44**
वर्ष के दौरान घट-बढ़	5,126.49	4,396.30
अंतिम शेष	**16,832.23**	**11,705.74**

(V) विकास निधि

कंपनी ने विकास कार्यकलापों के लिए विकास निधि सृजित की है.

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
प्रारंभिक शेष	200.00	200.00
वर्ष के दौरान घट-बढ़	-	-
अंतिम शेष	**200.00**	**200.00**

(vi) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सीएसआर)

संस्था अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि में राशि का विनियोजन करती है.

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
प्रारंभिक शेष	-	671.58
प्रतिधारित उपार्जन से अंतरित	-	-
प्रतिधारित उपार्जन में अंतरित	-	-671.58
अंतिम शेष	**-**	**-**

19. ब्याज आय

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋणों पर ब्याज		
(क) बैंकों को पुनर्वित्त पर ब्याज	34,503.92	43,243.44
(ख) एमएफआई/एनबीएफसी को पुनर्वित्त पर ब्याज	15,516.12	17,778.36
एफडीआर एवं सीडी पर ब्याज	49,635.07	49,099.29
पास थ्रू प्रमाणपत्रों पर ब्याज आय	-	212.51
अन्य ब्याज आय	9.88	0.70
कुल	**99,664.99**	**1,10,334.29**

20. फीस एवं कमीशन आय

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
इस अवधि में मानी गई फीस आय	608.60	415.72
आईएमईएफ की प्रबंध शुल्क आय	144.95	60.53
ब्याज अनुदान योजना की प्रबंध शुल्क आय	85.36	-
कुल	**838.92**	**476.25**

21. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) लाभ या हानि के जरिये उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों से निवल लाभ		
एफवीटीपीएल पर म्यूच्युअल फंड	155.29	299.02
उचित मूल्य परिवर्तन:		
वसूल	155.29	299.02
अप्राप्त	-	-

22. अन्य आय

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य	8.15	80.61
कुल	**8.15**	**80.61**

23. वित्त लागत

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
जमाराशियों पर ब्याज	65,071.97	65,872.35
कुल	**65,071.97**	**65,872.35**

24. वित्तीय लिखतों की अनर्जकता

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर धारित ऋणों पर	(79.90)	6,568.67
निवेश	(1.87)	1.87
बैंक शेष सहित मीयादी जमाराशियां	71.31	255.61
कुल	**(10.47)**	**6,826.15**

नीचे दी गई तालिका मूल्यांकन चरण पर आधारित लाभ एवं हानि में दर्ज वर्ष में वित्तीय लिखतों पर ईसीएल प्रभार को दर्शाती है:

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
परिशोधित लागत पर आंके गये ऋण लिखत (ऋण)	(610.04)	-	530.14	(79.90)
परिशोधित लागत पर आंके गये ऋण लिखत (निवेश)	(1.87)	-	-	(1.87)
परिशोधित लागत पर आंके गये ऋण लिखत (बैंक शेष सहित मीयादी जमाराशियां)	71.31	-	-	71.31
कुल अनर्जकता हानि	**(540.60)**	**-**	**530.14**	**(10.47)**

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
परिशोधित लागत पर आंके गये ऋण लिखत (ऋण)	(538.25)	-	7,106.92	6,568.67
परिशोधित लागत पर आंके गये ऋण लिखत (निवेश)	1.87	-	-	1.87
परिशोधित लागत पर आंके गये ऋण लिखत (बैंक शेष सहित मीयादी जमाराशियां)	255.61	-	-	-
कुल अनर्जकता हानि	**(280.77)**	**-**	**7,106.92**	**6,570.55**

टिप्पणीः ईसीएल कार्यप्रणाली एवं धारणाओं के लिए टिप्पणी 40 (क) देखें.

25. कर्मचारी लाभ खर्च

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी	668.33	685.22
कुल	**668.33**	**685.22**

26. मूल्यह्रास, परिशोधन एवं अनर्जकता

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों पर मूल्यह्रास (टिप्पणी सं.11 देखें)	2.53	4.12
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन (टिप्पणी सं.12 देखें)	0.55	0.87
कुल	**3.09**	**4.99**

27. अन्य खर्च

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पहएमएमवाई का प्रचार खर्च	-	2,842.28
किराया, दर एवं कर	84.03	85.72
यात्रा एवं वाहन व्यय	0.97	7.03
विज्ञापन एवं प्रचार	7.00	4.47
निदेशकों को बैठक शुल्क	12.45	10.42
लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्च	6.40	2.85
विधिक एवं व्यावसायिक खर्च	23.03	31.63
प्रशासनिक खर्च	50.06	47.91
वेबसाइट और वेबपोर्टल खर्च	10.56	10.49
प्रोसेसिंग एवं निगरानी खर्च	19.92	203.88
संविदा कर्मचारियों को प्रदत्त वेतन/मजदूरी	41.69	27.48
साफ्टवेयर रखरखाव और होस्टिंग खर्च	79.82	116.32
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च (टिप्पणी 27.2 देखें)	427.58	671.58
कुल	**763.50**	**4,062.05**

27.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) कंपनी की सांविधिक लेखापरीक्षा	2.75	2.00
(ख) कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	-	-
(ग) अन्य सेवाओं के लिए (कर एवं जीएसटी लेखापरीक्षा)	3.65	0.85
कुल	**6.40**	**2.85**

27.2 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च के लिए विवरण

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित को अंशदान:		
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय केयर निधि	427.58	
निम्नलिखित के संबंध में न खर्च किये गये दायित्व के लिए उपचय:		
जारी परियोजना		
जारी परियोजना के अलावा अन्य		
कुल		
क) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	427.58	317.53
b) वर्ष के अंत में खर्च की गई राशि:		
i) आस्ति के निर्माण/अधिग्रहण	-	-
ii) उपर्युक्त(i) के अलावा अन्य उद्देश्य	427.58	671.58

(लाख रुपये)

अधनियिम की धारा 135(6) के अंतर्गत जारी सीएसआर परयिोजनाओं का ववरिण	
कंपनी के पास 1 अप्रैल 2020 को शेष	-
अलग सीएसआर अव्ययित खाते में 1 अप्रैल 2020 को शेष	-
वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि	427.58
वर्ष के दौरान कंपनी के बैंक खाते से खर्च राशि	427.58
वर्ष के दौरान अलग सीएसआर अव्ययित खाते से खर्च राशि	-
कंपनी के पास 31 मार्च 2021 को शेष	-
अलग सीएसआर अव्ययित खाते में 31 मार्च 2021 को शेष	-

अधिनियम की धारा 135 (5) के अंतर्गत जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर सीएसआर खर्च का विवरण

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1 अप्रैल को अव्ययित शेष	-	354.05
अधिनियम की अनुसूची VII की निर्दिष्ट निधि में 6 महीने के भीतर जमा कराई गई राशि	-	-
वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि	427.58	317.53
वर्ष के दौरान खर्च राशि	427.58	671.58
31 मार्च को अव्ययित शेष	-	-

28. आयकर खर्च

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
इस अवधि के लाभों पर वर्तमान कर	1,502.70	10,541.59
पूर्व वर्षों के संबंध में समायोजन	(169.02)	4.73
कुल वर्तमान कर	**1,333.68**	**10,546.33**
आस्थगित कर खर्च		
अस्थायी अंतरों का उद्गम और रिवर्सल	7,204.78	1,211.57
कुल आस्थगित कर खर्च	7,204.78	1,211.57
कुल कर खर्च	**8,538.46**	**11,757.90**

28.1 आयकर खर्च में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं. वर्तमान कर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष की करयोग्य आय के संबंध में अदा की जाने वाली राशि से की जाती है. घरेलू कंपनियों को कॉरपोरेट कर की कम दर का लाभ प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में नई धारा 115बीएए जोड़ी गई है. धारा 115 बीएए में वर्णन किया गया है कि घरेलू कंपनियों द्वारा कतिपय निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने पर वित्तीय वर्ष 2019-20 (कर निर्धारण वर्ष 2020-21) से 22% की दर से कर अदा करने का विकल्प ऐसी कंपनियों को है. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से यह लाभ प्राप्त किया है और तदनुसार लेखा बहियों में कर का प्रावधान किया गया है.

28.2 प्रभावी कर दर का मिलान

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	%	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	%
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर-पूर्व लाभ/(हानि)	34,170.93		33,739.42	
कंपनी पर लागू भारत में अभिनीत आयकर दर 25.168% (2019-2020: 25.168%)	8,600.14	25.17%	8,491.54	25.17%
निम्नलिखित का कर प्रभाव:	-		-	
भिन्न कर दरों के कारण अंतर	-	0.00%	3,063.56	9.08%
पूर्व अवधि की मदें	(169.02)	-0.49%	4.73	0.01%
अन्य (प्रावधानों सहित)	107.34	0.31%	198.07	0.59%
कुल कर खर्च	**8,538.46**		**11,757.90**	
प्रभावी कर दर	**24.99%**	**24.99%**	**34.85%**	**34.85%**

28.3 सीधे इक्विटी में मानी गई राशि

रिपोर्टिंग अवधि में वर्तमान और आस्थगित कर की कोई समेकित राशि उत्पन्न नहीं हुई है जिसे इक्विटी में माना जाये.

29. प्रति शेयर अर्जन

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों का लाभ (क)	25,632.47	21,981.52
मूल ईपीएस के लिए जारी शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	1,67,59,25,926	1,67,59,25,926
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए समायोजन (ग)	-	-
न्यूनीकृत ईपीएस के लिए जारी शेयरों की भारित औसत संख्या (घ=ख+ग)	1,67,59,25,926	1,67,59,25,926
रु. में मूल ईपीएस (क/ख)	1.53	1.31
रु. में न्यूनीकृत ईपीएस (क/घ)	1.53	1.31

30. खंड रिपोर्टिंग

कंपनी वित्तपोषण के कार्यकलापों में लगी हुई है. यह एकल कारोबार और भौगोलिक खंड में परिचालन करती है.

31. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

(क) 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 को कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है.

(ख) 0.14 करोड़ रुपये की अमूर्त पूंजी आस्तियां विकसित करने के लिए कंपनी की पूंजी प्रतिबद्धता है.

(ग) कंपनी का 31 मार्च 2021 को 280.00 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2020 को 854.50 करोड़ रुपये की असंवितरित मंजूर ऋणों का तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर है.

32. कर्मचारी लाभ

अधिकांश कर्मचारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से प्रतिनियुक्ति पर हैं. मुद्रा में प्रतिनियुक्त सिडबी के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और वेतन की बकाया राशियों का सिडबी ध्यान रखती है जिसने कर्मचारियों को इस कंपनी में प्रतिनियुक्त किया है. मुद्रा ने वर्तमान वर्ष के दौरान 19.61 लाख रुपये (मार्च 2020: 20.54 लाख रुपये) का लाभ एवं हानि खाते में प्रावधान किया है. यह सिडबी को अदा किया जाये जब ऐसी लागतों की उपर्युक्त कंपनी द्वारा मांग की जायेगी. शेष कर्मचारी मुद्रा में संविदा आधार पर नियुक्त किये गये हैं जिन पर संविदा-पश्चात कोई कर्मचारी लाभ लागू नहीं हैं.

33. आस्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका संभावित वसूली या निपटान की अवधि के आधार पर आस्तियों एवं देयताओं के विश्लेषण को दर्शाती है. ग्राहकों को ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में कंपनी संभावित चुकौती व्यवहार का वही आधार प्रयोग करती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का अनुमान करने के लिए प्रयुक्त करती है.

(लाख रुपये)

आस्तियां	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	12 महीने के भीतर	12 महीने के बाद	कुल	12 महीने के भीतर	12 महीने के बाद	कुल
वित्तीय आस्तियां						
नकदी और नकदी समतुल्य	13,318.63	-	13,318.63	4,21,125.99	-	4,21,125.99
नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष	9,19,642.86	-	9,19,642.86	6,09,957.15	-	6,09,957.15
ऋण	7,11,531.25	6,42,170.57	13,53,701.82	5,31,243.88	3,69,156.23	9,00,400.10
निवेश	-	-	-	18,727.22	-	18,727.22
अन्य वित्तीय आस्तियां	85.42	-	85.42	-	-	-
गैर-वित्तीय आस्तियां						
कर आस्ति (निवल)	3,156.83	-	3,156.83	2,028.10	-	2,028.10
आस्थगित कर आस्ति (निवल)	-	2,534.26	2,534.26	-	9,739.04	9,739.04
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	-	3.40	3.40	-	4.09	4.09
विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	-	72.75	72.75	-	47.50	47.50
अन्य अमूर्त आस्तियां	-	0.00	0.00	-	0.55	0.55
अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां	-	-	-	-	-	-
कुल आस्तियां	**16,47,734.99**	**6,44,780.98**	**22,92,515.97**	**15,83,082.33**	**3,78,947.41**	**19,62,029.74**

(लाख रुपये)

देयताएं	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	12 महीने के भीतर	12 महीने के बाद	कुल	12 महीने के भीतर	12 महीने के बाद	कुल
वित्तीय देयताएं						
देयराशियां						
I) व्यापारिक देयराशियां	-	-	-	-	-	-
II) अन्य देयराशियां	65.52	-	65.52	118.13	-	118.13
जमाराशियां	5,13,152.37	14,95,265.00	20,08,417.37	7,02,562.03	10,00,000.00	17,02,562.03
अन्य वित्तीय देयताएं	8.93	-	8.93	13.12	-	13.12
गैर-वित्तीय देयताएं			-			-
अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	722.03	29,249.39	29,971.42	28,402.31	-	28,402.31
कुल देयताएं	**5,13,948.84**	**15,24,514.39**	**20,38,463.23**	**7,31,095.59**	**10,00,000.00**	**17,31,095.59**
निवल	**11,33,786.14**	**(8,79,733.41)**	**2,54,052.74**	**8,51,986.74**	**(6,21,052.59)**	**2,30,934.15**

34. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रभावी पूंजी संरचना बनाये रखती है और शेयरधारकों का मूल्य अधिकतम करती है. कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंध करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन, वार्षिक परिचालन योजनाओं तथा दीर्घकालिक एवं अन्य रणनीतिक निवेश योजनाओं के मद्देनजर समायोजन करती है. पूंजी संरचना को बनाये रखने या समायोजन करने के लिए कंपनी शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश की राशि में समायोजन या नये शेयर जारी कर सकती है. कंपनी किसी बाहरी तौर पर लागू पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है. 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी का प्रबंध करने के लिए उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया. कंपनी 'इक्विटी' की तुलना में 'समायोजित निवल ऋण' अनुपात का उपयोग कर पूंजी पर निगरानी रखती है. इस उद्देश्य के लिए समायोजित निवल ऋण को कुल देयताओं के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें नकदी एवं नकदी समतुल्यों को घटाकर ब्याज वाले ऋण एवं उधारराशियां शामिल हैं. इक्विटी में इक्विटी के सभी घटक शामिल हैं जिसमें शेयर प्रीमियम और इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित अन्य सभी इक्विटी आरक्षित निधियां शामिल हैं.

कंपनी का इक्विटी की तुलना में समायोजित निवल ऋण अनुपात निम्नानुसार है:

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
जमाराशियां	20,08,417.37	17,02,562.03
घटाएं: बैंक शेष सहित नकदी एवं नकदी समतुल्य	(9,32,961.49)	(10,31,083.13)
समायोजित निवल ऋण	**10,75,455.88**	**6,71,478.89**
कुल इक्विटी	2,54,052.74	2,30,934.15
समायोजित इक्विटी की तुलना में समायोजित निवल ऋण अनुपात	**4.23**	**2.91**

34.1 विनियामक पूंजी

रिज़र्व बैंक के अनुसार एनबीएफसी से जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में न्यूनतम पूंजी अनुपात ("सीआरएआर") बनाये रखने की अपेक्षा है जिसमें इसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों का 15% टियर I और टियर II पूंजी शामिल है. इसके अलावा, टियर II पूंजी का योग किसी भी समय टियर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं हो सकता. कंपनी की पूंजी प्रबंध प्रक्रिया न्यूनतम सीआरएआर हमेशा बनाये रखना सुनिश्चित करती है.

कंपनी की पूंजी प्रबंध नीति का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी विनियामक द्वारा आवश्यक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करती है, सुदृढ़ क्रेडिट रेटिंग और मजबूत पूंजी अनुपात बनाये रखती है ताकि अपने कारोबार की सहायता कर सके और शेयरधारकों का मूल्य अधिकतम कर सके. कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंध करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों एवं अपने कार्यकलापों की जोखिम विशेषताओं के अनुसार समायोजन करती है.

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
टियर 1 पूंजी	2,51,245.73	2,20,947.07
टियर 2 पूंजी	1,407.22	1,690.34
कुल पूंजी निधियां	**2,52,652.95**	**2,22,637.41**
जोखिम भारित आस्तियां	2,14,591.84	3,63,618.02
टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	117.08	60.76
टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	0.66	0.46
कुल पूंजी अनुपात (%)	**117.74**	**61.23**

35. रिपोर्टिंग की तारीख के बाद की घटनाएं

रिपोर्टिंग की तारीख के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसका प्रकटन इन वित्तीय विवरणों में आवश्यक है.

36. इस अवधि का निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

चूंकि एनबीएफसी के लिए लागू लाभ एवं हानि खाते के प्रारूप में पूर्व अवधि की मदों का वर्तमान वर्ष के लाभ एवं हानि पर प्रभाव के प्रकटन का विशेष रूप से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, अतः ऐसे प्रकटन, जहां आवश्यक हों, एनटीए में किये जायेंगे.

37. वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन

(लाख रुपये)

विवरण	अप्रैल 1,2020	नकदी प्रवाह	उचित मूल्यों में परिवर्तन	विनिमय अंतर	अन्य	मार्च 31,2021
जमाराशियां	17,02,562.03	3,05,855.34				20,08,417.37
वित्तपोषण कार्यकलापों से कुल देयताओं	**17,02,562.03**	**3,05,855.34**	**-**	**-**	**-**	**20,08,417.37**

(लाख रुपये)

विवरण	अप्रैल 1,2019	नकदी प्रवाह	उचित मूल्यों में परिवर्तन	विनिमय अंतर	अन्य	मार्च 31,2020
जमाराशियां	17,02,562.03	-				17,02,562.03
वित्तपोषण कार्यकलापों से कुल देयताओं	**17,02,562.03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,02,562.03**

38. संबद्ध पक्षकारों का प्रकटन

क. सबद्ध पक्षकारों का नाम और संबंध का स्वरूप:

संबंध का वर्णन	संबद्ध पक्षकार का नाम
धारक कंपनी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	श्री आलोक गुप्ता - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अगस्त 2018 से)
	श्री योगेश पांचाल - प्रमुख जोखिम अधिकारी (सीआरओ) (अक्तूबर 2020 से)
	श्रीमती रजनी सूद - मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (फरवरी 2019 से दिसम्बर 2019 तक)
	कु. पूजा कुकरेती - कंपनी सचिव (सीएस) (फरवरी 2019 से)
	श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सीएफओ (दिसम्बर 2019 से)
संबद्ध पक्षकार	श्री सुचिंन्द्र मिश्र - धारक कंपनी के निदेशक (फरवरी 2020 से)
	श्री मोहम्मद मुस्तफा - अध्यक्ष, सिडबी (अगस्त 2020 तक)
	श्री मनोज मित्तल - धारक कंपनी के उप प्रबंध निदेशक (जनवरी 2021 तक)
	श्री वसंत राव सत्य वेंकटराव (जून 2020 से)
	श्री अरविंद कुमार जैन, गैर-कार्यपालक निदेशक (फरवरी 2018 से)
	श्री हर्ष श्रीवास्तव, गैर-कार्यपालक निदेशक (अगस्त 2020 तक)
	श्री पिलारिसेत्ती सतीश, गैर-कार्यपालक निदेशक (नवम्बर 2020 तक)
	सुश्री स्मिता अफिनवाला, गैर-कार्यपालक निदेशक (जून 2020 से)

ख. संबद्ध पक्षकारों से लेनदेनों का विवरण

(लाख रुपये)

संबद्ध पक्षकार का नाम	लेनदेन का स्वरूप	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
धारक कंपनी	सीडी पर ब्याज आय	270.91	1,016.76
	जमा प्रमाणपत्रों में निवेश	-	17,712.33
	वेतन की प्रतिपूर्ति	543.85	585.09
	कार्यालय के लिए प्रदत्त किराया - खर्च	91.85	85.72
	प्रदत्त लाभांश	2,513.89	335.19
	मूल्यांकन, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रदत्त प्रभार	-	242.54
	भारतीय सूक्ष्मवित्त इक्विटी निधि (आईएमईएफ) से प्राप्ति*	-	25,524.80
	अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति	21.63	100.81
	मुद्रा शिशु ऋण पर ब्याज अनुदान योजना का प्रबंध शुल्क	85.36	-
	कुल	3,527.49	45,603.23
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	निम्नलिखित को प्रदत्त वेतन/प्रतिपूर्तिः		
	आलोक गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अगस्त 2018 से)	70.00	70.00
	योगेश पांचाल, सीआरओ (अक्तूबर 2020 से)	13.58	-
	रजनी सूद, सीएफओ (दिसम्बर 2019 तक)	-	29.38
	अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सीएफओ (दिसम्बर 2019 से)	54.06	13.58
	पूजा कुकरेती, कंपनी सचिव (फरवरी 2019 से)	8.00	8.00
संबद्ध पक्षकारों से लेनदेन	निम्नलिखित को प्रदत्त बैठक शुल्कः		
	अरविंद कुमार जैन, गैर-कार्यपालक निदेशक	5.40	5.40
	हर्ष श्रीवास्तव, गैर-कार्यपालक निदेशक	0.60	2.20
	पिलारिसेत्ती सतीश, गैर-कार्यपालक निदेशक	2.75	2.00
	स्मिता अफिनवाला, गैर-कार्यपालक निदेशक	3.70	-

ग. संबद्ध पक्षकारों से लेनदेनों के लिए बकाया शेषों का विवरण:

(लाख रुपये)

संबद्ध पक्षकार का नाम	लेनदेन का स्वरूप	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
धारक कंपनी	कॉरपोरेट जमाराशियों में निवेश	-	18,729.09
	देय खर्च	47.87	44.03

* टिप्पणीः भारत सरकार ने 300 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ सिडबी के पास "भारतीय सूक्ष्मवित्त इक्विटी निधि (आईएमईएफ)" सृजित की है. निधि का उपयोग टियर II और टियर III एनबीएफसी एमएफआई और सभी गैर-एनबीएफसी एमएफआई को इक्विटी या पूंजी के किसी अन्य रूप में प्रदान करने के लिए उपयोग किया जायेगा, जिनका फोकस गरीबी उन्मूलन और देश के असेवित एंव अल्पसेवित भागों में परिचालनों की दीर्घकालिक वहनीयता हासिल करने के उद्देश्य वाले छोटे समाजोन्मुख एमएफआई पर होगा. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आईएमईएफ की प्रारंभिक निधि को जनवरी 2020 में सिडबी से मुद्रा को अंतरित कर दिया गया है. निधि का परिचालन/प्रबंध मुद्रा द्वारा किया जाता है जिसके लिए आहरित राशि पर 1% वार्षिक का प्रबंध शुल्क निधि पर प्रभारित किया गया है और मुद्रा को प्राप्त हो गया है. इसके अलावा, अंतर्वाहो एवं बहिर्वाहो को निधि में जमा/नामे किया जाता है. अतः निवेश को घटा कर आईएमईएफ में निधि शेष को तुलनपत्र में "अन्य चालू देयताएं" के अंतर्गत समूहित किया गया है. 31 मार्च 2021 को निधि का शेष 292,49,38,965/- रुपये है (गत वर्ष 271,21,93,059 रुपये).

घ. संबद्ध पक्षकारों से लेनदेन ऐसी शर्तों पर किये जाते हैं जो प्रचलित स्वतंत्र संव्यवहार के समतुल्य होते हैं. वर्ष के अंत में बकाया शेष अप्रतिभूत होता है और नकदी में निपटान किया जाता है. यह आकलन संबद्ध पक्षकार की वित्तीय स्थिति और बाज़ार, जिसमें संबद्ध पक्षकार परिचालन करते हैं की जांच के जरिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है.

39. वित्तीय लिखत - उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन

क. वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण:

निम्नलिखित तालिका वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं की वहन राशि और उचित मूल्यों को दर्शाती है जिसमें उचित मूल्य अनुक्रम में उनके स्तर भी शामिल हैं. इसमें उचित मूल्य पर न आंकी गई उन वित्तीय आस्तियों और देयताओं की उचित मूल्य सूचना शामिल नहीं है जिनकी वहन राशि उचित मूल्य के पर्याप्त आसपास है.

(लाख रुपये)

31 मार्च 2021 को वित्तीय आस्तियां और देयताएं	वहन राशि				उचित मूल्य			
	लाभ एवं हानि खाते के जरिये उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य	परिशोधित लागत	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय आस्तियां								-
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	13,318.63	13,318.63	-	-	13,318.63	13,318.63
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	-	-	9,19,642.86	9,19,642.86	-	-	9,19,642.86	9,19,642.86
ऋण	-	-	13,53,701.82	13,53,701.82	-	-	13,53,701.82	13,53,701.82
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय आस्तियां	-	-	85.42	85.42	-	-	85.42	85.42
	-	**-**	**22,86,748.73**	**22,86,748.73**	**-**	**-**	**22,86,748.73**	**22,86,748.73**
वित्तीय देयताएं								
देयराशियां				-				-
व्यापारिक देयराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देयराशियां	-	-	65.52	65.52	-	-	65.52	65.52
जमाराशियां	-	-	20,08,417.37	20,08,417.37	-	-	20,08,417.37	20,08,417.37
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	8.93	8.93	-	-	8.93	8.93
	-	**-**	**20,08,491.81**	**20,08,491.81**	**-**	**-**	**20,08,491.81**	**20,08,491.81**

31 मार्च 2021 को समाप्त रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लेवल 1 और लेवल 2 उचित मूल्य मापन के बीच कोई हस्तांतरण नहीं हुआ.

(लाख रुपये)

31 मार्च 2020 को वित्तीय आस्तियां और देयताएं	वहन राशि				उचित मूल्य			
	लाभ एवं हानि खाते के जरिये उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य	परिशोधित लागत	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय आस्तयां								-
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	4,21,125.99	4,21,125.99	-	-	4,21,125.99	4,21,125.99
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	-	-	6,09,957.15	6,09,957.15	-	-	6,09,957.15	6,09,957.15
ऋण	-	-	9,00,400.11	9,00,400.11	-	-	9,00,400.11	9,00,400.11
निवेश	-	-	18,727.22	18,727.22	-	-	18,727.22	18,727.22
अन्य वित्तीय आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**19,50,210.46**	**19,50,210.46**	**-**	**-**	**19,50,210.46**	**19,50,210.46**
वित्तीय देयताएं								
देयराशियां				-				-
व्यापारिक देयराशियां	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देयराशियां	-	-	118.13	118.13	-	-	118.13	118.13
जमाराशियां	-	-	17,02,562.03	17,02,562.03	-	-	17,02,562.03	17,02,562.03
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	13.12	13.12	-	-	13.12	13.12
	-	**-**	**17,02,693.28**	**17,02,693.28**	**-**	**-**	**17,02,693.28**	**17,02,693.28**

31 मार्च 2020 को समाप्त रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लेवल 1 और लेवल 2 उचित मूल्य मापन के बीच कोई हस्तांतरण नहीं हुआ.

ख. उचित मूल्य का मापन

उचित मूल्य के अनुमान के लिए निम्नलिखित विधियां एवं धारणाएं प्रयुक्त की गईं

क. अन्य चालू बैंक शेष, अन्य प्राप्यराशियां और व्यापारिक एवं अन्य देयराशियों सहित अन्य वित्तीय देयताओं, आदि सहित नकदी समतुल्यों की वहन राशि, ऐसी शेष राशियों के वर्तमान एवं अल्पकालिक स्वरूप के कारण उनके उचित मूल्यों जैसा ही माना जाता है.

ख. कंपनी द्वारा नियत ब्याज दर वाले वित्तीय लिखत, ब्याज दरों और प्रतिपक्षियों की वैयक्तिक ऋण पात्रता जैसे मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है. इस मूल्यांकन के आधार पर, इन लिखतों की प्रत्याशित हानियों के लिए छूट, यदि आवश्यक हो, को हिसाब में लिया जाता है. इस प्रकार उपर्युक्त क में दर्शाई गई परिशोधित लागत ईसीएल राशि के समायोजन के बाद की है.

ग. इनको प्रतिपक्षी ऋण जोखिम सहित अलक्ष्य इनपुट को शामिल करने के कारण लेवल 3 उचित मूल्य अनुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

ग. उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य को मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. अनुक्रम में समरूप आस्तियों या देयताओं के सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य को उच्चतम प्राथमिकता (लेवल 1 मापन) और अलक्ष्य इनपुट को न्यूनतम प्राथमिकता दी जाती है (लेवल 3 मापन).

लेवल 1: लेवल 1 अनुक्रम में सक्रिय बाज़ारों में असमायोजित उद्धृत मूल्यों का उपयोग कर आंके गये वित्तीय लिखत शामिल हैं. कंपनी का समरूप आस्तियों या देयताओं तक पहुंच का सामर्थ्य है. एक वित्तीय लिखत को लेवल 1 मापन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध है. इसमें सूचीबद्ध इक्विटी लिखत, व्यापारित बांड और म्यूच्युअल फंड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है. सभी इक्विटी लिखतों (बांडों सहित) जिनकी शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग होती है, का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि को अंतिम मूल्य का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है. म्यूच्युअल फंडों को अंतिम एनएवी पर मूल्यांकित किया जाता है. लेवल 1: लेवल 1 अनुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग कर आंके गये वित्तीय लिखत शामिल हैं. इसमें सूचीबद्ध इक्विटी लिखत और म्यूच्युअल फंड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है. सभी इक्विटी लिखतों, जिनकी शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग होती है, का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि को अंतिम मूल्य का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है.

लेवल 2: उन वित्तीय लिखतों, जिनकी सक्रिय बाज़ारों में ट्रेडिंग नहीं होती है, का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है जो सुस्पष्ट बाज़ार आंकड़ों जैसे सक्रिय बाज़ारों में समरूप आस्तियों और देयताओं के उद्धृत मूल्य का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग कर अधिकतम किया जाता है, वस्तुतः वित्तीय लिखत की पूर्ण अवधि लेकिन लेवल 1 इनपुट के योग्य नहीं है. यदि लिखत के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट सुस्पष्ट हैं तो लिखत को लेवल 2 में शामिल किया जाता है.

लेवल 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट सुस्पष्ट बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो लिखत को लेवल 3 में शामिल किया जाता है. अर्थात् इनपुट 3 में जोखिम के बारे में बाज़ार सहभागियों की धारणाएं और बाज़ार सहभागियों द्वारा अपेक्षित जोखिम प्रीमियम शामिल हैं ताकि जोखिम को वहन कर सकें. कंपनी विशिष्ट परिस्थितियों में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर लेवल 3 इनपुट विकसित करती है.

40. वित्तीय जोखिम का प्रबंध

कंपनी ने जोखिम प्रबंध की व्यापक नीति बना रखी है ताकि अपने कारोबार से संबंधित विभिन्न जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और कम कर सके. कंपनी ने जोखिम प्रबंध नीति के साथ अपने कारोबार के आकार एवं जटिलता के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी की धारणा के अनुसार बनाये रखी है. साथ मिलकर वे कंपनी की रणनीतियों के अनुरूप कारोबारी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को हासिल करने में सहायता करती हैं ताकि अपनी नीतियों एवं पद्धतियों के बीच में असंगतियों एवं अंतरालों को रोका जा सके. निदेशक मंडल/समितियां जोखिम प्रबंध नीति और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करते हैं. कंपनी का वित्तीय जोखिम प्रबंध अभिन्न अंग है कि अपनी कारोबारी रणनीतियों की योजना कैसे बनायें एवं कार्यान्वित करें.

कंपनी का अपने प्रशिक्षण एवं प्रबंध मानकों एवं प्रक्रियाओं के जरिये अनुशासित एवं रचनात्मक नियंत्रण वातावरण बनाने का लक्ष्य है जिसमें सभी कर्मचारी अपनी भूमिकाएं एवं दायित्वों को समझें. लेखापरीक्षा समिति की निगरानी की भूमिका में आंतरिक लेखापरीक्षा सहायता करती है. आंतरिक लेखापरीक्षा में जोखिम प्रबंध नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की नियमित एवं तदर्थ, दोनों समीक्षा की जाती है, जिसके परिणाम लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट किये जाते हैं.

कंपनी के कार्यकलाप इसे विभिन्न प्रकार की जोखिम से असुरक्षित करते हैं, जैसे-

- ऋण जोखिम
- तरलता जोखिम और
- बाज़ार जोखिम

(क) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि की जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षकार अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में असफल हो जाता है और यह जोखिम मुख्यतः कंपनी के ऋण, निवेश या अन्य वित्तीय आस्तियों से उत्पन्न होती है. वित्तीय आस्तियों की वहन राशियां अधिकतम ऋण जोखिम एक्सपोजर का निरूपण करती हैं.

i. परिशोधित लागत पर आंके गये ऋण एवं वित्तीय आस्तियां

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को अनर्जकता विश्लेषण किया जाता है.

अनर्जकता हानि की गणना चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) *चूक की संभावना (पीडी) *चूक से हानि (एलजीडी) के आधार पर की जाती है.

आंतरिक रेटिंग मॉडल गुणात्मक एवं मात्रात्मक, दोनों सूचनाओं को शामिल करता है और उधारकर्ता की विशिष्ट जानकारी के अलावा ऐसी पूरक बाहरी जानकारी का उपयोग करता है जो उधारकर्ता के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है.

चूक की संभावना (पीडी): चूंकि चूक की संभावना की गणना के लिए कंपनी के स्वयं के पोर्टफोलियो की विगत प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं है, कंपनी ने रेटिंग के आधार पर चरण 1 और चरण 2 के लिए अपनी धारक कंपनी के जोखिम मूल्यांकन मॉडल से रेटिंग आधारित पीडी ली है. जिन मामलों में रेटिंग उपलब्ध नहीं है, वही पीडी लिये गये हैं जो मूल कंपनी/प्रायोजक कंपनी के हैं. उसके बाद प्रगतिशील जानकारी शामिल करने और एक्सपोजर के इंड एएस 109 चरण के वर्गीकरण के लिए इंड एएस 109 ईसीएल गणना हेतु पीडी को समायोजित किया गया है. चरण 3 के उद्देश्य के लिए 100% पीडी लिये गये हैं.

चूक से हानि (एलजीडी): एलजीडी गणना के उद्देश्य के लिए कंपनी की स्वयं का चूक एवं वसूली इतिहास नहीं है. अतः प्रतिभूत ऋण पोर्टफोलियो के लिए ऋण पोर्टफोलियो के प्रतिभूति के प्रकार के आधार पर धारक कंपनी के जोखिम मूल्यांकन मॉडल में वर्णित न्यूनतम एलजीडी को एलजीडी माना गया है. वर्तमान में संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो प्राप्यराशियों से प्रतिभूत है और इसके लिए एलजीडी 50% ली गई है. 50% एलजीडी पर विचार करते समय मुद्रा द्वारा धारित संपार्श्विक प्रतिभूति (एफडीआर पर मुद्रा के पक्ष में धारणाधिकार चिन्हित) को ध्यान में रखा गया है. चरण 3 के उद्देश्य के लिए एलजीडी 100% मानी गई है. अप्रतिभूत निवेशों के मामले में एलजीडी 100% मानी गई है क्योंकि वसूली का कोई विगत इतिहास उपलब्ध नहीं है और ऐसी निवेशी कंपनियों की वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य में वसूली न होने की कोई प्रगतिशील परिस्थिति दिखाई नहीं देती है.

12 महीने की ईसीएल के लिए प्रत्याशित ऋण हानि आंकी जाती है जहां ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, वहीं जहां ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि स्पष्ट है आजीवन ईसीएल आंकी जाती है. कंपनी का स्वतंत्र ऋण जोखिम विभाग अपना आंतरिक रेटिंग मॉडल संचालित करता है. कंपनी अपने ग्राहकों की आंतरिक ग्रेडों के लिए अलग मॉडल चलाती है. मॉडल में गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों जानकारी शामिल की जाती है और उधारकर्ता की विशिष्ट जानकारी के अलावा ऐसी पूरक बाहरी जानकारी का उपयोग करता है जो उधारकर्ता के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है.

चूंकि चूक की संभावना की गणना के लिए कंपनी के स्वयं के पोर्टफोलियो की विगत प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं है, कंपनी ने रेटिंग पर आधारित चरण 1 और चरण 2 के लिए अपनी धारक कंपनी के जोखिम मूल्यांकन मॉडल से रेटिंग आधारित पीडी ली है. जिन मामलों में रेटिंग उपलब्ध नहीं है, वहां औसत ऋण पोर्टफोलियो के पीडी लिये गये हैं. उसके बाद प्रगतिशील जानकारी शामिल करने और एक्सपोजर के इंड एएस 109 चरण के वर्गीकरण के लिए इंड एएस 109 ईसीएल गणना हेतु पीडी को समायोजित किया जाता है. चरण 3 के उद्देश्य के लिए 100% पीडी लिये जाते हैं.

एलजीडी की गणना के लिए कंपनी का स्वयं का चूक एवं वसूली इतिहास नहीं है. अतः प्रतिभूत ऋण पोर्टफोलियो के लिए ऋण पोर्टफोलियो के प्रतिभूति के प्रकार के आधार पर धारक कंपनी के जोखिम मूल्यांकन मॉडल में वर्णित न्यूनतम एलजीडी को एलजीडी माना गया है. वर्तमान में संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो प्राप्यराशियों से प्रतिभूत है और इसके लिए एलजीडी 50% ली गई है.

अप्रतिभूत निवेशों के मामले में एलजीडी 100% मानी गई है क्योंकि वसूली का कोई विगत इतिहास उपलब्ध नहीं है और ऐसी निवेशी कंपनियों की वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य में वसूली न होने की कोई प्रगतिशील परिस्थिति दिखाई नहीं देती है.

ऋण (अनाहरित प्रतिबद्ध ऋण व्यवस्था सहित)

ऋणों (प्रावधान पूर्व सकल) का अवधि-वार विश्लेषण भुगतान की संविदात्मक देय तारीख से निम्नानुसार किया गया है:

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
0-30 दिन गत देय	13,82,782.12	9,87,540.45
30-90 दिन गत देय	-	-
90 दिन से अधिक गत देय	7,637.06	7,106.92
कुल	**13,90,419.18**	**9,94,647.37**

निम्नलिखित तालिका में प्रत्याशित ऋण हानि मॉडल का उपयोग कर आंकी गई हानि छूट में परिवर्तनों का सारांश दिया गया है:

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
प्रारंभिक प्रावधान	8,797.26	2,228.59
वर्ष के दौरान प्रावधान/(रिवर्सल)	(79.90)	6,568.67
कुल	**8,717.37**	**8,797.26**

परिशोधित लागत पर आंका गया निवेश

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं	-	18,729.09
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
चूक पोर्टफोलियो	-	28,500.00
कुल	**-**	**47,229.09**

निम्नलिखित तालिका में आजीवन प्रत्याशित ऋण हानि मॉडल का उपयोग कर आंकी गई हानि छूट में परिवर्तनों का सारांश दिया गया है:

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
प्रारंभिक प्रावधान	28,501.87	28,500.00
वर्ष के दौरान प्रावधान	-28,501.87	1.87
प्रावधान का रिवर्सल	-	-
कुल	**-**	**28,501.87**

ii. नकदी एवं बैंक शेष

कंपनी के पास 31 मार्च 2021 को 9,32,961.49 लाख रुपये (31 मार्च 2020: 10,31,083.13 लाख रुपये) का नकदी एवं नकदी समतुल्य और अन्य बैंक शेष था. इसे अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले बैंकों एवं वित्तीय संस्था प्रतिपक्षकारों के पास रखा जाता है.

परिशोधित लागत पर आंकी गई मीयादी जमाराशियां

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं	9,33,175.75	10,31,290.15
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
चूक पोर्टफोलियो	-	-
कुल	**9,33,175.75**	**10,31,290.15**

निम्नलिखित तालिका में आजीवन प्रत्याशित ऋण हानि मॉडल का उपयोग कर आंकी गई हानि छूट में परिवर्तनों का सारांश दिया गया है:

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
प्रारंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान	326.91	255.61
प्रावधान का रिवर्सल	-	-
कुल	**326.91**	**255.61**

iii. अन्य

परिशोधित लागत पर आंके गये ऋणों, निवेश एवं मीयादी जमाराशियों के अलावा कंपनी के पास कोई अन्य वित्तीय आस्तियां नहीं है जिनमें कोई उल्लेखनीय ऋण जोखिम हो.

(ख) चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम ऐसी जोखिम है जिसमें कंपनी अपनी ऐसी वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्व को पूरा करने में कठिनाई का सामना करेगी जो नकदी या अन्य वित्तीय आस्ति सुपुर्द कर चुकाई जाती हैं. चलनिधि के प्रबंध के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव यह सुनिश्चित करना है कि अपनी देयताओं का भुगतान करने के लिए इसके पास सामान्य और दबावग्रस्त, दोनों स्थितियों में पर्याप्त चलनिधि रहेगी जब वे देय होंगी, यह बिना किसी अस्वीकार्य हानि या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाये बिना किया जायेगा. कंपनी की आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) अपनी चलनिधि जोखिम प्रबंध रणनीति को परिभाषित करती है और समग्र नीति एवं जोखिम सहनशीलता सीमा निर्धारित करती है.

(i) वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं

रिपोर्टिंग तारीख को वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नानुसार हैं. राशियां सकल और अबट्टाकृत हैं तथा इनमें संविदात्मक ब्याज भुगतान शामिल हैं.

(लाख रुपये)

31 मार्च 2021 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	1 वर्ष या कम	1-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
जमाराशियां	5,13,152.37	14,95,265.00	-	20,08,417.37
अन्य देयराशियां	65.52	-	-	65.52
अन्य वित्तीय देयताएं	8.93	-	-	8.93
कुल	**5,13,226.81**	**14,95,265.00**	**-**	**20,08,491.81**

(लाख रुपये)

31 मार्च 2020 को वित्तीय देयताओं को संविदात्मक परिपक्वताएं	1 वर्ष या कम	1-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
जमाराशियां	7,02,562.03	10,00,000.00	-	17,02,562.03
अन्य देयराशियां	251.32	-	-	251.32
अन्य वित्तीय देयताएं	13.12	-	-	13.12
कुल	**7,02,826.47**	**10,00,000.00**	**-**	**17,02,826.47**

(ग) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों और इक्विटी मूल्यों जैसे बाज़ार मूल्यों में परिवर्तनों से कंपनी की आय या वित्तीय लिखतों में इसकी धारिता के मूल्य को प्रभावित करेंगी. बाज़ार जोखिम प्रबंध का उद्देश्य प्रतिलाभ को इष्टतम कर बाज़ार जोखिम एक्सपोजर को स्वीकार्य मापदंडों के भीतर प्रबंध एवं नियंत्रण करना है. इन जोखिमों में कंपनी का एक्सपोजर और प्रबंध को नीचे स्पष्ट किया गया है.

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी मुख्यत: भारतीय बाज़ार में कार्यरत है. अधिकांश लेनदेन कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा अर्थात् रुपये में मूल्यवर्गित हैं. अत: कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम से एक्सपोज नहीं है.

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होंगे. कंपनी के एक्सपोजर पर बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों का जोखिम मुख्यत: अस्थिर ब्याज दरों पर कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्व से जुड़ता है. कंपनी की नियत दर वाली उधारराशियां परिशोधित लागत पर ले जाई जाती है. अत: वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है जैसाकि इंड एएस 107 में स्पष्ट किया गया है क्योंकि बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन से न तो वहन राशि और न ही भावी नकदी प्रवाहों में कोई उतार-चढ़ाव होगा.

ब्याज दर जोखिम का एक्सपोजर

कंपनी के प्रबंधन को रिपोर्ट की गई कंपनी के ब्याज वाले वित्तीय लिखतों की ब्याज दर रूपरेखा निम्नानुसार है:

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
नियत दर लिखत		
वित्तीय देयताएं		
उधारराशियां	20,08,417.37	17,02,562.03
वित्तीय आस्तियां		
जमा प्रमाणप-सिडबी	-	18,727.22
मीयादी जमाराशियां	9,32,848.83	10,31,034.55
कुल निवल	**(10,75,568.53)**	**(6,52,800.26)**

नियत दर वाले लिखतों का उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी के नियत दर वाले लिखतों को परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है और ब्याज दर जोखिम नहीं आंकी जाती है क्योंकि बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तनों के कारण न तो वहन राशि और न ही भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होंगे.

(iii) मूल्य जोखिम

कंपनी का म्यूच्युअल फंड मूल्य जोखिम का एक्सपोजर कंपनी द्वारा धारित निवेशों से उत्पन्न होता है और लाभ या हानि के जरिये उचित मूल्य पर तुलनपत्र में वर्गीकृत किया जाता है. चूंकि म्यूच्युअल फंड अत्यधिक तरल ऋण उन्मुख फंड होते हैं, कंपनी का भारी मूल्य जोखिम एक्सपोजर नहीं है.

41. विगत वर्ष का पुनर्समूहन

वर्तमान वर्ष से तुलनीय बनाने के लिए विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक था, पुनर्समूहित/पुन:वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन

42. जोखिम आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
सीआरएआर (%)*	117.74	61.23
सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)	117.08	60.76
सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)	0.66	0.46
टियर II पूंजी के रूप में जुटाये गये गौण ऋण की राशि (रु.)	-	-
शाश्वत ऋण लिखतों के निर्गम पर प्राप्त राशि (रु.)	-	-

रिज़र्व बैंक ने 3 जुलाई 2015 के अपने पत्र सं. डीएनबीआर (पीडी) सं. 0026/03.10.001/2015-16 के द्वारा आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रदत्त सभी पुनवित्त के लिए शून्य जोखिम भार देने का अनुमोदन प्रदान किया है. उपर्युक्त अनुपात इसी पर आधारित हैं.

* सीआरएआर की गणना करते समय 31 मार्च 2021 को 280 करोड़ रुपये (31 मार्च 2020 को 854.50 करोड़ रुपये) की असंवितरित मंजूर राशि को शामिल किया गया है.

43. स्थावर संपदा और पूंजी बाज़ार में एक्सपोजर

(क) वर्तमान एवं विगत वर्ष में कंपनी का स्थावर संपदा में कोई एक्सपोजर नहीं है.

(ख) वर्तमान एवं विगत वर्ष में कंपनी का पूंजी बाज़ार में कोई एक्सपोजर नहीं है.

44. आस्ति देयता प्रबंध

(लाख रुपये)

यथा मार्च 31, 2021	1 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमाराशियां*	**231.02**	**0.95**	**-**	**-**	**-**	**827.36**	**6,552.54**	**1,716.62**	**-**	**-**	**9,328.49**
अग्रिम#	-	117.60	110.00	276.17	1,381.33	1,935.67	3,375.24	6,341.01			13,537.02
निवेश**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उधारराशियां ***	131.52	-	-	-	-	-	5,000.00	14,952.65	-	-	20,084.17
विदेशी मुद्रा आस्तियां											-
विदेशी मुद्रा देयताएं			-	-	-	-	-	-	-		-

* जमाराशियों में बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां शामिल हैं.

** निवेशों में कॉरपोरेट (प्रावधान घटाकर) और म्युच्युअल फंड के पास रखी हुई जमाराशियां शामिल हैं.

यहां दर्शाये गये अग्रिमों में उन आस्तियों को घटाकर दिखाया गया है जिनके लिए 100% प्रावधान किया गया है.

*** उधारराशियों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में कमी के अंतर्गत बैंकों से प्राप्त राशि शामिल है.

45. वित्तीय नियामकों के पास पंजीकरण का विवरण

विनियामक	पंजीकरण सं.
कंपनी मामलों का मंत्रालय	CIN U65100MH2015PLC274695
भारतीय रिज़र्व बैंक	N-13.02124

टिप्पणी: वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक या किसी अन्य विनियामक द्वारा कोई पैनल्टी नही लगाई गई है.

46. निवेश

(लाख रुपये)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	**निवेशों का मूल्य**		
	निवेशों का सकल मूल्य		
	भारत में	-	472.29
	भारत के बाहर	-	-
	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	भारत में	-	285.02
	भारत के बाहर	-	-
	निवेशों का निवल मूल्य		
	भारत में	-	187.27
	भारत के बाहर	-	-
2	**निवेशों के मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान में घटबढ़**		
	प्रारंभिक शेष	285.02	285.02
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	(0.02)	-
	घटाएं: वर्ष के दौरान आधिक्य प्रावधान को बट्टे खाते डालना/डालना/ प्रतिलेखन करना	285.00	-
	अंतिम शेष	**-**	**285.02**

47. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(लाख रुपये)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	निवेशों एवं जमाराशियों पर अनर्जकता हानि	0.69	2.57
2	ऋण एवं अन्य प्राप्यराशियों पर अनर्जकता हानि	(0.80)	65.69
3	वर्तमान आयकर के लिए प्रावधान	13.34	105.46
4	अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)	-	-
5	आस्थगित कर आस्तियों के लिए प्रावधान	72.05	12.12

48. व्युत्पन्न

कंपनी ने वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप और शेयर बाज़ार में खरीद-बिक्री वाले ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में कोई लेनदेन/एक्सपोजर नहीं लिया है.

कंपनी का वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान कोई अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर नहीं है.

कंपनी का वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान कोई रेपो लेनदेन नहीं है.

49. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटन

क्र.सं.	विवरण
1	वर्तमान एवं विगत वर्ष में एनबीएफसी द्वारा प्रतिभूतिकरण के लिए कोई एसपीवी प्रायोजित नहीं की है, अत: (क) प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कोई राशि नहीं है (ख) तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर का पालन के लिए एनबीएफसी द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कोई राशि नहीं है.
2	वर्तमान एवं विगत वर्ष में कंपनी का एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन में कोई एक्सपोजर नहीं है.
3	वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान कंपनी ने आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को कोई वित्तीय आस्ति नहीं बेची है.
4	वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान कंपनी ने समनुदेशन का कोई लेनदेन नहीं किया है.
5	वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी अनर्जक वित्तीय आस्ति की खरीद/बिक्री नहीं की है.

50. आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

कंपनी ने वर्तमान एवं विगत वर्ष में आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री नहीं की है.

51. खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

कंपनी ने वर्तमान एवं विगत वर्ष में अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री नहीं की है.

52. मूल कंपनी की योजनाओं के वित्तपोषण का विवरण

कंपनी ने वर्तमान एवं विगत वर्ष में अपनी मूल कंपनी की किसी योजना को वित्तपोषित नहीं किया है सिवाय सिडबी के जमा प्रमाणपत्रों की वर्तमान वर्ष में खरीद में शून्य निवेश और विगत वर्ष में 177,12,33,300 /-रुपये के.

53. अप्रतिभूत अग्रिम

कंपनी का वर्तमान एवं विगत वर्ष में कोई अप्रतिभूत अग्रिम नहीं है.

54. एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

रिज़र्व बैंक ने 3 अगस्त 2015 के अपने पत्र सं. डीएनबीआर(पीडी).सीओ.सं.244/03.10.001/2015-16 के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में एक्सपोजर के संबंध में ऋण संकेन्द्रण मानदंड (एकल उधारकर्ता) की अनुप्रयोज्यता से मुद्रा को छूट प्रदान की है. तथापि, अन्य एक्सपोजर के संबंध में मुद्रा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर मानदंडों को पूरा करती है और वर्ष के दौरान कंपनी ने विवकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं - एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) को पार नहीं किया है.

55. आरक्षित निधियों से आहरण

वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई आहरण नहीं किया गया है.

56. निवल ब्याज मार्जिन के बारे में जानकारी

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
औसत ब्याज (क)	3.71%	5.46%
उधारराशियों की औसत प्रभावी लागत (ख)	2.82%	3.76%
निवल ब्याज मार्जिन (क-ख)	0.89%	1.70%

57. ग्राहकों से शिकायतें*

कंपनी को अपने प्रत्यक्ष ग्राहकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के संबंध में व्यक्तियों से सामान्य पूछताछ/शिकायतें या बैंकों के विरुद्ध व्यक्तियों द्वारा शिकायतें शामिल नहीं हैं.

58. क्षेत्र-वार अनर्जक आस्तियां और अनर्जक आस्तियों में घटबढ़

क) क्षेत्र-वार अनर्जक आस्तियां

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक आस्तियों का %	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक आस्तियों का %
कृषि एवं सहायक कार्यकलाप	-	-
एमएसएमई	-	-
कॉरपोरेट उधारकर्ता *	0.56%	3.73%
सेवाएं	-	-
अप्रतिभूति वैयक्तिक ऋण	-	-
ऑटो ऋण	-	-
अन्य वैयक्तिक ऋण	-	-

* कॉरपोरेट उधारकर्ता में बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई को अग्रिम, साथ ही कॉरपोरेट के पास किये गये निवेश शामिल हैं.

ख) अनर्जक आस्तियों में घटबढ़

(लाख रुपये)

विवरण	यथा मार्च 31, 2021	यथा मार्च 31, 2020
i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.00%	0.00%
ii) अनर्जक आस्तियों में घटबढ़ (सकल)*		
क) प्रारंभिक शेष	356.07	285.00
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	12.00	71.07
ग) वर्ष के दौरान कमी	291.70	-
घ) अंतिम शेष	76.37	356.07
iii) अनर्जक आस्तियों में घटबढ़ (निवल)*		
क) प्रारंभिक शेष		
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
ग) वर्ष के दौरान कमी		
घ) अंतिम शेष		
iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में घटबढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)*		
क) प्रारंभिक शेष	356.07	285.00
ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	12.00	71.07
ग) आधिक्य प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/ प्रतिलेखन करना	291.70	-
घ) अंतिम शेष	76.37	356.07

* अनर्जक (चरण 3) निवेश शामिल है

59. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग

कंपनी को 2000 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण के लिए नवम्बर 2020 में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्रा. लि. द्वारा "इंड एएए/स्टेबल" रेटिंग प्रदान की गई है. विगत वर्ष में कंपनी की कोई रेटिंग नहीं थी.

60. अग्रिमों, एक्सपोजर और अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम*	12,375.09	7,977.84
2	चार शीर्ष अनर्जक खातों में कुल अग्रिम (सकल)	76.37	71.07
3	बैंकों एवं एमएफआई को सभी अग्रिमों की तुलना में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिम का प्रतिशत	91.42%	87.65%

* उधारकर्ताओ की राशि में असंवितरित मंजूर ऋण राशि शामिल नहीं है.

(लाख रुपये)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1	कुल अग्रिम और 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को एक्सपोजर*	21,715.06	17,884.96
2	चार शीर्ष अनर्जक खातों में कुल एक्सपोजर	76.37	71.07
3	बैंकों एवं एमएफआई की तुलना में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिम और एक्सपोजर का प्रतिशत	93.82%	92.12%

*उधारकर्ताओ की राशि में असंवितरित मंजूर ऋण राशि शामिल है.

61. निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी के साथ गैर-कार्यपालक निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेनदेन वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किये जायेंगे.

62. विदेशी आस्तियां (विदेश में संयुक्त उपक्रमों और सहायक संस्थाओं के लिए)

कंपनी की वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान विदेश में कोई आस्ति नहीं है.

63. मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली कंपनी और जमाराशि लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुबंध IV द्वारा अपेक्षित कंपनी के तुलनपत्र की अनुसूची से संबद्ध प्रकटन के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक ("रिज़र्व बैंक") द्वारा 17 फरवरी 2020 को अद्यतन अधिसूचना सं. आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/45 मास्टर निर्देश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016-17 ("अधिसूचना")

विवरण		बकाया राशि (करोड़ रु.)		अतिदेय राशि (करोड़ रु.)	
		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
	देयता पक्ष:				
63.1	**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिये गये ऋण एवं अग्रिम, उन पर उपचित लेकिन अदा न किये गये ब्याज सहित**				
क)	डिबेंचर:				
	i) प्रतिभूत	-	-	-	-
	ii) अप्रतिभूत (सार्वजनिक जमाराशियों के अर्थ के अंदर आने वालों के अलावा)	-	-	-	-
ख)	आस्थगित ऋण	-	-	-	-
ग)	मीयादी ऋण (बैंकों द्वारा जमा कराई गई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में कमी वाली निधि)	20,084	17,026	-	-
घ)	अंतर-कॉरपोरेट ऋण एवं उधारराशियां	-	-	-	-
ङ)	वाणिज्यिक पेपर	-	-	-	-
च)	सार्वजनिक जमाराशियां	-	-	-	-
छ)	अन्य ऋण	-	-	-	-
63.2	**उपर्युक्त 1 (च) का अलग अलग ब्यौरा (सार्वजनिक जमाओं की बकाया राशि, उन पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज सहित)**				
क)	अप्रतिभूत डिबेंचरों के रूप में	-	-	-	-
ख)	अंशत: प्रतिभूत डिबेंचरों के रूप में अर्थात् ऐसे डिबेंचर जिनकी प्रतिभूति के मूल्य में कोई न्यूनता नहीं है	-	-	-	-
ग)	अन्य सार्वजनिक जमाराशियां	-	-	-	-

विवरण			बकाया राशि (करोड़ रु.)		अतिदेय राशि (करोड़ रु.)	
			31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
		आस्ति पक्ष:				
63.3		**प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का अलग-अलग ब्यौरा [नीचे (4) में शामिल को छोड़कर]:**				
	क)	प्रतिभूत	13,537.02	9,004.00	-	-
	ख)	अप्रतिभूत	-	-	-	-
63.4		**एएफसी कार्यकलापों के लिए पट्टाकृत आस्तियां, किराये का स्टॉक और अन्य आस्तियां**				
क)		विविध देनदारों के अंतर्गत लीज किराया सहित लीज आस्तियां				
	i)	वित्तीय लीज	-	-	-	-
	ii)	परिचालन लीज	-	-	-	-
ख)		विविध देनदारों के अंतर्गत किराया शुल्क सहित किराये का स्टॉक				
	i)	किराये पर आस्तियां	-	-		-
	ii)	पुन:कब्जा की गई आस्तियां	-	-		-
ग)		एएफसी कार्यकलापों के लिए अन्य ऋण	-	-		-
	i)	ऋण जिनकी आस्तियां पुन: कब्जे में ली गई हैं	-	-	-	-
	ii)	उर्युक्त (i) के अलावा अन्य ऋण	-	-	-	-
63.5		**निवेशों का अलग-अलग ब्यौरा:**				
		चालू निवेश:				
क)		**उद्धृत:**				
	i)	शेयर: क. इक्विटी	-	-	-	-
		ख. अधिमानी	-	-	-	-
	ii)	डिबेंचर एवं बांड	-	-	-	-
	iii)	म्यूच्युअल फंड के यूनिट	-	-	-	-
	iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
	v)	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	-	-
ख)		**अनुद्धृत:**				
	i)	शेयर: क. इक्विटी	-	-	-	-
		ख. अधिमानी	-	-	-	-
	ii)	डिबेंचर एवं बांड	-	-	-	-
	iii)	म्यूच्युअल फंड के यूनिट	-	187.27	-	-
	iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
	v)	अन्य- जमा प्रमाणप एवं कॉरपोरेट जमाराशियां	-	472.29	-	-
		दीर्घावधि निवेश:				
क)		**उद्धृत:**				
	i)	शेयर: क. इक्विटी	-	-	-	-
		ख. अधिमानी	-	-	-	-
	ii)	डिबेंचर एवं बांड	-	-	-	-
	iii)	म्यूच्युअल फंड के यूनिट	-	-	-	-
	iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
	v)	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	-	-
ख)		**अनुद्धृत:**				
	i)	शेयर: क. इक्विटी	-	-	-	-
		ख. अधिमानी	-	-	-	-
	ii)	डिबेंचर एवं बांड	-	-	-	-
	iii)	म्यूच्युअल फंड के यूनिट	-	-	-	-
	iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
	v)	अन्य	-	-	-	-

63.6. उपर्युक्त (63.3) और (63.4) में वित्तपोषित आस्तियों का उधारकर्ता समूह-वार वर्गीकरण

		श्रेणी	प्रतिभूत		अप्रतिभूत		कुल	
		(प्रावधान घटाकर राशि)	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क)		संबद्ध पक्षकार	-	-	-	-	-	-
	i)	सहायक संस्थाएं	-	-	-	-	-	-
	ii)	उसी समूह में कंपनियां	-	-	-	-	-	-
	iii)	अन्य संबद्ध पक्षकार	-	-	-	-	-	-
ख)		संबद्ध पक्षकारों के अलावा अन्य	13,537.02	9,004.00	-	-	13,537.02	9,004.00
		कुल	**13,537.02**	**9,004.00**	**-**	**-**	**13,537.02**	**9,004.00**

63.7 शेयरों एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत, दोनों) में सभी निवेशों (चालू एवं दीर्घावधि) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण

		श्रेणी	बाज़ार मूल्य/ अलग-अलग ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी		बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	
			31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क)		संबद्ध पक्षकार				
	i)	सहायक संस्थाएं	-	-	-	-
	ii)	उसी समूह में कंपनियां	-	187.29	-	187.29
	iii)	अन्य संबद्ध पक्षकार	-	-	-	-
ख)		संबद्ध पक्षकारों के अलावा अन्य	-	-	-	-
		कुल	**-**	**187.29**	**-**	**187.29**

63.8 अन्य जानकारी

	श्रेणी	राशि	राशि
		31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
a)	**सकल अनर्जक आस्तियां**		
	i) संबद्ध पक्षकार	-	-
	ii) संबद्ध पक्षकार के अलावा अन्य	76.37	356.07
b)	**निवल अनर्जक आस्तियां**		
	i) संबद्ध पक्षकार	-	-
	ii) संबद्ध पक्षकारों के अलावा अन्य	-	-
c)	**ऋण के भुगतान में अधिग्रहीत आस्तियां**	-	-

64. 13 मार्च 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक ("रिज़र्व बैंक") द्वारा जारी अधिसूचना सं. आरबीआई/2019-20/170 डीओआर (एनबीएफसी). सीसी.पीडी.सं.109/22.10.106/2019-20 के अनुबंध की अपेक्षानुसार कंपनी के तुलनपत्र की अनुसूची से संबद्ध प्रकटन

रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत अपेक्षित हानि छूट (प्रावधान)	निवल वहन राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 के प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)	(7) = (4) - (6)
अर्जक आस्तियां						
मानक	चरण 1	13,547.82	10.80	13,537.02	58.51	(47.71)
	चरण 2	-	-	-	-	-
उप-योग		**13,547.82**	**10.80**	**13,537.02**	**58.51**	**(47.71)**
अनर्जक आस्तियां						
अवमानक	चरण 3					-
संदिग्ध - 1 वर्ष तक	चरण 3	64.37	64.37	-	16.09	48.27
1 से 3 वर्ष	चरण 3	-	-	-	-	-
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	-	-	-	-	-
संदिग्ध का उपयोग		**64.37**	**64.37**	**-**	**16.09**	**48.27**
हानि	चरण 3	12.00	12.00	-	12.00	-
एनपीए का उपयोग		**76.37**	**76.37**	**-**	**28.10**	**48.27**
अन्य मदें जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो इंड एएस 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानदंडों में शामिल नही हैं.	चरण 1	-	-	-	-	-
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
कुल	चरण 1	13,547.82	10.80	13,537.02	58.51	(47.71)
	चरण 2	-	-	-	-	-
	चरण 3	76.37	76.37	-	28.10	48.27
	कुल	**13,624.19**	**87.17**	**13,537.02**	**86.61**	**0.57**

टिप्पणी: अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में निवेश एवं अग्रिम शामिल हैं.

65. कोविड-19 विनियामक पैकेज - रिज़र्व बैंक के 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुसार प्रकटन:

(करोड़ रु.)

विवरण	यथा 31-03-2021	यथा 31-03-2020
(i) एसएमए/अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशियां, जिनको ऋण स्थगन/आस्थगन दिया गया	शून्य	शून्य
(ii) संबंधित राशि, जिनको आस्ति वर्गीकरण लाभ दिया गया	शून्य	शून्य
(iii) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	शून्य	शून्य
(iv) गिरावट और अवशिष्ट प्रावधानों के लिए संबंधित लेखांकन अवधियों के दौरान समायोजित प्रावधान	शून्य	शून्य

66. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और प्रमुख निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंध ढांचे से संबंधित 4 नवम्बर 2019 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2019-20/88 डीओआर.एनबीएफसी (पीडी) सीसी. सं.102/03.10.001/2019- 20 के अनुसार 31 मार्च 2021 को चलनिधि जोखिम के संबंध में सार्वजनिक प्रकटन

क: चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) का प्रकटन

रिज़र्व बैंक ने 26 अगस्त 2020 के अपने पत्र सं.डीओआर (एनबीएफसी).पीडी.सीओ.सं. 29 /03.10.111/2020-21 के द्वारा चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) से संबंधित 4 नवम्बर 2019 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीओआर. एनबीएफसी (पीडी) सीसी.सं. 03.10.001/2019-20 की अनुप्रयोज्यता के बारे में छूट प्रदान की है.

ख: चलनिधि जोखिम के बारे में सार्वजनिक प्रकटन

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमाराशियों और उधारराशियों, दोनों) के आधार पर निधीयन संकेन्द्रण

महत्वपूर्ण प्रतिपक्षियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)	कुल जमाराशियों का %	कुल देयताओं का %
18	19332.94	लागू नहीं	94.84%

(ii) 20 शीर्ष बड़ी जमाराशियां (राशि करोड़ रुपये में और कुल जमाराशियों का %)

लागू नहीं. कंपनी के भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण कोई सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार नहीं करती है.

(iii) 10 शीर्ष उधारराशियां (राशि करोड़ रुपये में और कुल उधारराशियों का %)

राशि (करोड़ रुपये)	कुल उधारराशियों का %
17350.90	86.39%

(iv) महत्वपूर्ण लिखत/योजना के आधार पर निधीयन संकेन्द्रण

क्र.सं.	लिखत/योजना का नाम	राशि (करोड़ रुपये)	कुल देयताओं का %
1	उधारराशियां (रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित पुनर्वित निधि)	20,084.17	98.53%

(v) स्टॉक अनुपात

क्र.सं.		विवरण	अनुपात
1	क)	सार्वजनिक निधियों की तुलना में वाणिज्यिक पेपर	लागू नहीं
	ख)	कुल देयताओं की तुलना में वाणिज्यिक पेपर	लागू नहीं
	ग)	कुल आस्तियों की तुलना में वाणिज्यिक पेपर	लागू नहीं
2	क)	कुल सार्वजनिक निधियों की तुलना में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	लागू नहीं
	ख)	कुल देयताओं की तुलना में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	लागू नहीं
	ग)	कुल आस्तियों की तुलना में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता)	लागू नहीं
3	क)	कुल सार्वजनिक निधियों की तुलना में अन्य अल्पकालिक देयताएं	लागू नहीं
	ख)	कुल देयताओं की तुलना में अन्य अल्पकालिक देयताएं	25.21%
	ग)	कुल आस्तियों की तुलना में अन्य अल्पकालिक देयताएं	22.42%

टिप्पणियां:

1) कुल देयताओं से आशय कुल बाहरी देयताओं से है अर्थात् इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित निधियों को छोड़कर तुलनपत्र का योग.
2) अन्य अल्पकालिक देयताओं में एक वर्ष के भीतर देय वित्तीय देयताएं और गैर-वित्तीय देयताएं शामिल हैं.
3) अन्य अल्पकालिक देयताएं वाणिज्यिक पेपर और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के अलावा अन्य हैं.

vi) चलनिधि जोखिम प्रबंध के लिए संस्थागत व्यवस्था

कंपनी में आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) है. एल्को की बैठकें आवधिक अंतरालों पर आयोजित की जाती हैं. शीर्ष स्तर पर कंपनी के निदेशक मंडल की उप-समिति 'जोखिम प्रबंध समिति (आरआईएमसी)' है जो चलनिधि जोखिम प्रबंध का कार्य देखती है. आरआईएमसी बाद में उनकी जानकारी निदेशक मंडल को देती है.

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी. सी. शाह एंड कं.**
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म नं.: 109818W

ह./-
विरल जे. शाह
भागीदार
संदस्य सं.: 110120

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
विनय हेडाऊ
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 07916221

ह./-
वसंत राव सत्य वेंकटराव
निदेशक
डीआईएन: 00334394

ह./-
अमिताभ मिश्र
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./-
पूजा कुकरेती
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: सितम्बर 09,2021

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(नौवहन), मुंबई

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(SHIPPING), MUMBAI.

गोपनीय/शीघ्रडाक

संख्या: जीए/सीए-I/लेखा/MUDRA/2020-21/ 18)

06 OCT 2021

सेवा में,
मैनेजिंग डायरेक्टर & सीईओ
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड
स्वावलमबन भवन, सी-11,
जी. ब्लोक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स,
बांद्रा (पूर्व),
मंबई- 400 051.

विषय: 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा दी गई टिप्पणियां इस पत्र के साथ संलग्न हैं। टिप्पणियों को मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन के विषयसूची में उचित संकेत सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आगे रखा जाये।

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के पश्चात्, वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अपनाते हुए सामान्य वार्षिक बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को अविलम्ब अग्रेषित की जाये। मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियाँ भी इस कार्यालय को भेजी जाएँ।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नकों की प्राप्ति की सुचना दें।

भवदीय,

हस्ता/-
सी. एम. साने
महानिदेशक लेखापरीक्षा (शिपिंग), मुंबई

संलग्न : यथोपरि ।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MICRO UNITS DEVELOPMENT & REFINANCE AGENCY LIMITED (MUDRA) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of MICRO UNITS DEVELOPMENT & REFINANCE AGENCY LIMITED (MUDRA) for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 09 September 2021 which supersedes their earlier Audit Report dated 09 June 2021

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of MICRO UNITS DEVELOPMENT & REFINANCE AGENCY LIMITED (MUDRA) for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revisions made in the financial statements by the management, as indicated in Statement of Cash Flows of the financial statements, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-

C. M. Sane
Director General of Audit (Shipping), Mumbai

Place : Mumbai
Date : 06.10.2021

सदस्यों को सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड ("मुद्रा") की छठी वार्षिक साधारण बैठक अल्प सूचना पर 25 अक्तूबर 2021 को अपराह्न 3.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य श्रृव्य दृश्य साधनों ("ओएवीएम") के जरिये निम्नलिखित कामकाज के निस्तारण के लिए की जायेगीः

सामान्य कामकाज:

निम्नलिखित सामान्य संकल्पों पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझें, तो संशोधन, यदि कोई हो, या उसके बिना पारित करनाः

1) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त छठे वित्तीय वर्ष के मुद्रा के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं टिप्पणियां तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र पर विचार करना और स्वीकार करना.**
"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण साथ ही निदेशकों की रिपोर्ट, टिप्पणियां जो इस अवधि के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं, के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां, जो कंपनी के सदस्यों में पहले ही परिचालित की जा चुकी हैं, को एतद्वारा प्राप्त, विचार, अनुमोदित और स्वीकार किया जाये एवं एतद्वारा किया जाता है".

2) **31 मार्च 2021 को प्रति इक्विटी शेयर 0.16 रु., कुल 26.81 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश की घोषणा करना.**
"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2021 को कंपनी की शेयर पूंजी 1675.93 करोड़ रुपये पर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए 0.16 रु. प्रति शेयर का लाभांश, लाभांश वितरण कर को छोड़कर, कुल 26.81 करोड़ रुपये, इक्विटी शेयरों के उन धारकों को जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में 31 मार्च 2021 को दर्ज हैं को आनुपातिक आधार पर भुगतान के लिए घोषित किया जाये और एतद्वारा किया जाता है."

3) **श्री वेंकटराव सत्य वसंतराव (डीआईएन 00334394), जो इस बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, नामिती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किये जाने के लिए पात्र हैं, को नियुक्त करना, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होने के दायी होंगे.**
"संकल्प किया जाता है कि श्री वकेंटराव सत्य वसंतराव (डीआईएन 00334394), कंपनी के नामिती निदेशक (सिडबी) जो इस बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नामिती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होने के कारण नामिती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाये और एतद्वारा किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होने के दायी होंगे."

4) **श्री सुदत्त मंडल (डीआईएन 00942970), जो इस बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, नामिती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किये जाने के लिए पात्र हैं, को नियुक्त करना, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होने के दायी होंगे.**
"संकल्प किया जाता है कि श्री सुदत्त मंडल (डीआईएन 00942070), कंपनी के नामिती निदेशक (सिडबी) जो इस बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नामिती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होने के कारण नामिती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाये और एतद्वारा किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होने के दायी होंगे."

5) **वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक को नोट करना.**
"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5), 142 (1) और अन्य लागू प्रावधानों तथा कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (किसी सांविधिक संशोधन (नों) या इस समय लागू उनके पुनर्अधिनियमन (नों) सहित) के अनुसरण में मुद्रा की सांविधिक लेखापरीक्षा करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त मेसर्स वी.सी. शाह एंड कं., चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 109818W) को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में कुल 3.75 लाख रुपये + लागू कर और देय फुटकर खर्च, यदि कोई हो, 0.50 लाख रुपये तक के पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाये और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है."

विशेष कारोबारः

सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझें, तो संशोधन, यदि कोई हो, या उसके बिना पारित करनाः

6) **श्री विनय सुधाकरराव हेडाऊ (डीआईएन 07916221) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना**
"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यताएं) नियम, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में श्री विनय सुधाकरराव हेडाऊ (डीआईएन 07916221), जिन्हें मुद्रा के अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (किसी सांविधिक संशोधन या उनके उस समय लागू पुनर्अधिनियमन) की शर्तों के अनुसार 2 अगस्त 2021 से मुद्रा के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो इस वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक पद पर हैं, को मुद्रा के निदेशक

के रूप में नियुक्त किया जाये और एतद्वारा किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होने के दायी होंगे.''

7) **श्री विनय सुधाकरराव हेडाऊ (डीआईएन 07916221) को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करना जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होने के दायी होंगे.**

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 203 और अन्य किसी लागू प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों (किसी सांविधिक संशोधन (नों) या उस समय लागू उनके पुनर्अधिनियमन) के अनुसरण में श्री विनय सुधाकरराव हेडाऊ (डीआईएन 07916221) को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में एक वर्ष की अवधि अर्थात् 2 अगस्त 2021 से पारिश्रमिक सहित उनके प्रतिनियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार नियुक्त करने के लिए कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाये और एतद्वारा प्रदान किया जाता है, जो आवर्तन से सेवानिृत्त होने के दायी होगे.''

यह संकल्प भी किया जाता है कि मुद्रा के अध्यक्ष को नियुक्ति और पारिश्रमिक की ऐसी शर्तों को बदलने और घटाने-बढ़ाने, जो कंपनी अधिनिमय, 2013 की अनुसूची V में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न हों और जो निदेश मंडल और श्री विनय सुधाकरराव हेडाऊ को मंजूर हों, के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्वारा किया जाता है.

यह भी संकल्प किया जाता है कि मुद्रा के अध्यक्ष को ऐसे सभी कार्य, कामकाज और चीजें करने और ऐसी सभी दस्तावेज, लिखत और लिखाई करने, जो आवश्यक हों और उपर्युक्त संकल्पों को लागू करने के लिए निदेशकों की समिति या निदेशक (कों) को इसमें दिये गये उनके सभी या किसी अधिकार को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्वारा किया जाता है".

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड**

विनय हेडाऊ
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन 07916221

दिनांकः14 अक्तूबर 2021
स्थानः मुंबई

पता: स्वावलंबन भवन, सी-11, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई -400051.

---

1. कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, सामान्य परिपत्र सं. 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, सामान्य परिपत्र सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020, सामान्य परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर 2020 और परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 (सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'') के द्वारा एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के जरिये वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है. कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों और एमसीएए के परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के जरिये की जा रही है. वार्षिक साधारण बैठक के लिए कार्यस्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जायेगा.

2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य, अपनी जगह उपस्थिति होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी के कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है. चूंकि यह वार्षिक साधारण बैठक एमसीए के परिपत्रों के अनुसरण में वीसी/ओएवीएम के द्वारा आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है. तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, अतः इस सूचना के साथ प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची संलग्न नहीं की गई है.

3. अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम का निर्धारण करने के लिए वीसी/ओएवीएम के जरिये वार्षिक साधारण में भाग लेने वाले सदस्यों की गिनती की जायेगी.

4. ऐसे कॉरपोरेट सदस्य, जो बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने वाले हैं, से अनुरोध है कि अपने बोर्ड या प्रबंध निकाय का संकल्प/प्राधिकरण, आदि की प्रमाणित प्रति कंपनी को भिजवायें जिसमें अपने प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के जरिये वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने और बैठक में उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया है.

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा की जानी है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 की उप-धारा (1) के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में तय किया जाना है या ऐसे ढंग से जो कंपनी वार्षिक साधारण बैठक में तय करती है.

6. एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक साधारण बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की प्रति सभी सदस्यों को कंपनी/आरटीए के पास पंजीकृत ई-मेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही भेजी जा रही है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल आईडी में किसी परिवर्तन की सूचना तत्काल कंपनी को poojak@mudra.org.in पर भेजें.

7. सदस्य कृपया नोट करें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.mudra.org.in पर भी उपलब्ध कराई जायेगी.

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में अपने प्रश्न, यदि कोई हो, बैठक की तारीख से कम से कम दो दिन पहले कंपनी सचिव को भेजें ताकि अपेक्षित जानकारी/स्पष्टीकरण समय पर प्रदान किया जा सके.

9. चूंकि वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के जरिये होगी, इस सूचना के साथ रास्ते का नक्शा संलग्न नहीं किया गया है.

10. वीसी/ओएवीएम के जरिये वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने का ब्यौरा सदस्यों को प्रदान कर दिया जायेगा.

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में सभी मदों का व्याख्यात्मक विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है.

व्याख्यात्मक विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में)

मद सं. 6

श्री विनय सुधारकराव हेडाऊ (डीआईएन 07916221), आयु 56 वर्ष को निदेशक मंडल द्वारा 2 अगस्त 2021 से मुद्रा के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 एवं अन्य लागू प्रावधानों और मुद्रा के अन्तर्नियमों के अनुसार उन्होंने 2 अगस्त 2021 से मुद्रा में कार्यग्रहण किया.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के अनुसार अतिरिक्त निदेशक आगामी वार्षिक साधारण बैठक तक ही पद पर रहता है. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने उनकी नियुक्ति मुद्रा के बोर्ड में निदेशक के रूप में करने की अनुशंसा की है. श्री विनय सुधाकरराव हेडाऊ को यदि नियुक्त किया जाता है तो वे कंपनी के अन्तर्नियमों में संशोधन के अधीन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अंतर्गत आवर्तन से सेवानिवृत्त होने के दायी होंगे.

सिडबी के प्रतिनिधि के रूप में उनके पास मुद्रा का एक इक्विटी शेयर है. श्री विनय सुधाकरराव हेडाऊ के सिवाय कंपनी का कोई भी निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार उपर्युक्त संकल्प में किसी भी प्रकार से वित्तीय रूप से या अन्यथा संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

आपके निदेशक उपर्युक्त संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की अनुशंसा करते हैं.

मद सं. 7

श्री विनय सुधारकराव हेडाऊ (डीआईएन 07916221), आयु 56 वर्ष को निदेशक मंडल द्वारा 2 अगस्त 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए मुद्रा के प्रबंध निदेशक (सदस्यों के अनुमोदन के अधीन) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, पारिश्रमिक सहित उनके प्रतिनियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया था.

मुद्रा के निदेशक मंडल ने मुद्रा की एनआरसी की अनुशंसा पर श्री विनय सुधाकरराव हेडाऊ को मुद्रा के प्रबंध निदेशक (सदस्यों के अनुमोदन के अधीन) के रूप में पारिश्रमिक सहित, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं से अनधिक के अधीन है, उनके प्रतिनियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार 2 अगस्त 2021 से नियुक्त किया गया था, वे मुद्रा की पूर्णकालिक सेवा में हैं और आवर्तन से सेवानिवृत्त होने के दायी होंगे.

इसके अलावा, यह नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 और अधिनियम क अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

सिडबी के प्रतिनिधि के रूप में उनके पास मुद्रा का एक इक्विटी शेयर है. श्री विनय सुधाकरराव हेडाऊ के सिवाय कंपनी का कोई भी निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार उपर्युक्त संकल्प में किसी भी प्रकार से वित्तीय रूप से या अन्यथा संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

आपके निदेशक उपर्युक्त संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की अनुशंसा करते हैं.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड

विनय हेडाऊ
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन 07916221

दिनांकः14 अक्तूबर 2021
स्थानः मुंबई

पता: स्वावलंबन भवन, सी-11, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई -400051.

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः
स्वावलम्बन भवन, सी-11, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051.
www.mudra.org.in | Email:ceo@mudra.org.in